



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

निष्पादन प्रतिवेदन 2018-19

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

निष्पादन प्रतिवेदन 2018-19

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पटल से

मुझे वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन जो विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विवरण हमारे हितधारकों को देने के लिए विभाग द्वारा वार्षिक रूप से तैयार किए गए प्रतिवेदनो की श्रृंखला में से एक है, को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह विभाग भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है और यह संविधान के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिए गए अधिकार और अधिदेश तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करता है। अपने लेखापरीक्षा कार्यों के अलावा विभाग अधिकतर राज्यों के लिए लेखांकन एवं हकदारी कार्य भी करता है।

वर्ष के दौरान हमने शासन की बदलती प्राथमिकताओं सहित उभरती चुनौतियों का समाधान करने हेतु नई कार्यप्रणाली शुरू की है। परिणामों की लेखापरीक्षा उन्हीं में से एक है जो सरकारी हस्तक्षेप के परिणामों और मुख्य प्रभावों को कवर करने हेतु इनपुटों और आउटपुटों के अतिरिक्त है। हमने परिणाम केंद्रण के साथ उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा की थी। हमारे परिणाम केंद्रित लेखापरीक्षाओं, जिनकी योजना हमने आगामी वर्षों में निष्पादन हेतु बनाई थी, के लिए वर्ष के दौरान कई हितधारक और विशेषज्ञ संपर्क किए।

हमारी लेखापरीक्षा में शिक्षा, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना और पर्यावरण सहित क्षेत्रों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। हमने केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा सतत विकास ध्येय (एसडीजी) के कार्यान्वयन हेतु तैयारी पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। हमने स्वास्थ्य, पर्यावरण और अवसंरचना पर प्रासंगिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जिसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और भारतीय रेल में लाइन क्षमता का संवर्धन पर प्रतिवेदन शामिल हैं। कराधान विषय पर, हमने कर अपवंचन के विरुद्ध निवारक तंत्रों, कर क्रेडिटों जीएसटी में अंतरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

राज्य स्तर पर हमारा ध्यान केंद्रण शिक्षा क्षेत्र पर था जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक शिक्षा समस्त श्रेणी को शामिल किया गया। हमारा अवसंरचना संबंधी ध्यान केंद्रण सड़क परियोजनाओं, विद्युतीकरण, जलापूर्ति और भूमि विकास के कार्यान्वयन पर था। पर्यावरण लेखापरीक्षाओं में खनन के प्रभाव, भूजल/बाढ़ का जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल था। इसे वर्ष के दौरान तैयार किए गए 73 लेखापरीक्षा



प्रतिवेदनों में यथोचित रूप से दर्शाया गया है जिनमें से 15 संसद में और 58 राज्य विधान-मंडलों में प्रस्तुत करने के लिए थे।

जनवरी 2019 में प्रस्तुत की गई 'अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस)' के कार्यों पर हमारा पहला संवादमूलक डिजिटल प्रतिवेदन हमें रिपोर्टिंग हेतु वेब आधारित संवादमूलक प्रारूप का उपयोग करने वाली कुछ चयनित सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के संघ में रखता है।

हमारी उपलब्धियों का श्रेय हमारे कार्मिकों के समर्पित कार्य को जाता है। हमने महत्वपूर्ण रूप से उनके पेशेवर विकास में निवेश किया है, जिसके अनुसार क्षमता निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नोएडा और जयपुर में हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों दोनों के लिए आईटी और पर्यावरणीय क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिए। इन केंद्रों में 226 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासन एवं कार्यप्रणाली के उभरते क्षेत्रों के प्रति हमारे दृष्टिकोण के संवर्धन हेतु फरवरी 2018 में शुरू की गई "बी.आर. अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला" इस वर्ष भी जारी रही।

हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और इंटोसाई और एसोसाई की गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड (यूएनबीओए) के सदस्य के रूप में हमारी नियुक्ति हमें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, बाल निधि, संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लेखापरीक्षण की बड़ी जिम्मेदारी प्रदान करती है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रथाओं और पद्धतियों को सुधारने में प्रगति करना भी जारी रखा ताकि वे सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप हों।

मुझे विश्वास है कि यह निष्पादन प्रतिवेदन विभाग के कार्यों और गतिविधियों के बारे में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करने में नीति निर्माताओं, कार्यकारियों, शिक्षाविदों और जनता के सदस्यों सहित हमारे हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम अपने सभी हितधारकों को उनके सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं।

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
...	निष्पादन की मुख्य बातें	i - v
	प्राक्कथन	1
1	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के बारे में	3
2	महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ - लेखापरीक्षा	19
3	महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ-लेखा एवं हकदारी	34
4	व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन	49
5	हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं	54
6	आईएएडी में क्षमता निर्माण	63
7	संगोष्ठी एवं कार्यक्रम	75
8	प्रमुख हितधारकों के साथ हमारा संपर्क	81
9	अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान	85
	संलग्नक ।	99



निष्पादन की मुख्य बातें

I. निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के प्रभाव, मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों और हमारे संसाधनों के उपयोग की प्रभावकारिता सहित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएडी), भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई इंडिया) के महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करता है।

II. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के विषय में

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं।
- सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार का वर्णन करने वाला मूल विधान है जिसमें संघ और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सार्वजनिक कोष या अन्य निकाय/प्राधिकरण से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित अन्य निकाय या प्राधिकरण आते हैं जिनकी लेखापरीक्षा का कार्य जनहित में सीएजी को सौंपा गया है। संसद के कई अन्य अधिनियमों में

सीएजी द्वारा कुछ संवैधानिक प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है।

- इस अधिनियम में सीएजी द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण का भी प्रावधान है।
- भारत के सीएजी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के माध्यम से करते हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी मुख्यालय की सहायता 138 क्षेत्रीय कार्यालयों (समूचे भारत में फैले 134 कार्यालय और विदेश स्थित 4 कार्यालय) द्वारा की जाती है।

III. लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम

- हमने 47,976 इकाइयों की लेखापरीक्षा की, जो संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 94.8 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 92.18 प्रतिशत था।
- हमने विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों को 36,304 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए।
- हमने 73 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये, जिसमें 95 निष्पादन लेखापरीक्षा विषय शामिल थे जिसमें से 15 संसद में तथा 58 राज्य विधान मंडलों में प्रस्तुत करने हेतु थे। इनमें से वर्ष के दौरान 14 प्रतिवेदन संसद के समक्ष और 45



प्रतिवेदनों को राज्य विधान-मंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- हमने संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाइयों को 1,435 सिफारिशें की। इनमें से 583 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।
- हमने वर्ष के दौरान 95 निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया। हमने 606 सिफारिशों की जिनमें से लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा 291 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।
- हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य के 4,475 लेखाओं की जाँच की।
- अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में हमने 177 कम्पनियों और निगमों के लेखाओं में सुधार किया। इन परिवर्तनों का प्रभाव (क) लेखाओं की टिप्पणियों में संशोधन: ₹ 4,541.53 करोड़ (ख) वर्गीकरण त्रुटियाँ: ₹ 2,852.14 करोड़ (ग) लाभ और हानि में परिवर्तन: ₹ 5,872.98 करोड़ और (घ) परिसम्पत्तियों और देयताओं में परिवर्तन: ₹ 6,577.56 करोड़ था।
- हमने नियमों, विनियमों में विचलन, योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में कमियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच

समन्वय के अभाव आदि के बारे में बहुत से दृष्टांत बताए।

- 31 मार्च 2019 को संघ तथा राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर 9,305 की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ अभी हमें प्राप्त होनी थी।

IV. लेखा एवं हकदारी के मुख्य परिणाम

- हमने 2018-19 के दौरान 5,18,494 पेंशन प्राधिकार तथा पेंशन संशोधन मामलों का निपटान किया।
- हमने वर्ष के दौरान कोषागारों/उप कोषागारों के 2,708 निरीक्षण किए। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 2,626 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गई थी और हमने 3,145 सिफारिशें की।
- वर्ष के दौरान हमने सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को 96.32 प्रतिशत लेखा विवरण समय पर जारी किए।

V. व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन

- भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए गए थे। चार आईजीएएस तथा पांच आईजीएफआरएस (भारतीय सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) भारत सरकार के विचाराधीन थे।
- मार्च 2014 में लेखापरीक्षा और लेखांकन नीति एवं उनके कार्यान्वयन के क्षेत्र के



मामलों के लिए व्यावसायिक प्रथाओं के लिए तकनीकी बोर्ड का गठन किया।

- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के उपाय के रूप में भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के 27 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

VI. संसाधन प्रबंधन

- हमने 2018-19 में ₹ 4,778.13 करोड़ खर्च किए।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफ पर हमारी एचआर नीति का मुख्य संकेन्द्रण जारी रहा।

VII. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में क्षमता निर्माण

- अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा) ने पांच अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 151 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया तथा बीस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जिसमें 537 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी) ने 75 प्रतिभागियों के लिये तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा आईसीईडी ने 324 अधिकारियों के लिए 15 संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

- डाटा विश्लेषण में विभागीय क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में 262 अधिकारियों को डाटा विश्लेषण पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (आरटीआई)/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (आरटीसी) में प्रशिक्षण दिया गया था।
- आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने 134 कार्यालयों में 1,996 पाठ्यक्रम आयोजित किये और 33,081 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

VIII. प्रमुख हितधारकों के साथ हमारा संपर्क

- मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित की।

IX. अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी एवं योगदान

- आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीआईटीए) की 27वीं बैठक का आयोजन 17-18 अप्रैल, 2018 को लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण बोर्ड (बीएआई), सिडनी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। डब्ल्यूजीआईटीए की बैठक का संचालन तथा अध्यक्षता भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने की थी।
- सीएजी ने 20 से 22 जून 2018 को ब्रिटिसलावा, स्लोवाक रिपब्लिक में "समकक्ष समीक्षा करने हेतु साई को प्रेरित और सज्जित करने" पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया। सम्मेलन में समकक्ष समीक्षा नियोजित करने और



निष्पादन के मापन हेतु विभिन्न इंटोसाई के साधनों के उपयोग का पता लगाया गया।

- सीएजी ने नवंबर 15-16, 2018 को मोस्को में 71वें इंटोसाई शासी बोर्ड की बैठक में भाग लिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने केएससी के अध्यक्ष के रूप में बैठक में केएससी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- सीएजी जुलाई 2014 से जून 2020 की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के एक सदस्य हैं।
- साई-इंडिया कई यूएन संगठनों अर्थात् यूएन सचिवालय (खण्ड I), यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि), यूएनओपीएस (संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवाओं के लिए कार्यालय), यूएनसीसी (संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग), आईटीसी (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र), यूएमओजेए (यूएन का ईआरपी सिस्टम) और सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी नीति की लेखापरीक्षा के लिए प्रमुख लेखापरीक्षक है।
- सीएजी इंटोसाई के शासी बोर्ड के सदस्य हैं। वह 2018 तक एसोसाई के शासी बोर्ड में रहें।
- सीएजी आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी समूह तथा ज्ञान सहभाजन एवं ज्ञान सेवाओं पर इंटोसाई समिति-ध्येय 3 (केएससी) और इसकी संचालन समिति के

अध्यक्ष हैं।

- 24 एवं 25 जुलाई 2018 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के जुलाई 2018 के सत्र में भारत के सीएजी ने संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सत्र की अध्यक्षता की।
- सीएजी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के 48वें विशेष बोर्ड सत्र की अध्यक्षता भी की थी।
- सीएजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 3-4 दिसंबर, 2018 को बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल के उनसठवें (2018) नियमित सत्र में भाग लिया था।

X. नई पहलें

- आंध्र प्रदेश में लेखा एवं हकदारी कार्यालय द्वारा 1997 के बाद की अवधि से जीपीएफ खातों में क्रेडिट चूक और डेबिट चूक को देखने के लिए नया वेबपेज विकसित किया गया है।
- केरल में जीपीएफ आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किए जाते हैं और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-अथॉरिटी को केरल के वेतन एवं पेट्रोल प्रशासक संग्राहक (एसपीएआरके) को भेजा जाता है।



अभिदाता इसे ऑनलाइन देख सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं।

- नागालैंड में 2017-18 के दौरान शुरू की गई ऑनलाइन जीपीएफ सूचना प्रणाली के लिए कार्यालय को प्रथम पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी सभा, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की एक पहल में उद्यम एप्लिकेशन श्रेणी का पुरस्कार दिया गया था।
- कुंभ मेला में उत्तर प्रदेश-1 कार्यालय द्वारा 1988 से पूर्व सेवानिवृत्त जीपीएफ अभिदाताओं और पेंशनधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक कैंप कार्यालय स्थापित किया गया था। 800 से अधिक जीपीएफ अभिदाता कैंप में आए और उनकी सभी शंकाओं का पूर्णतः निपटान किया गया।
- उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को सुविधा देने हेतु अथवा जीपीएफ से संबंधित सूचना का पता लगाने हेतु जीपीएफ उत्तराखंड नामक एक नया मोबाइल एप शुरू किया गया था। लगभग 96 प्रतिशत अभिदाताओं ने एसएमएस सुविधा के लिए अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया था।
- हरियाणा में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), एफपीपीओ और अन्य प्राधिकार पत्र कार्यान्वित किए गए थे। केरल में साई मांडयूल में ई-प्राधिकार और पेंशन प्रस्ताव

अपलोड करने की प्रणाली को पेंशन दावों को तीव्रता से संसाधित करने के लिए कार्यान्वित किया गया था।

- हरियाणा में लगभग 2.15 लाख पेंशन के मामलों को स्कैन और डिजिटाइज किया गया था। केरल कार्यालय ने भी पेंशन अभिलेखों के लगभग 20.96 लाख पृष्ठों को स्कैन और डिजिटाइज किया था। तमिलनाडु कार्यालय ने लगभग 7 लाख पेंशन मामलों को डिजिटाइज किया था।
- कर्नाटक में राजपत्रित हकदारियों के समस्त कार्यकलापों को जीईएमएस के कार्यान्वयन द्वारा कम्प्यूटरीकृत किया गया था।
- वित्तीय विवरणों पर मत बनाने और रिपोर्टिंग पर कार्यप्रणाली नोट के अनुसार, वित्त एवं विनियोजन लेखाओं पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र में 'विषयवस्तु का महत्व' शामिल किया जाना है।
- लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा हितधारकों के साथ सीधे संपर्क बनाने हेतु कर्मचारियों के लिए अदालत और कोषाधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करके राष्ट्रव्यापी पहल की गई थी ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्राक्कथन

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संघ और राज्यों और अन्य सत्वों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारत की एक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) है और इससे लेखापरीक्षित सत्वों की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य उस सीमा तक रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है जिस तक साई इंडिया ने अपने लेखापरीक्षा अधिदेश तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपने कर्तव्यों को पूरा किया है। यह साई संसाधनों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता और हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव भी दर्शाती है।

यह प्रतिवेदन सीएजी तथा भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करने का प्रयास करता है इसीलिये हमारे ग्राहकों और हितधारकों, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करता है। साथ ही यह हमारे संगठन में नवप्रवर्तन के बारे में सूचना साझा करता है।



अध्याय 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के बारे में

1. हम कौन हैं?

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा उसके अधीन कार्य करने वाला भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएडी) संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र प्रदान करता है। संसदीय लोकतंत्र में जाँच और संतुलन की संवैधानिक योजना में इस संस्थान को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बनाया गया है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकृत मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राज्यों में सीएजी का प्रतिनिधित्व करने वाले साई इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट और अनुपूरक विनियोजनों का अनुमोदन करता है और सरकार को कर एकत्र करने का प्राधिकार देता है। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमावली है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढाँचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में भारत के सीएजी के लिए विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है। सीएजी केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें बड़े सार्वजनिक संसाधन शामिल हैं, वहाँ हमारे संघीय बहुदलीय प्रजातंत्र के दृष्टिगत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका का बहुत महत्व है। अभी हाल ही में देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक आदर्श परिवर्तन हुआ है जिसमें विशेष उद्देश्य वाली संस्थाओं (एसपीवी) जैसे न्यासों, समितियों तथा एनजीओ द्वारा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एवं सार्वजनिक व्यय के स्तर में हो रही वृद्धि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सिविल सोसायटी भी प्रमुख हितधारक है।



II. हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

हमारी दूरदृष्टि

यह दर्शाती है कि हम क्या बनना चाहते हैं: हम विश्व में अग्रणी बनने और सार्वजनिक क्षेत्रों लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के आरम्भकर्ता और स्वतंत्र, विश्वसनीय, सार्वजनिक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।

हमारा उद्देश्य

हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित हम उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों, विधानमण्डल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं ताकि लोक निधियों का दक्षता से अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

हमारे नैतिक मूल्य

हम जो कुछ करते हैं उसके लिए हमारे नैतिक मूल्य उन सभी के लिए मार्गदर्शक हैं और हमारे निष्पादन: स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तथा सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं।



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

III. साई की स्वतंत्रता

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.एस.ए.आई 1 में परिकल्पित है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनकी स्वतंत्रता की आवश्यक सीमा संविधान में निर्धारित की जाएगी जबकि विवरण कानून में निर्धारित किए जा सकते हैं।

भारत के संविधान में भारत सरकार और राज्यों की कार्यकारी शाखा से सीएजी की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 149 और 150 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका का भाग है।

संविधान में निम्नलिखित के प्रावधान से सीएजी को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति;
- सीएजी को हटाने की विशेष प्रक्रिया; जैसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू है;

- सीएजी का वेतन और भत्ते संसद के मत के अधीन नहीं हैं; तथा
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में सीएजी की अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वे होगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से ही निर्धारित की जाएंगी।

IV. हमारा लेखा अधिदेश ¹

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित सीएजी के डीपीसी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में सीएजी द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, सीएजी लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ-राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है; के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित मांगी गई सूचना भी देता है और सहायता भी प्रदान करता है। हम कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते हैं।

¹सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10, 11 और 12



यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के ढंग की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और निधियों के अधिक व्यय, वापस की गई राशि, व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं।

V. हमारा लेखापरीक्षा अधिदेश

सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश को सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 और संसद द्वारा बनाए गए कुछ अन्य कानूनों में परिभाषित किया गया है। सीएजी को निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के अधिदेश है:

- संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि में से सभी प्राप्तियाँ और व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केन्द्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर न्यासी या बैंकर के रूप में सरकार द्वारा धारित जनता के निजी धन की आवाजाही (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;
- सभी सरकारी कम्पनियों के लेखे जहां सरकारी इक्विटी निवेश 51 प्रतिशत से कम नहीं है;

- सभी विनियामक निकायों, अन्य संवैधानिक प्राधिकरणों/निगमों के लेखे, जिनमें सीएजी द्वारा उनकी लेखापरीक्षा का शासी विधियों में प्रावधान है;
- सरकारी कोष से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे;
- सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के समर्थकारी प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल/उप राज्यपाल द्वारा लोकहित में सीएजी को लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट रूप से सौंपे गए एक निकाय या प्राधिकरण के लेखे;

सीएजी को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं:

- राज्य सरकारों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा स्कंधों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के मुख्य लेखापरीक्षक हैं।
- 2012 में यथा संशोधित वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत संघ सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में इसके निष्पादन की समीक्षा करना।
- केन्द्रीय करों/शुल्कों की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करना जो राज्यों के साथ सहभाजन योग्य है।



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

VI. लेखापरीक्षा हेतु अन्य शक्तियां

सीएजी के पास किसी निजी कम्पनी के जो सामान्यतया सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश में नहीं है, लेखाओं की लेखापरीक्षा का भी अधिकार है, यदि कम्पनी को लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें अपेक्षित है कि कम्पनी उससे अर्जित राजस्व के एक भाग को सरकार के साथ सहभाजित करेगी। इस अधिकार को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 के निर्णय द्वारा टेलिकाम सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों के संबंध में समर्थन दिया गया था। इसके अतिरिक्त, किसी भी निकाय या प्राधिकरण, जिसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी नहीं है, की लेखापरीक्षा भी सीएजी डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 20 के तहत जनहित में सीएजी को सौंपी जा सकती है।

VII. हमारी शक्तियां

ऊपर उल्लेखित कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सीएजी के पास निम्नलिखित शक्तियाँ² हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;
- किसी लेखापरीक्षित सत्त्व से किन्हीं अभिलेखों, कागज़ों, दस्तावेजों को मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और तरीके का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जाँच और कार्यपालिका

से प्रश्न करना; और

- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

शक्तियों का प्रत्यायोजन:

सीएजी डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है, इस अपवाद को छोड़कर कि जब सीएजी छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियम बनाने की शक्तियाँ:

सीएजी डीपीसी अधिनियम, के प्रावधानों को लागू करने जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है, के लिए विनियम बना सकता है।

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, की धारा 23 के अन्तर्गत 2007 में "लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली" जारी की गई थी। विनियम साई,

²सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 21, 22, 23 और 24



इंडिया के लेखांकन अधिदेश के साथ लेखापरीक्षण के कार्यक्षेत्र, तरीके और सीमा को विस्तृत रूप में परिभाषित करते हैं।

नियम बनाने की शक्तियाँ

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरान्त केन्द्र सरकार लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों को लेखे सौंपने वाले कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को रखने के तरीके सहित संघ तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा लेखाओं के रखरखाव हेतु नियम बनाने के लिये प्राधिकृत है।

VIII हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं:

लेखापरीक्षा हेतु अपनाए जाने वाला कार्यक्षेत्र, सीमा, कार्यप्रणाली एवं उपागम में सीएजी का ही विवेकाधार है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप लेखापरीक्षित सत्वों में वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

VIII क अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के अनुपालन के लिए सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की जांच की जाती है:

- भारत के संविधान और लागू कानूनों के प्रावधान; और

- या तो भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों के अनुपालन में अथवा उच्च प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियम, विनियम, आदेश एवं अनुदेश।

अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावकारिता के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है अर्थात् क्या वे निम्नानुसार हैं:

- भारत के संविधान के प्रावधान और विधि (वैधानिकता) के प्राधिकार के अधीन;
- अपशिष्ट, दुरुपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं (पर्याप्तता) के कारण हानि के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं के ऊपर पर्याप्त रूप से व्यापक और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना;
- अस्पष्टता से मुक्त तथा स्पष्ट और निर्णय लेने में सत्यनिष्ठा से अनुपालन को बढ़ावा देना (पारदर्शिता);
- विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्ता (उपयुक्त और विवेकपूर्ण); और
- प्रभावी और अभिप्रेत उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त करना। (प्रभावकारिता);



VIII ख वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा मूल रूप से वित्तीय विवरणों के समूह पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने से सम्बन्धित है। इसमें निम्न शामिल हैं:-

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता का आश्वासन सुनिश्चित करते हैं।

VIII ग निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र निर्धारण अथवा जाँच-पड़ताल है जहाँ तक संगठन, कार्यक्रम अथवा योजना का संचालन मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी रूप से होता है। निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारण करती है:

1. **मितव्ययिता** - किसी कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त, उपयुक्त गुणवत्ता वाले संसाधन को न्यूनतम करना है। मितव्ययिता वहाँ

होती है जहाँ समान गुणवत्ता संसाधन कम से कम लागत पर प्राप्त किए जाते हैं।

2. **दक्षता** - आउटपुट (वस्तुएं, सेवाएं अथवा अन्य परिणाम) और उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों (इनपुट) के बीच एक संबंध है। दक्षता वहाँ विद्यमान है जहाँ संसाधनों (वित्तीय, मानव, प्रत्यक्ष और सूचना) का उपयोग ऐसा है कि आउटपुट को संसाधन इनपुट के दिए गए सैट से अधिकतम किया जाता है अथवा इनपुट को आउटपुट की दी गई मात्रा और गुणवत्ता के लिए न्यूनतम किया जाता है।
3. **प्रभावकारिता** - प्रभावकारिता उस सीमा तक है जहाँ तक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और कार्यक्रम के अभिप्रेत प्रभाव और वास्तविक प्रभाव के बीच संबंध है। प्रभावकारिता उस मुद्दे का समाधान करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।

IX हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साई स्तर पर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया अनेक चरणों का अनुसरण करती है, जैसा निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

नीतिगत योजना भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लम्बी अवधि की योजना के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

नीतिगत योजना 2020 में निर्धारित उच्च

स्तरीय नीतिगत लक्ष्य

- लक्ष्य 1: एकीकृत लेखापरीक्षा प्रयास
- लक्ष्य 2: सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षण में व्यवसायिकता को बढ़ावा देना
- लक्ष्य 3: हितधारक के साथ संचार को सुधारना तथा उच्च दृश्यता सुनिश्चित करना
- लक्ष्य 4: लेखापरीक्षा प्रभावकारिता को

कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान की जाने वाली योजनाबद्ध अलग-अलग लेखापरीक्षाओं का विस्तृत उल्लेख होता है। वार्षिक योजना उपयोग में मामले या यूनिट के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण और अन्य प्रासंगिक मापदण्डों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। इसे आगे लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधन, मानव



- बढ़ाना
- लक्ष्य 5: लेखांकन तथा हकदारी कार्यों की शैली को सुधारना
- लक्ष्य 6: मानव संसाधन प्रबंधन को सुधारना

वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास नीतिगत योजना के आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय

एवं वित्त दोनों द्वारा भी परिभाषित किया गया है। हम नियोजित किए जाने वाले दल, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम भी बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय, सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए विभिन्न



लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित सत्व को एक रिपोर्ट जारी की जाती है। जिसे निरीक्षण रिपोर्ट कहा जाता है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जिनको संघ तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए आगे संसाधित किये जाते हैं।

लेखापरीक्षित सत्वों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की आशा की जाती है और उनको लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजना अपेक्षित है। संघ और राज्य स्तरों पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित लोक लेखा समिति (पीएसी) और लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की बैठकों में चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा सिफारिशों के अनुपालन की जाँच-पड़ताल की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

विभिन्न लेखापरीक्षित सत्वों द्वारा गठित लेखापरीक्षा समितियां लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पालन के लिये नियोजित तंत्र है। लेखापरीक्षित

स्वत्व और आईएएडी के अधिकारियों से बनी लेखापरीक्षा समितियां, अनुवर्ती प्रक्रिया की निगरानी करती हैं ताकि, अनुबोध अंतराल को कम किया जा सके और मुख्यतः निरीक्षण रिपोर्टों से संबंधित बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाया जा सके।

प्रत्येक कार्यालय की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा करके विभागीय स्तर की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में शामिल किया जाता है ताकि विभिन्न अनुभागों और विषयों के बीच संसाधनों और अपेक्षाओं के संतुलन के पश्चात् इसे लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं में दर्शाया जा सके। लेखापरीक्षा योजना की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

X वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2018-19 की मुख्य बातें

पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2018-19 ने वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों को पहली प्राथमिकता दी थी जिनमें लेखों के प्रमाणीकरण और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रमाणन लेखापरीक्षा शामिल हैं। हमारी अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं की कवरेज लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता और



समयबद्धता पर बल देने के साथ, हमारे शेष संसाधनों के ईष्टतम उपयोग करने से मार्गदर्शित होती है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2018-19 में उत्पाद उन्मुखीकरण से प्रक्रिया उन्मुखीकरण तक लेखापरीक्षा फोकस को पुनः स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया था अर्थात् लेखापरीक्षा की पूर्णता के बाद लेखापरीक्षा उत्पाद का निर्णय लिया जाएगा, जो उसके परिणाम पर निर्भर होगा। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2018-19 में संघ स्तर पर 495 साक्षेउ, 407 स्वायत्त निकायों और 51 बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और राज्य स्तर पर 1271 साक्षेउ, 1086 स्वायत्त निकायों और 177 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, योजना में संघ स्तर पर 2168 सर्वोच्च लेखापरीक्षणीय इकाइयों में से 1267, 33743 लेखापरीक्षा इकाइयों में से 12050 और 33675 कार्यान्वयन इकाइयों में से 8098 तथा राज्य स्तर पर 213 सर्वोच्च लेखापरीक्षणीय इकाइयों में से 125, 62519 लेखापरीक्षा इकाइयों में से 12040 तथा 520470 कार्यान्वयन इकाइयों में से 16969 की लेखापरीक्षा परिकल्पित की गई।

XI हमारा संगठन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 46,000 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित

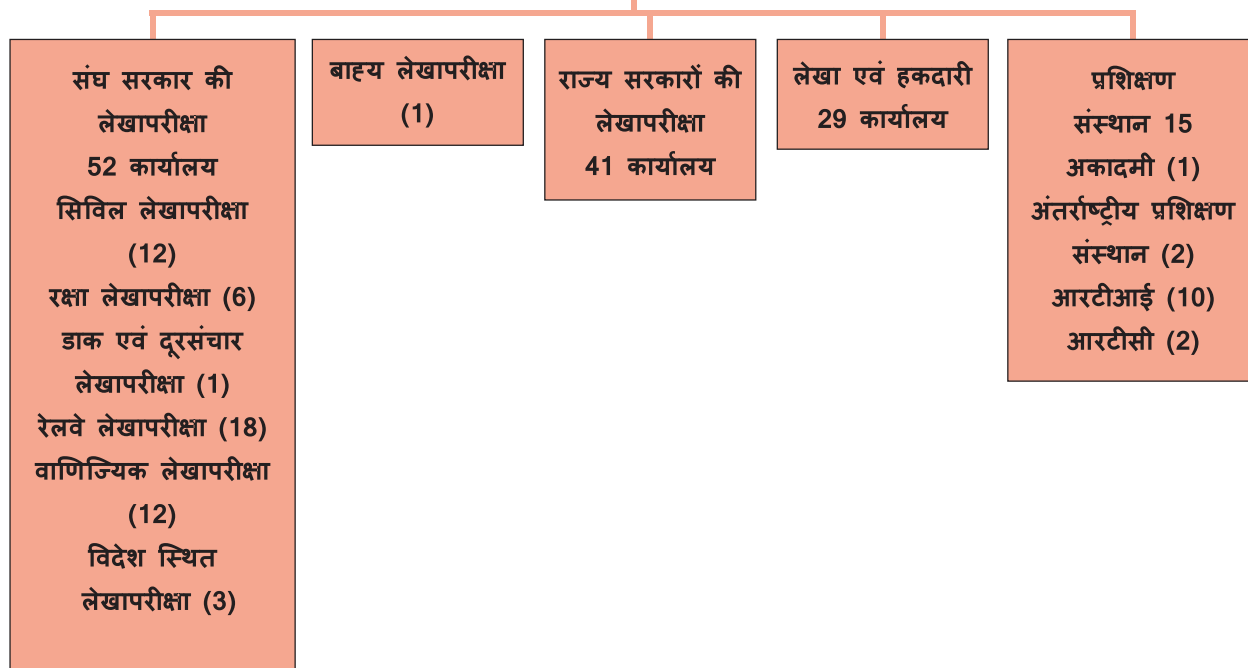
सीएजी कार्यालय आईएएडी का मुख्यालय है। 2018-19 के दौरान, 138 क्षेत्रीय कार्यालयों (पूरे देश में 134 और विदेश में 4 कार्यालय स्थित हैं) ने इसकी सहायता की।

सीएजी का कार्यालय

नई दिल्ली में स्थित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से संबंधित सभी कार्यकलापों का निर्देश, निगरानी और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, मिशन और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षा मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रसंस्करण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यवसायिक प्रथाएं, नीतिगत प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, बिग डेटा मैनेजमेंट इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं जो सीएजी को रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक और उप निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। सीएजी कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट **संलग्नक I** में दिया गया है।



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय



XII आईएएडी में क्षेत्रीय कार्यालय

सीएजी कार्यालय के कार्यात्मक स्क्ंध की सहायता देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। ये कार्यालय वास्तव में सीएजी के लेखा एवं लेखापरीक्षा के अधिदेश को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकारों की चर्चा नीचे की गई है:

- महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालय (37) संघ सरकार के कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें सिविल मंत्रालय और विभाग, रक्षा, भारतीय रेल और डाक एवं दूरसंचार शामिल हैं।

- प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड (एमएबी) के कार्यालय (12) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे संवैधानिक निगमों के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित करते हैं और सरकारी कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। वे पीएसयू में अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं।
- विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय (3) वॉशिंगटन, लंदन और क्वालालम्पुर लेखापरीक्षा दूतावासों और प्रत्येक क्षेत्र में अन्य सरकारी संस्थाओं का प्रमुख प्रधान निदेशक अध्यक्ष हैं।



- बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय (1) यूएन बाह्य लेखापरीक्षक बोर्ड के सदस्य के रूप में साई इंडिया द्वारा की जा रही संयुक्त राष्ट्र के ओवरसीज़ आडिट के लिए (जून 2014 में स्थापित) न्यूयार्क में निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा।
- प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय (41) प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा, राज्य में सरकारी कंपनियों, निगमों और स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।
- प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (ले. एवं हक) की अध्यक्षता में लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक) कार्यालय (29) राज्य सरकार के लेखाओं के रख-रखाव और उनके कर्मचारियों के जीपीएफ एवं पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के कार्य में लगे हैं।
- प्रशिक्षण संस्थान (15) तीन अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, दस क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आईएएडी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में लगे हैं।

लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार और विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए)	
सिविल	12
रक्षा	6
डाक एवं दूरसंचार	1
रेलवे	18
वाणिज्यिक	12
विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय	3
Total	52
बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय	1
राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय	41
राज्य लेखा एवं हकदारी कार्यालय	29
अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान / क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान / क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	15
Grand Total	138



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

XIII क संघ सरकार की लेखापरीक्षा के लिए संगठनात्मक ढाँचा

- मुख्यालय स्तर पर संघ सरकार की लेखापरीक्षा के लिए संगठनात्मक ढाँचे को संक्षिप्त रूप में नीचे दर्शाया गया है:
- मंत्रालयों की लेखापरीक्षा में लगे क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् महानिदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालयों (केन्द्रीय व्यय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आर्थिक सेवा मंत्रालय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग), महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे), महानिदेशक और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा तथा वाणिज्य विभाग के प्रधान निदेशक को भी क्षेत्रीय रूपरेखा दी गई है।
- केन्द्र सरकार की इकाइयों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा नौ कार्यालयों (नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद तथा लखनऊ) और नौ शाखा कार्यालयों (पोर्ट ब्लेयर, गुवाहाटी, ग्वालियर, कोच्चि, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, पटना, रांची तथा जयपुर) द्वारा की जाती हैं।
- वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संघ सरकार के निष्पादन की समीक्षा हेतु मुख्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया गया है।

	क्षेत्र
डीएआई (वाणिज्यिक)	आर्थिक तथा अवसंरचना मंत्रालय
डीएआई (रिपोर्ट केन्द्रीय एवं स्थानीय निकाय)	सामाजिक एवं सामान्य सेवा मंत्रालय तथा स्थानीय निकाय
डीएआई (सरकारी लेखे)	सरकारी लेखे
डीएआई (केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	केन्द्रीय राजस्व/प्राप्तियां
डीएआई (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	रक्षा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे



XIII ख राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा

- राज्यों में सभी लेखापरीक्षा कार्यकलाप अर्थात् सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा, राज्य स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, कार्य के निम्नलिखित वितरण के अनुसार एडीएआई द्वारा

क्षेत्राधिकार का आवंटन भौगोलिक आधार पर है। अन्य राज्यों के मामले में, जहां पर केवल एक महालेखाकार कार्यालय है वहाँ ग्रुप अधिकारियों के बीच अधिकार का आवंटन क्षेत्रीय आधार पर किया गया है।

- स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के कार्यालयों का विलय प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) से

एडीएआई उत्तरी क्षेत्र	एडीएआई मध्य क्षेत्र	एडीएआई पूर्वी क्षेत्र	एडीएआई पश्चिमी क्षेत्र	एडीएआई दक्षिणी क्षेत्र	एडीएआई उत्तर पूर्वी क्षेत्र
दिल्ली	बिहार	आंध्र प्रदेश	गोवा	कर्नाटक	अरुणाचल प्रदेश
हरियाणा	छत्तीसगढ़	तेलंगाना	गुजरात	केरल	असम
हिमाचल प्रदेश	झारखंड	ओडिशा	महाराष्ट्र	तमिलनाडु	मणिपुर
जम्मू और कश्मीर	मध्य प्रदेश	पश्चिम बंगाल	राजस्थान	पुदुचेरी	मेघालय
पंजाब	उत्तर प्रदेश				मिजोरम
उत्तराखंड					नागालैंड
					सिक्किम
					त्रिपुरा

समन्वयित तथा पर्यवेक्षित किए जाते हैं।

- 9 राज्यों³ में से प्रत्येक में 2 अप्रैल 2012 से, दो राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् प्रधान महालेखाकार (सामाजिक तथा सामान्य क्षेत्र) तथा प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) हैं। महाराष्ट्र के मामलों में, प्रधान महालेखाकारों के बीच

संबंधित कार्यालयों के साथ 2 अप्रैल 2012 से कर दिया गया है।

- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली राज्य एजेंसियों की लेखापरीक्षा को राज्य महालेखाकार द्वारा जारी रखा जाएगा।

³ गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

XIV लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

- लेखापरीक्षा से संबंधित विषयों में सीएजी को सलाह देने और निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने और सीएजी के संवैधानिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड में विविध क्षेत्रों से प्रसिद्ध

पेशेवर शामिल हैं। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड को प्रत्येक दो वर्षों में पुनः गठित किया जाता है। 2018-20 के दो वर्ष के लिए दिसंबर 2018 में गठित नौवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य निम्नानुसार थे:

श्री राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	पदेन अध्यक्ष
न्यायमूर्ति (से.नि.) बी. एन. श्रीकृष्ण पूर्व न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय	सदस्य
श्री नंदन नीलेकनी अध्यक्ष, इंफोसिस बोर्ड	सदस्य
डॉ. रुक्मणी बैनर्जी सीईओ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन	सदस्य
श्री मनीष सभवाल अध्यक्ष, टीम लीज़ सर्विसेज़	सदस्य
श्री धीरेंद्र स्वरूप भूतपूर्व सचिव, वित्त मंत्रालय	सदस्य
श्री राधा कृष्ण माथुर भारत के भूतपूर्व मुख्य सूचना आयुक्त	सदस्य
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त	सदस्य
अध्यक्ष, आईसीएआई	सदस्य
श्री पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन चैंपियन/कोच	सदस्य
श्री अरुण कुमार सिंह भूतपूर्व भारतीय राजनयिक	सदस्य
डॉ. देवी प्रसाद शेड्डी अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, नारायणा, हैल्थ	सदस्य
सभी उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन सदस्य
सभी अपर उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन सदस्य



- नए पुर्नगठित बोर्ड की प्रथम बैठक 7 जनवरी 2019 को हुई थी, जिसमें अच्छी शासन प्रणाली, लेखापरीक्षा के प्रभाव, लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता, लेखापरीक्षा निर्देशन, लेखापरीक्षा अप्रोच आधारित परिणाम तथा डोमेन विशेषज्ञता विकसित करने हेतु योगदानकर्ता के रूप में लेखापरीक्षा की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
- लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता के अन्तर्गत सभी राज्यों में भी किया जाता है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के सदस्य हैं। नामित सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से लिए जाते हैं।

अध्याय 2

महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ-लेखापरीक्षा

विभाग के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना शामिल है।

इन लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम निरीक्षण रिपोर्टें, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र हैं। इन लेखापरीक्षा उत्पादों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना आईएएडी का मुख्य परिणाम क्षेत्र है। इस अध्याय में हमने हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की सूचना दी है तथा 2018-19 के दौरान हमारे लेखापरीक्षा उत्पादों का विशेष उल्लेख किया है।

1 अनुपालन, निष्पादन, वित्तीय सत्यापन

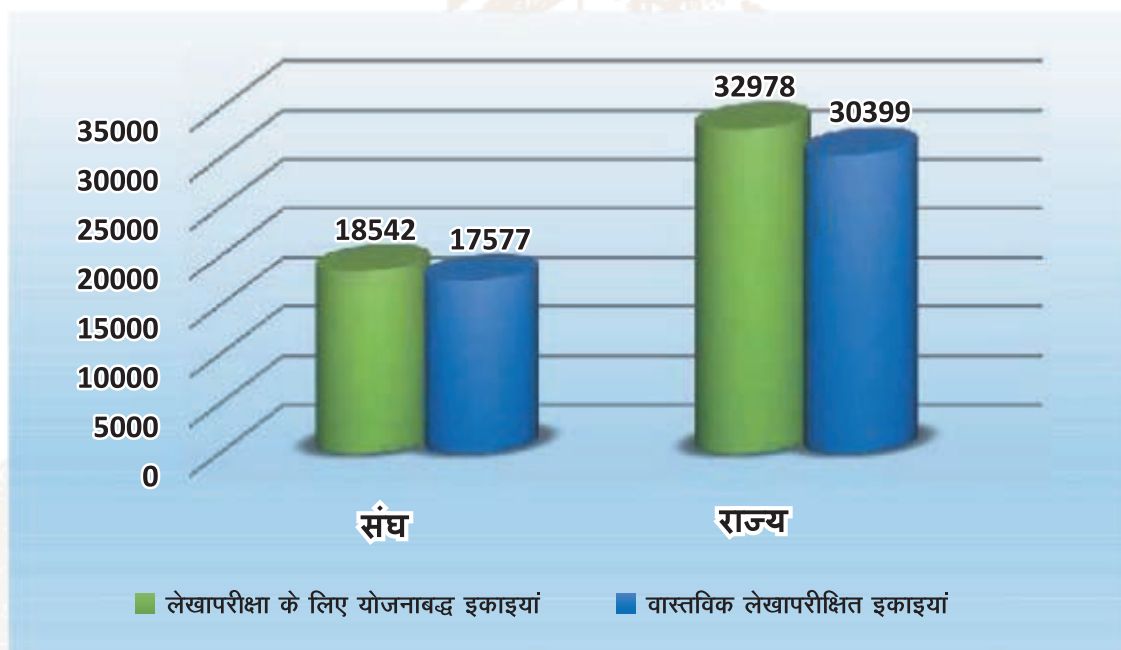
लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

आईएएंडएडी निष्पादन, वित्तीय तथा अनुपालन लेखापरीक्षा करता है। 2018-19 के दौरान की गई लेखापरीक्षाओं का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है:

1 क अनुपालन लेखापरीक्षा:

(i) लेखापरीक्षा कवरेज

2018-19 के दौरान कुल 47,976 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 94.8 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 92.18 प्रतिशत पूरा हो गया था।



	जारी निरीक्षण रिपोर्ट	30 दिनों के अंदर जारी निरीक्षण रिपोर्ट	30 दिनों में जारी निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतिशतता
संघ	12,774	11,003	86.14%
राज्य	23,530	18,528	78.74%
कुल	36,304	29,531	81.34%

(ii) निरीक्षण प्रदिवेदन

निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक लेखापरीक्षित सत्व की लेखापरीक्षा पूरी होने पर जारी लेखापरीक्षा का प्राथमिक उत्पाद है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित 47,976 इकाइयों में से 36,304 इकाइयों (75.67%) के मामलों में 2018-19 में निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। संघ स्तर पर 86.14 प्रतिशत निरीक्षण रिपोर्ट समय पर अर्थात् 30 दिनों के अन्दर जारी की गई जबकि राज्य स्तर पर 78.74 प्रतिशत निष्पादन समय पर थे।

(iii) अनुपालन लेखापरीक्षा में की गयी आपत्तियां:

अनुपालन लेखापरीक्षा में की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया जाता है।

2018-19 के दौरान 14,810 पैराग्राफ (संघ प्रतिवेदनों में 1,095 तथा राज्य प्रतिवेदनों में 13,715) इन प्रतिवेदनों में शामिल किये गये थे। संघ स्तर पर 1095 पैराओं में से 759 को स्वीकार कर लिया गया था और लेखापरीक्षित सत्वों द्वारा 73 पैराओं को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था।

राज्य स्तर पर 13,715 पैराओं में से 9,715 स्वीकार कर लिये गये थे और लेखापरीक्षित सत्वों द्वारा 220 पैरा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिये गये थे।

। ख निष्पादन लेखापरीक्षा

2018-19 के दौरान 95 निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन किया गया था, जैसा नीचे संक्षेप में दिया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा विषय	
संघ स्तर	16
राज्य स्तर	79
कुल	95

। ग वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ तथा राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के अलावा, आईएएडी सहायता प्राप्त करारों के भाग के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय को भी प्रमाणित करता है।

हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य के 4,475 लेखाओं की जांच की। लेखापरीक्षा के 2,956 प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा में जारी किये गए।

। घ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संविधान का अनुच्छेद 151 यह परिकल्पित करता है कि सीएजी प्रतिवेदनों को तैयार करेगा और संसद या राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करेगा।

हमने 2018-19 के दौरान 15 संसद तथा 58 राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु 73 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जिसमें 95 निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं) तैयार किए। इनमें से 14 प्रतिवेदन संसद हेतु तथा 45 प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के लिए 2018-19

	जांच किए गए लेखा	समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण
संघ/राज्य सरकार	316	283
पीएसयू	1,795	1,250
स्वायत्त निकाय	807	363
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	248	95
अन्य	1,309	965
कुल	4,475	2,956

लेखाओं के सत्यापन में विलम्ब अपूर्ण लेखों की प्राप्ति; लेखाओं के संशोधन; स्वायत्त निकायों, कम्पनियों और संवैधानिक निकायों से लेखाओं की विलम्ब से प्राप्ति; क्रियाविधिक विलम्ब; लेखाओं के सत्यापन हेतु अभिलेखों की प्राप्ति न होने के कारण विलम्ब तथा आपत्तियों का निपटान न होने, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब, महत्वपूर्ण मामलों पर प्रबंधन के साथ चर्चा, में लिया गया लम्बा समय और लेखाओं की बंचिंग के कारण था।

के दौरान प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों के 9 संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा 36 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी 2018-19 के दौरान संसद/विधानमण्डल में प्रस्तुत किए गए थे।

हमने संघ तथा राज्य स्तर पर अपनी लेखापरीक्षित सत्त्वों को 1435 सिफारिशें की। इनमें से 583 सिफारिशों को स्वीकार किया गया था।



	वर्ष के दौरान तैयार प्रतिवेदनों की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ सरकार	15@	130	73
राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र	58@@	1305	510
जोड़	73	1435	583

@ इनमें से, 2018-19 के दौरान 14 को संसद में प्रस्तुत किया गया।

@@ इनमें से, 2018-19 के दौरान 45 प्रतिवेदन राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किए गए।

II हमारा लेखापरीक्षा प्रभाव

II क निष्पादन लेखापरीक्षा

2018-19 के दौरान 95 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया गया था। हमने 606 सिफारिशों की इनमें से लेखापरीक्षित सत्वों द्वारा 291 सिफारिशों को स्वीकार किया गया जैसा नीचे दर्शाया गया है।

के लेखाओं में अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सुधार किये गये। इन परिवर्तनों का निहितार्थ निम्नलिखित था: (क) लेखाओं की टिप्पणियों में सुधार ₹4541.53 करोड़ (ख) वर्गीकरण चूकें: ₹2852.14 करोड़ (ग) लाभ तथा हानि में परिवर्तन: ₹5872.98 करोड़ और (घ) परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन: ₹6577.56 करोड़।

	निष्पादन लेखापरीक्षा विषय	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ स्तर	16	105	58
राज्य स्तर	79	501	233
कुल	95	606	291

II ख पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 177 कंपनियों तथा निगमों

III प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष के दौरान, संसद के समक्ष 23 प्रतिवेदन (पिछले वर्षों के 9 प्रतिवेदनों सहित) तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष 81 प्रतिवेदनों (पिछले वर्षों के 36 प्रतिवेदनों सहित) को प्रस्तुत किया गया। इन प्रतिवेदनों की प्रतियां हमारी वेबसाइट



www.cag.gov.in पर उपलब्ध हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन नीचे दिए गए हैं;

III क संसद में प्रस्तुत सीएजी के प्रतिवेदन

- राष्ट्रीय परियोजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2018 का प्रतिवेदन सं. 6)
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2018 का प्रतिवेदन सं. 10)
- भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा (2018 का प्रतिवेदन सं. 12)
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 15)
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 22)
- भारतीय रेलवे में चयनित स्टेशनों पर स्टेशन लाइन क्षमता में वृद्धि पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2018 का प्रतिवेदन सं. 17)
- भारतीय रेलवे द्वारा ठेका श्रमिकों की नियुक्ति में संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2018 का प्रतिवेदन सं. 19)
- वाणिज्यिक - अनुपालन लेखापरीक्षा - सामान्य उद्देश्य वित्तीय प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 18)
- रक्षा सेवाएं - भारतीय वायु सेना में पूंजीगत अधिग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन सं. 13)
- संचार - निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में बीएसएनएल द्वारा प्रदान की गयी दूरसंचार सेवाओं पर टी ए तथा डाक विभाग में कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन (सीआईएस) पर टीए, दूरसंचार विभाग में स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर पीए (2018 का प्रतिवेदन सं. 21)
- प्रत्यक्ष कर - मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2019 का प्रतिवेदन सं. 1)
- प्रत्यक्ष कर - रियल एस्टेट क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2018 का प्रतिवेदन सं. 1)
- अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क) - इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडीएस) और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) के कार्य चालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 16)
- रक्षा सेवाएं - आयुध निर्माणी पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 8)
- रक्षा सेवाएं - नौसेना और तटरक्षक बल पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018 का



प्रतिवेदन सं. 9)

- रक्षा सेवाएं - थलसेना पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 13)
- वाणिज्यिक - सीपीई की सामान्य उद्देश्य वित्तीय प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 18)
- एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 20)

III ख राज्य विधान मंडलों में प्रस्तुत सीएजी के प्रतिवेदन

- झारखंड (2018 का प्रतिवेदन सं. 4) झारक्राफ्ट द्वारा ऊनी कंबल के उत्पादन और परिवहन - ₹18.41 करोड़ का धोखाधड़ी से भुगतान (टीए) की लेखापरीक्षा एवं झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीएचसीएल) (टीए) की लेखापरीक्षा
- उत्तर प्रदेश (2018 का प्रतिवेदन सं. 2) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (पीए)
- बिहार प्रदेश (2018 का प्रतिवेदन सं. 1) बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (पीए) और बिहार राज्य शैक्षिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (टीए) द्वारा शिक्षा अवसंरचना का विकास।
- मध्य प्रदेश (2018 का प्रतिवेदन सं. 4) ओंकारेश्वर सागर परियोजना (नहर) निर्माण (पीए)।
- मध्य प्रदेश (2018 का प्रतिवेदन सं. 5) अनु.ज.जा. के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के कामकाज पर अनुपालन लेखापरीक्षा
- छत्तीसगढ़ (2018 का प्रतिवेदन सं. 3) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (पीए), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (पीए) का कार्यान्वयन, छत्तीसगढ़ (टीए) में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम और केंद्रीय सड़क निधि और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा।
- उत्तराखंड (2018 का प्रतिवेदन सं. 2) 2013 आपदा के बाद उत्तराखंड में अवसंरचना का पुनर्गठन (पीए)।
- ओडिशा (2018 का प्रतिवेदन सं. 2) राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन (पीए), राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना और राज्य में ओडिशा आपदा वसूली परियोजना का कार्यान्वयन (पीए), निर्माण कार्यों पर सूचना प्रौद्योगिकी और लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा (पीए), कस्टम मिल्स राइस का प्रबंधन और वितरण (टीए), राज्य में जेलों का प्रशासन (टीए) और राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन (टीए)।



- पश्चिम बंगाल (2018 का प्रतिवेदन सं. 5) पश्चिम बंगाल में उद्योगों द्वारा प्रदूषण पर निष्पादन लेखापरीक्षा।
- असम (2018 का प्रतिवेदन सं. 5) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा।
- नागालैंड (2018 का प्रतिवेदन सं. 2) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा।
- सिक्किम (2018 का प्रतिवेदन सं. 1) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा।
- त्रिपुरा (2018 का प्रतिवेदन सं. 2) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा।
- अरुणाचल प्रदेश (2018 का प्रतिवेदन सं. 2) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा।
- मणिपुर (2018 का प्रतिवेदन सं. 2) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा।
- मिजोरम (2018 का प्रतिवेदन सं. 2) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा।
- मेघालय (2018 का प्रतिवेदन सं. 3) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा।
- कर्नाटक (जीएंडएसएसए) (2018 का प्रतिवेदन सं. 4) शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा।
- कर्नाटक (ईएंडआरएसए) (2018 का प्रतिवेदन सं. 5) अनुदान, पट्टा, अतिक्रमण को खाली करना, सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे को नियमित करना।

- तमिलनाडु (जीएंडएसएसए) (2019 का प्रतिवेदन सं. 1) राज्य वित्त रिपोर्ट।
- गुजरात (जीएंडएसएसए) (2018 का प्रतिवेदन सं. 5) स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- पीएसयू पर महाराष्ट्र (2019 की प्रतिवेदन सं. 4) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

IV लेखापरीक्षा के कहने पर नीतियों, कानूनों तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन

हमारी टिप्पणियों के आधार पर सरकार द्वारा किए गए नीति, कानून, नियमों और प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

IV क संघ लेखापरीक्षा

वाणिज्यिक - आरईसी एवं विद्युत वित्त निगम लिमिटेड द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को ऋण पर 2017 का सीएजी प्रतिवेदन सं. 34

- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के निदेशक मंडल ने नीजि क्षेत्र विद्युत परियोजना और नीजि क्षेत्र परियोजनाओं के लिए प्रवर्तक अंशदान हेतु नीति के मूल्यांकन के लिए अपने दिशा-निर्देश संशोधित किए थे।

वाणिज्यिक - एमओआईएल में जारी किए गए एचएम सं. 10 दिनांक 17.05.2018

- एमओआईएल लिमिटेड (मैंगनीस और इंडिया लिमिटेड) ने 'मैंगनीस और सैल्स' से संबंधित अपनी लेखांकन नीति को



संशोधित किया और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के विवरण में संशोधित लेखांकन नीति को शामिल किया।

रक्षा - "बीआरओ द्वारा इंडो-चीन बोर्डर रोड के निर्माण" से संबंधित 2017 का सीएजी प्रतिवेदन सं. 05

- डीपीआर तैयार करने के लिए व्यवसायिक एजेंसियों को शामिल करते हुए नीतिगत दिशा निर्देशों को आशोधित किया गया है। इसके अलावा, सर्वेक्षण की सटिकता को बढ़ाने और डीपीआर एलआईडीएआर प्रौद्योगिकी को तैयार करने के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अधीन अपनाया गया है।

रक्षा - "रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा सहायता अनुदान योजना" से संबंधित 2014 का सीएजी प्रतिवेदन सं. 35 का पैरा 7.1

- जीएफआर में बताए गए सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुरूप एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई है जो आमतौर पर मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित सभी अनुसंधान बोर्डों और डीआईआर व आईपीआर के लिए लागू होती हैं।

रक्षा - "विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान एवं कम वसूली के कारण नुकसान" से संबंधित 2014 की सीएजी का प्रतिवेदन सं. 44 का पैरा 4.1

- एमईएस कार्यकारियों द्वारा राज्य विद्युत

आपूर्ति एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान और विद्युत प्रभारों की कम/गैर-वसूली पर सभी मुद्दों को शामिल करते हुए अपनाये गए दिशानिर्देश जारी किया गया है।

रक्षा - "दोषपूर्ण जांच में देरी के कारण खाली फ्यूज ए-670 एम को अस्वीकार करने के कारण ₹ 31.32 करोड़ का परिहार्य नुकसान" से संबंधित 2017 की प्रतिवेदन सं. 15 का पैरा 7.6

- लेखापरीक्षा की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए और रक्षा मंत्रालय (सितम्बर 2017) के निर्देश के अनुसार, "आयुध कारखानों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली" के संबंध में एसओपी के पैरा 6.0 के तहत "दोषपूर्ण जांच" की विस्तृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

रेलवे - 2017 का प्रतिवेदन सं. 14 का लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2

- रेलवे प्रशासन ने विलंब शुल्क से बचने के लिए अग्रिम रूप से स्पेक्ट्रम प्रभार के भुगतान के लिए प्रस्ताव शुरू करने का निर्णय लिया है और अब भुगतान अद्यतन अर्थात् 30.09.2017 तक है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि भविष्य में विलंब शुल्क को पूरी तरह से टाला जाएगा।

रेलवे-"आईसीएमएस में गलत डेटा प्रविष्टि" पर प्रतिवेदन सं. 05/2017-18 का लेखापरीक्षा पैरा सं. 2.4

- रेल मंत्रालय ने इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई (दिसंबर 2018) की है। वास्तविक



ट्रेन समय-निर्धारण के विषय में एनटीईएस में गलत डेटा फीडिंग और परिणामस्वरूप विसंगति के मुद्दे को हल करने के लिए, रेलवे ने चयनित स्थानों पर डेटा लार्गस को स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब तक इन्हें 162 स्थानों पर स्थापित किया गया है।

रेलवे - 2018 की रेलवे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5 का लेखापरीक्षा पैरा सं. 2.1

- रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने लेखापरीक्षा पैरा का जवाब (फरवरी 2019) देते हुए कहा है कि विभिन्न तिमाहियों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर, राजधानी, शताब्दी और दुरंतों ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर योजना को तर्कसंगत बनाया गया है। 15 ट्रेनों से फ्लेक्सी फेयर बंद कर दिया गया है। 3 महीने (फरवरी, मार्च और अगस्त) की पूर्व-निर्धारित लीन अवधि के दौरान फ्लेक्सी फेयर योजना को बंद कर दिया। सभी फ्लेक्सी लागू श्रेणियों में फ्लेक्सी फेयर योजना की अधिकतम सीमा को घटाकर 1.4 गुना कर दिया गया है। इन सभी परिवर्तनों को 15.03.2019 से कार्यान्वित किया गया है।

2017-18 के लिए नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/सीएजी लेखापरीक्षा दल द्वारा जारी किया गया लेखापरीक्षा टिप्पणी-4 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी - टिप्पणी सं. 2.5-

राजस्व पहचान-ऋण संव्यवहार पर आय

- कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए अपनी लेखांकन नीति और लेखांकन मानक-1 के पैरा 27 के अनुपालन में किए गए प्रकटीकरण में परिवर्तन किए गए हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए एफसीआई लेखाओं की लेखापरीक्षा

भारतीय खाद्य निगम ने लेखापरीक्षा के कहने पर निम्नलिखित नीतियों को बनाया/परिवर्तन किया:

- महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं.: 4(ख) विक्रय:** बिक्री को केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर आवंटन के आधार पर रिलीज ऑर्डर को जारी करने पर आर्थिक लागत जैसी किसी अन्य पूर्व-निर्णित दर, स्वीकृत निविदा दर आदि को मान्यता दी जाती है।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 16:** खराब व संदिग्ध ऋणों/दावों/ऋणों व अग्रिमों को बड़े खाते में डालना:- निगम के दावों/ऋणों और अग्रिमों/ऋणों को उसके मूल वर्ष से लगातार 5 (पांच) वित्तीय वर्षों के लिए निगम के खाता-बहियां में ले जाया जाएगा और 6वें वर्ष में, इन दावों/ऋणों और अग्रिमों/ऋणों को खाता-बहियों में खराब के रूप में बड़े खातों में डाला जाएगा।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 17:** निगम की देयताओं/व्यापार देय योग्य



लोकहितार्थ सत्यगिका
Dedicated to Truth in Public Interest

देयताओं/व्यापार देय को उसके मूल की तारीख से लगातार 3(तीन) वर्षों के लिए निगम के खाता-बहियों में प्रतिलेखन किया जाएगा और 4वें वर्ष में, इन देयताओं/व्यापार देय को खाता-बहियों में प्रतिलेखन करें और आय को क्रेडिट किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के लिए सीडब्ल्यूसी लेखाओं की लेखापरीक्षा

- **केंद्रीय भण्डारण निगम** ने लेखापरीक्षा के कहने पर निम्नलिखित नीतियों को बनाया/परिवर्तन किया:

वर्ष 2018-19 में नीतिगत ढांचे के अनुसार अप्राप्त ऋणों को बड़े खाते में डालने के लिए 27.11.2018 को हुई अपनी बैठक में बीओडी द्वारा 10 वर्षों से अधिक बकाया खराब ऋणों को बड़े खाते में डालने के लिए नीतिगत ढांचे/दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया था।

- बीओडी ने सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों (पीआरएमबी) के लिए अलग ट्रस्ट के निर्माण को मंजूरी दी हैं जो लेखापरीक्षा के कहने पर वर्ष 2018-19 में बनाया गया था।
- ब्याज आय की पहचान पर लेखांकन नीति सं. 15 (डी) में संशोधन किया जा रहा है।
- बीमा दावे के लेखांकन के लिए लेखांकन नीति सं. 18 में संशोधन किया जा रहा है ताकि सभी प्रकार के दावों अर्थात्

जमाकर्ताओं के स्टॉक और सीडब्ल्यूसी के संपत्ति को शामिल किया जाए।

नवंबर 2017 से अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क की स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 1.1.1 व 1.1.2

- भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क ने शरणस्थल श्रेणी के आवेदकों को संभालने के लिए भारत सरकार के पासपोर्ट नियमावली और अन्य दिशानिर्देशों पर आधारित एक एसओपी तैयार किया गया। मिशन ने पासपोर्ट के लिए शरणस्थल श्रेणी आवेदकों के संबंध में पासपोर्ट से संबंधित सूचना डेटा एक्सचेंज (प्राइड) डाटाबेस में सावधानी नोट भी डाला गया है।

IV ख राज्य लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़- 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पीएसयू पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 2.1.9.5, 2.9.5.6 और 2.1.10.4 (ए)-छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा सामग्रियों के दर ठेकों और खरीद को अंतिम रूप देने पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अर्हता प्राप्त अयोग्य बोलीदाताओं के लिए कार्रवाई शुरू करने और रद्द दर ठेकाओं (आरसी) से सामग्री खरीदने की सिफारिश की गई थी। कंपनी ने अगले आदेशों तक भुगतान रोकना और आरसी पर प्रतिबंध लगाने के



लिए आदेश जारी किए। कंपनी ने विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) कंपनियों के संबंध में संव्यवहार के लिए निर्देश जारी किए।

झारखंड - अध्याय IV का पैरा सं. 4.3.13, 2015 का प्रतिवेदन सं. 3

- जेएमवीटी अधिनियम 2001 की अनुसूची-I भाग-सी, से संबंधित पीएसवी के कर दर चार्ट, जो 31.01.2019 से लागू झारखंड मोटर वाहन अधिनियम, 2018 के अनुसार पीएसवी के वर्गीकरण के आधार पर संशोधित किया है।

झारखंड-अध्याय-IV का पैरा सं. 4.3.17, 2015 का प्रतिवेदन सं.3

- चूककर्ता ट्रेलरों को बचाने के उपाय के रूप में 31.01.2019 से लागू झारखंड मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार ट्रेलरों के पंजीकरण के सतय पर एक साथ कर की उगाही के लिए प्रावधान शुरू किए गए हैं।

झारखंड - अध्याय IV का पैरा सं. 4.3.20.1, 2015 का प्रतिवेदन सं. 3 पुराने वाहनों को न हटाना

- 12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को चलने को हतोत्साहित करने के लिए, बकाया कर की 10 प्रतिशत की दर पर हरित कर लगाया गया और साथ ही पुराने वाहन पर छूट की अनुमति देने वाले प्रावधान को

31.01.2019 से लागू झारखंड मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार अनावश्यक बना दिया है।

झारखंड - अध्याय-IV का पैरा सं. 4.3.20.2, 2015 का प्रतिवेदन सं. 3 वाहनों का प्रदूषण

- वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने 31.01.2019 से लागू झारखंड मोटर संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार दायी कर पर 25 प्रतिशत की छूट देकर बैटरी चालित वाहनों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया।

मध्य प्रदेश- वर्ष 2016-17 के लिए वितरण कंपनियों के लेखाओं पर अनुपूरक लेखापरीक्षा टिप्पणी

- एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: उदय योजना के तहत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की राशि का लेखांकन "अन्य आय" के रूप में किया। इस ओर इशारा करने पर कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति बदल दी और असाधारण मदों के तहत प्रकट किया।

मध्य प्रदेश - 2013-16 की अवधि के लिए आरएओ उज्जैन के कार्यालय हेतु आईआर टिप्पणी सं. 32

- एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: वेस्ट डिस्कॉम ने एक नीति तैयार की और आरएओ के बैंक खातों में एकत्रित धनराशि को मुख्यालय के खाता



में साप्ताहिक हस्तांतरण के लिए स्थायी निर्देश जारी किए गए जो ऑटो स्वैप सुविधा का लाभ उठाएं और निष्क्रिय धनराशि पर ब्याज अर्जित करें।

मध्य प्रदेश - वर्ष 2016-17 के लिए लेखाओं पर अनुपूरक लेखापरीक्षा टिप्पणी

- मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर ने राजस्व पहचान के तहत टूड अप आय (नकद टर्मिनल लाभ भुगतान को छोड़कर) के लिए अपनी लेखांकन नीति को संशोधित किया।

उत्तर प्रदेश - मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन में पैरा सं. 2.3 (2.3.4.2)

- उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की गतिविधियों के लिए अलग बजट शीर्ष (2210-80-800-03-04) खोला गया है।

आंध्र प्रदेश टावर्स लिमिटेड लेखा: 2016-17 के वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणी:

- कंपनी द्वारा प्रकट की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में समय-समय पर सरकार के प्राप्त सरकारी अनुदानों के अनुरूप निरूपण पर कोई नीति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। इसका संकेत करने पर, कंपनी ने अपने लेखाओं को संशोधित किया।

आंध्र प्रदेश - 01.04.2014 से 01.06.2014 की

अवधि के लिए आंध्र प्रदेश का चमड़ा उद्योग विकास निगम-अनुसूची सी - भूमि पर टिप्पणी

- महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की टिप्पणी सं. 59 ने प्राप्त पट्टे के किराये और कोर्ट में लंबित मामले की स्थिति पर गलत स्थिति प्रस्तुत की गई। इसका संकेत करने पर, कंपनी ने अपने लेखाओं को संशोधित किया।

सिक्किम - आईआर सं. 28/2018-19 का पैरा 1

- राज्य सरकार ने अधिसूचना सं. 5515/आरण्डबी / पीडब्ल्यूडी / सचि दिनांक 12-6-2018 के अनुसार सिक्किम लोक निर्माण नियमावली का संशोधन किया।

कर्नाटक - कर्नाटक स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसबीसीएल): लेखापरीक्षा पूछताछ सं.5

- कंपनी लागत पर ऋण आधारित लघु अवधि म्यूचुअल फंड्स में निवेश की लेखांकन कर रही थी। हालांकि, एस-13 के अनुसार, मौजूदा निवेशों को लागत या उचित मूल्य से कम पर किए जाने थे। कंपनी ने 2017-18 में लेखांकन नीति में तदनुसार बदलाव किए हैं।

केरल - मालाबार सीमेंट लिमिटेड - 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) के पैराग्राफ सं. 4.1.7

- केरल सरकार (जीओके) द्वारा जारी (2013) किए गए स्टोर खरीद नियमावली

(एसपीएम) के खंड 8.2 में बोलीदाताओं को निविदा किए गए वस्तुओं की कुल लागत का एक प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा (ईएमडी) प्रस्तुत करना निर्धारित किया, जब ठेका की संभावित राशि (पीएसी) 1 लाख या उससे अधिक है। हालांकि, मालाबार सीमेंट लिमिटेड की खरीद नीतियों और प्रक्रियाओं में, ईएमडी 3 लाख तक सीमित थी जब पीएसी की कीमत 1 करोड़ से अधिक हो गई थी। सरकार ने एसपीएम के अनुसार ईएमडी शर्तों का पालन करने का निर्णय लिया।

केरल - मालाबाद सीमेंट लिमिटेड -31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) के पैराग्राफ सं. 4.1.9

- एसपीएम के खंड 8.19, में ठेका का कुल मूल्य के पांच प्रतिशत के समतुल्य प्रतिभूति जमा संग्रह की निर्दिष्ट किया। हालांकि, मालाबार सीमेंट लिमिटेड की खरीद नीतियां और प्रक्रियाओं में वार्षिक ठेकाओं के लिए तीन महीनों के आदेश मूल्य के पांच प्रतिशत पर प्रतिभूति जमा के संग्रह को निर्धारित किया है। कंपनी ने एसपीएम के समान अपनी खरीद नीति को संशोधित किया है।

केरल - 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) का पैराग्राफ सं. 4.7

- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करते समय भारतीय

रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों का केरल फीड्स लिमिटेड के पालन न करने पर ₹ 0.24 करोड़ का नुकसान हुआ। सरकार ने सभी पीएसयू को इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण के तहत वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित कर के लिए एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र शुरू करने का निर्देशों को जारी किया।

केरल - 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

- सरकार ने विज्ञापनों के लिए खर्च को वहन करते हुए वित्तीय नुकसान से बचने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा पालन करने के लिए सख्त और विस्तृत निर्देश जारी किए।

राजस्थान - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 (सिविल) पैरा सं. 4.3.4

- राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5 में दिनांक 22.03.2018 की राजस्थान सरकार की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन किए गए हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 (सिविल) के पैरा सं. 4.3.4 पर पीएसी 2011-12 के पीएसी प्रतिवेदन सं. 96वीं (13वीं विधानसभा) और 2012-13 की एटीआर सं. 176वीं (13वीं विधानसभा) की



सिफारिश के अनुपालन में लोकायुक्त के पद पर कोई रिक्त नहीं होनी चाहिए।

राजस्थान - 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर)

- राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर ने लेखाओं पर इस समूह की टिप्पणियों के बाद लेखाओं को तैयार करने के अपने आधार को नकद से उपार्जन में परिवर्तन कर दिया है।

V लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

आईएसएसएआई 10 में प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करने के लिए साई के पास स्वतंत्र प्रक्रियाएँ होनी चाहिए कि लेखापरीक्षित सत्व अपनी आपत्तियों और सिफारिशों का उचित प्रकार समाधान करें और सुधारात्मक कार्रवाई करें। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में प्रावधान है कि सरकार के संबंधित विभाग के सचिव को अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (फॉ) पर स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी(याँ) तैयार करनी होंगी जिसे पीएसी/सीओपीयू के प्रस्तुतीकरण हेतु लेखापरीक्षा में शामिल किया जाता है।

की गई कार्रवाई टिप्पणी में उल्लेख होगा कि क्या

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्य एवं आंकड़े स्वीकार्य हैं;
- परिस्थितियाँ जिनमें हमारे द्वारा बताई गई अनियमिततायें की गई;
- जवाबदेही तय करने हेतु की गई कार्रवाई और इसकी पूर्णता हेतु सम्भावित समय-सीमा;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई; और
- भविष्य में चूक होने से रोकने के लिए की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई।



नीचे तालिका में 31 मार्च 2019 तक की गई कार्रवाई (एटीएन) की स्थिति दर्शाई गई है:

	31 मार्च 2019 के अंत तक प्रतीक्षित एटीएन	वर्ष 2018-19 के दौरान निपटाये गये एटीएन
संघ स्तर	684	733
राज्य स्तर	8,621	824
कुल	9,305	1,557



अध्याय 3

महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ-लेखा एवं हकदारी

प्रस्तावना:

संविधान के अनुच्छेद 149 एवं सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 और 12 में संघ तथा राज्यों के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। सीएजी राज्य सरकारों (एनसीटी दिल्ली एवं गोवा का छोड़कर) के लेखाओं के संकलन और इन्हें तैयार करने, बीस राज्यों (बाईस कार्यालयों-महाराष्ट्र-1 और 11 सहित) के जीपीएफ लेखाओं के रख-रखाव, उन्नीस राज्यों (बीस कार्यालयों-महाराष्ट्र-1 और 11 सहित) में राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने और नौ राज्यों में राजपत्रित हकदारी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2018-19

के दौरान सरकारी लेखांकन विंग के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र और उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं।

1 लेखा कार्य से संबंधित निष्पादन

1 क राज्य प्र.म.ले./म.ले. (ले.एवं ह.) संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्त और विनियोग लेखाओं को तैयार करते हैं, जो, लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, सीएजी द्वारा हस्ताक्षरित, को निर्धारित समय सीमा के अनुसार राज्य विधानमंडलों के पटल पर रखे जाते हैं। राज्य सरकारों को अग्रेषित करने के लिए प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों (ले.एवं ह.) द्वारा एक नजर में वार्षिक लेखाओं को तैयार किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के लिए राज्यों के वार्षिक लेखाओं के प्रमाणिकरण की तिथि:

क्र. सं.	राज्य के नाम	प्रमाणन की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	27.06.2019
2	अरुणाचल प्रदेश	29.05.2019
3	असम	17.06.2019
4	बिहार	29.07.2019
5	छत्तीसगढ़	31.07.2019
6	गुजरात	02.01.2019
7	हरियाणा	03.01.2019
8	हिमाचल प्रदेश	04.07.2019
9	जम्मू एवं कश्मीर	21.12.2018
10	झारखंड	01.08.2019

11	कर्नाटक	26.02.2019
12	केरल	28.01.2019
13	महाराष्ट्र	07.12.2018
14	मणिपुर	21.12.2018
15	मेघालय	30.01.2019
16	मिजोरम	26.02.2019
17	मध्य प्रदेश	29.07.2019
18	नागालैंड	07.12.2018
19	ओड़िशा	11.07.2019
20	पंजाब	07.12.2018
21	राजस्थान	19.11.2018
22	सिक्किम	26.11.2018
23	तमिलनाडु	08.01.2019
24	तेलंगाना	20.12.2018
25	त्रिपुरा	04.06.2019
26	उत्तर प्रदेश	अभी तक हस्ताक्षर नहीं
27	उत्तराखंड	12.12.2018
28	पश्चिम बंगाल	17.06.2019

। ख राज्य सरकारों को नियमित रूप से विभिन्न एमआईएस प्रतिवेदनों को उपलब्ध कराया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

1. मासिक सिविल लेखे;
2. व्यय पर प्रतिवेदन;
3. डीडीओ वार व्यय के आंकड़े, चेतावनी स्लिप; और अनुदान-वार अधिक व्यय।
4. महत्वपूर्ण राजकोषीय मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए तिमाही प्रशंसा-पत्र।

। ग समयबद्धता

28 लेखा कार्यालयों में से 17 ने पूरे वर्ष समय पर राज्य सरकारों को मासिक लेखे प्रस्तुत किए। वर्ष के दौरान देय 364 मासिक सिविल लेखाओं में से, 275 लेखे समय पर प्रस्तुत किये गए थे, जबकि शेष 89 लेखें प्रस्तुत करने में विलम्बित थे। राज्य सरकारों की इकाईयों को प्रस्तुत करने वाले कोषो/मंडलों/अन्य लेखों से लेखों की देरी से प्राप्ति के कारण राज्य सरकारों को लेखाओं को प्रस्तुत करने में देरी हुई।



।घ पूर्णता

प्रस्तुत किए गए मासिक सिविल लेखे सभी पहलुओं से पूर्ण थे। कोई लेखा छूटा नहीं था।

।ङ संयुक्त वित्त और राजस्व लेखें

संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा (सीएफआरए), को वार्षिक रूप प्रकाशित, संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति को समेकित करता है। वर्ष 2005-06 से 2015-16 के लिए सीएफआरए सीएजी की वेबसाइट (www.cag.gov.in) पर उपलब्ध है। सीएफआरए 2016-17 के लिए समेकन कार्य प्रगति पर है।

।च वित्त लेखाओं के साथ सतत विकास लक्ष्यों की मैपिंग

सरकारी लेखें स्कंध ने एसडीजी को पूरा करने में राज्य सरकार के निष्पादन के पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकारों के वित्त लेखाओं के साथ सतत विकास लक्ष्यों की मैपिंग के लिए पहल की हैं। एक प्रायोगिक अध्ययन के रूप में, सभी प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों (ले.व.ह) से अनुरोध किया है कि कम से कम दो एसडीजी का चयन करें और उन्हें वित्त लेखाओं के साथ मैप करें आठ राज्यों ने प्रायोगिक अध्ययन पूरा कर लिया है और प्रायोगिक अध्ययन में प्रदर्शित तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई है।

।छ वित्त विभाग के प्रमुख के लिए एफए और एए का व्यापक विहंगावलोकन

2016-17 के बाद के खातों से, सरकारी लेखें

स्कंध ने राज्य के संबंधित प्र.म.ले./म.ले. के माध्यम से प्रत्येक राज्य के वित्त विभागों के प्रमुख को वित्त और विनियोग लेखाओं के व्यापक विहंगावलोकन के साथ "लेखें पर एक नजर" से अर्ध शासकीय तौर पर सूचित किया और राज्य के पिछले पांच वर्ष के दौरान राजकोषीय संकेतकों का भी संप्रेषण करने के लिए पहल की है।

।ज एमएसओ (ले.व.ह) खंड । व ॥ का संशोधन

एमएसओ (ले.व.ह) खंड । व ॥ का संशोधन कार्य को ले.व.ह कार्यालयों से प्र.म.ले./म.ले. की तीन समितियों के गठन के साथ 2017-18 के दौरान शुरू किया गया है। प्र.म.ले./म.ले. की सभी तीन समितियों से संशोधन कार्य पर मसौदा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। एमएसओ (ले.व.ह) खंड ॥ के संशोधन पर मसौदा प्रतिवेदन को समकालिक समीक्षा के लिए तीन विभिन्न प्र.म.ले./म.ले. को दिया गया है।

।झ ले.व.ह कार्यालयों की महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्रों (केआरए) पर तिमाही प्रतिवेदन का संशोधन

मुख्यालय के सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही केआरए (महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्रों) प्रतिवेदन को संशोधित किया गया है और विभिन्न नए मापदंडों जैसे अभिदाताओं का पंजीकरण, डिजिटलीकरण, आईएफएमएस, दीर्घावधि अग्रिमों आदि को लेखाओं, पेंशन और सामान्य भविष्य निधि कार्यों में जोड़ा गया है। राजपत्रित



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हकदारी कार्यों से संबंधित ले.व.ह कार्यालय के निष्पादन पर नजर रखने के लिए एक नई के.आर.ए प्रतिवेदन को मार्च 2019 को समाप्त तिमाही से शुरू किया गया है।

I ज वार्षिक लेखाओं के टेम्पलेट का संशोधन एक नजर में

हिमाचल प्रदेश के एक नजर में लेखा पर आधारित नए संशोधित टेम्पलेट दिनांक 08.01.2019 को सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को परिचालित की गई थी। लेखे एक नजर में को संशोधित प्रारूप में सभी कार्यालयों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं जैसा मुख्यालय द्वारा वर्णित किया है।

II क कोषागार निरीक्षण:

राज्य सरकार के लेखाओं के संकलनकर्ता होने के नाते, प्र.म.ले/म.ले (ले.व.ह) कोषागारों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच करते हैं। कोषागार निरीक्षण का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि कोषागारों द्वारा आंशिक लेखा तैयार करने, वेतन, पेंशन आदि के भुगतान के लिए निर्धारित विभिन्न जांच बिंदुओं तथा प्रक्रियाओं का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में कोषागार कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 2,708 कोषागारों/ उप-कोषागारों के निरीक्षण किए गए थे। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, 2,626 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए और 3,145 सिफारिशें की गईं।

II ख 2018-19 के दौरान कोषागार निरीक्षणों के मुख्य निष्कर्ष:

कोषागार निरीक्षणों से वित्तीय नियमावली के अनुपालन में विचलनों के कई मामले प्रकाश में आए, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में दोषपूर्ण प्रचलनों की ओर इशारा करते हैं और राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। ध्यान में आए कुछ विचलनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) बजट प्रावधानों के बिना भुगतानों से बचने के लिए बजट रिलीज पर व्यय को नियंत्रित करने हेतु वैधीकरण आरंभ करना और उसी वाउचर/बिल पर दोहरे भुगतान से बचने के लिए आवश्यक उपाय करना (आंध्र प्रदेश)।
- ख) श्रेणी-IV सा.भ.नि. पैकेज में प्रतिकूल शेष की समीक्षा और नियमित सा.भ.नि. में श्रेणी-IV सा.भ.नि. अंशदान का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण (आंध्र प्रदेश)।
- ग) आधिक्य भुगतान, पेंशन का कम भुगतान के विभिन्न मामले और पेंशन के भुगतान का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण जैसे कि अन्य राज्य के पेंशनभोगी की बुकिंग पायी गयी (बिहार)।
- घ) जिला कोषागार, कोझीकोड में विशेष कोषागार बचत बैंक खाते के सत्यापन में पाया गया कि ₹ 40,85,918 की राशि जिला कलक्टर, कोझीकोड तथा जिला चिकित्सा अधिकारी, कोझीकोड के खातों में

पिछले पांच वर्षों से व्यर्थ पड़ी थी (केरल)।

ड) विशेष कोषागार बचत बैंक खाता (एसटीएसबी खाता) केवल विशेष उद्देश्य के लिए खोले जाते हैं तथा उनमें वार्षिक ब्याज नहीं दिया जाता। लेकिन, केरल भू-विकास निगम और कुटुंबश्री के एसटीएसबी खातों में वर्ष 2002-03 से 2015-16 के लिए वार्षिक ब्याज अनुमत किया गया था। उनके खाते में सर्वाधिक बड़ी राशि वर्ष 2007-08 के लिए ₹ 22.40 लाख थी (केरल)।

च) पेंशन की मस्टरिंग न करना और पेंशन का अधिक भुगतान (केरल)।

छ) 9 कोषागारों में 54 पेंशन मामलों में ₹ 87 लाख के अधिक्य और अनियमित भुगतान तथा बैंकों में ₹ 62.31 लाख की अवितरित पेंशन पड़े रहना और सरकारी लेखा में क्रेडिट न किया जाना (महाराष्ट्र-1)।

ज) 5 कोषागार कार्यालयों में शर्तों का पालन किए बिना 50 पेंशन भोगियों के मामलों के ₹ 4.23 करोड़ के सा.भ.नि का अंतिम पुनर्भुगतान।

झ) पीएलए में पड़े ₹ 876.37 करोड़ के व्यय नहीं हुई राशि का सरकारी लेखाओं में प्रेषण न किया जाना (महाराष्ट्र-1)।

ञ) पुरानी अवधि से संबंधित निजी लेजर लेखाओं में शेष के अवरोधन और 8443-लोक जमा के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों की रोलिंग (ओडिशा)।

ट) विभागीय प्राप्तियों का समाधान कोषागार के डाटा के साथ सरकारी आदेशों के अनुसार होना चाहिए, लेकिन 70 कोषागारों में कई डीडीओ ने समाधान प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, दुर्विनियोजन को नकारा नहीं जा सकता (उत्तर प्रदेश-1)।

ठ) सरकारी आदेशों के अनुसार, यदि पेंशनर/परिवार पेंशनरों की मृत्यु के बाद बैंक को पेंशन भेजी जाती है तो, बैंक से उसकी वसूली ब्याज सहित की जानी चाहिए और उचित लेखा शीर्ष में जमा की जानी चाहिए लेकिन कई बैंकों से ₹ 3.36 करोड़ की पेंशन/परिवार पेंशन राशि की वसूली नहीं की गई है (उत्तर प्रदेश 1)।

ड) 7 कोषागार कार्यालयों के मामले में बैंकों द्वारा सरकारी लेखाओं को विलंबित क्रेडिटों के लिए ₹ 50.99 लाख के शास्तिक ब्याज की वसूली न होना (महाराष्ट्र)।

ढ) कम्प्यूटर प्रणाली में उचित नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप वेतन का दोहरा भुगतान क्योंकि यदि कोई सेवा मेघ द्वारा जनरेटेड संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य बिल संख्या की प्रविष्टि करता है तो, प्रणाली उसे स्वीकार कर लेती है और "पास बिलों का एडवाइज़ रजिस्टर" रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है जिसके परिणामतः वेतन का दोहरा भुगतान हो जाता है।

हालांकि, प्रणाली, प्रयोक्ता को डुप्लिकेट वेतन बिल संख्या प्रविष्ट करने की अनुमति नहीं देती है। यदि कोषाधिकारी को उसके स्टाफ की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/स्थानांतरण के बारे में आंतरिक शीट में पाई गई विसंगतियों के बारे में डीडीओ को सूचित नहीं किया गया हो तो, इसके परिणामतः अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का दोहरा भुगतान हो सकता है (मेघालय)।

ण) साइबर कोषागार में कोषाधिकारी द्वारा नियमित और अनुसूचित बैकअप नीति क्रियान्वित की जानी चाहिए लेकिन निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि कोषागार में लॉग बुक का रखरखाव नहीं किया गया था। लॉग-बुक की अनुपस्थिति में, यह निश्चित नहीं किया जा सका कि बैकअप नीति मौजूद थी अथवा नहीं (मेघालय)।

III हकदारी कार्यों के संबंध में निष्पादन

III क सीएजी की वेबसाइट में वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र:

2017-18 के दौरान, ऑन लाईन शिकायत पंजीकृत करने हेतु सीएजी की वेबसाइट पर हकदारी टैब के अंतर्गत एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण तंत्र आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, सा.भ.नि. अंशदाता/पेंशनरों के लिए संबंधित ले.व.ह कार्यालयों को सीधे ऑन लाईन/ई-मेल के माध्यम से शिकायतें

दर्ज कराने हेतु सुविधा आरंभ की गई है तथा म.ले. कार्यालय के उत्तर से संतुष्ट न होने पर अंशदाता/पेंशनर मुख्यालय के शिकायत विंग में सीधे शिकायत भी कर सकते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है और एनआईसी विंग को एप्लीकेशन का उन्नयन करके नवीनतम तकनीक के साथ विकसित करने को कहा गया ताकि प्रणाली किसी भी ब्राउज़र में कार्य कर सके तथा मोबाइल, टैब, लैपटॉप आदि किसी भी उपकरण पर कार्य कर सके।

III ख हकदारी कार्यों से संबंधित जानकारी

पेंशन, सा.भ.नि, तथा जीई कार्यों की स्थिति से संबंधित जानकारी संबंधित म.ले. कार्यालयों की वेब साइट पर उपलब्ध है। इससे संबंधित राज्य की वेबसाइटों पर अपलोड की गई जानकारी देखने में संबंधित पणधारियों तथा अन्य आंगतुकों को सहायता मिलती हैं।

III ग अंतिम रूप दिए जा चुके पेंशन मामले

पेंशन प्राधिकार का कार्य 20 लेखा और हकदारी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यालयों ने 2018-19 के दौरान 5,18,494 मूल तथा पेंशन संशोधन मामलों को अंतिम रूप दिया। सिटीज़न चार्टर के अनुसार, म.ले. कार्यालय में मामलों की प्राप्ति के 2 माह के भीतर मूल पेंशन मामलों का निपटान किया जाना होता है। किसी मामले को अंतिम रूप दिए जाने में लिया जाने वाला औसत समय आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा,



हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र । तथा II, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में 15 से 30 दिन के बीच, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा तथा तेलंगाना में 30 से 45 दिन तथा कर्नाटक में 45-60 दिन के बीच था।

III घ सामान्य भविष्य निधिखाते का रखरखाव:

राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों (जीपीएफ) के रखरखाव के लिए 22 ले.व.ह. कार्यालय उत्तरदायी हैं। 2018-19 के दौरान, हमने 20 ले.व.ह कार्यालयों के माध्यम से 31,34,433 सा.भ.नि खातों का रखरखाव किया। 30,19,071 सा.भ.नि. खातों (96.32 प्रतिशत) के संबंध में लेखा पर्चियां समय पर जारी की गईं।

2018-19 के दौरान रखरखाव किए गए सा.भ.नि. खातों की संख्या	समय पर जारी लेखा पर्चियों की संख्या
31,34,433	30,19,071

IV ग्राहक शिकायतों के समाधान करने हेतु किए गए विशिष्ट उपाय/नवीन-पहल

आईएएण्डएडी अपने ग्राहकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए और ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे पूर्ण करने के लिए, कुशल सेवाएं प्रदान करने हेतु इस तकनीक को प्रभावशाली

बनाने तथा पणधारियों के साथ रचनात्मक ढंग से मिलकर इस कार्य को पूर्ण करने हेतु सहयोग की अपेक्षा करता है। इस खंड में इस संबंध में विभिन्न लेखा और हकदारी कार्यालयों द्वारा की गई कुछ मुख्य पहलों का उल्लेख किया गया है।

ध्यान देने योग्य क्षेत्र

IV क सा.भ.नि.:

क) आंध्र प्रदेश में 1997 से आगे की अवधि में सा.भ.नि. खातों में हुई क्रेडिट चूकों तथा डेबिट चूकों को देखने और इस कार्यालय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सा.भ.नि. पर्चियां देखने के लिए ओटीपी सत्यापन के साथ कार्यालय की वेबसाइट पर एक नया वेब पेज विकसित किया गया है।

ख) आंध्र प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा 02.04.2018 से प्रभावी सीएफएमएस के रोल आउट के साथ सभी लेखा प्रदाता इकाइयों से भौतिक वाउचरों/अनुसूचियों की प्राप्ति रोक दी गई है। सा.भ.नि. (ई-वाउचर/अनुसूची) से संबंधित डाटा सीएफएमएस से डाउनलोड और पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ मैनुअल डाटा एंट्री की जा रही है।

ग) केरल में अंतिम और आंशिक अंतिम आहरण/अग्रिम या कनवर्जन दावों के लिए सा.भ.नि. आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रसंस्कृत किए गए थे और डिजीटली हस्ताक्षरित ई-प्राधिकार केरल के सेल टी एंड पेट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपॉजिट्री (स्पार्क) को ऑनलाइन पोर्टल में भेजे गए। अंशदाता उसे ऑनलाइन देख और प्रिंट ले सकते हैं।

घ) बेहतर हकदारी सेवाएं देने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र कार्यालय ने बकाया मदों के निपटान करने के लिए डीडीओ से महत्वपूर्ण बकाया क्रेडिट चूकों/पोस्ट-नहीं की गई मदों की आवश्यक जानकारी एकत्रित करने और सही सा.भ.नि. सं. तथा अन्य विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर उन्हें सुग्राही बनाने के उद्देश्य से परिवार्जक दलों का निर्माण किया ताकि भविष्य में ऐसी मदों की अभिवृद्धि न हो सके। वर्ष 2018-19 के दौरान 3 कोषागारों के 28 डीडीओ में परिवार्जक दल भेजा गया था। ये कार्य बकाया क्रेडिट चूको/पोस्ट नहीं की गई मदों के निपटान तक जारी रहेगा।

ड) मणिपुर में अंतिम भुगतान प्राधिकार, अंतिम वे भुगतान विवरणों को अद्यतन करने, ऑनलाइन क्रेडिट चूके क्लियर करने, अंतिम आहरण के लिए आवेदन की ऑनलाइन रसीद, ऑन लाइन शिकायत फाइल करना और मामले की प्राप्ति और अंतिमीकरण के लिए एसएमएस के

माध्यम से सूचना जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

च) नागालैंड कार्यालय ने वर्ष 2018-19 में गलत सा.भ.नि. खाता संख्या और नामों के सत्यापन के लिए 37 विभागों के लिए तीन विशेष परिवार्जक दल भेजे थे। उन्होंने 299 सा.भ.नि. खातों का सत्यापन किया और सभी शेष राशि सत्यापित सा.भ.नि. खातों में क्रेडिट की गई। इसी प्रकार, पांच परिवार्जक दलों को निष्क्रिय खातों की स्थिति का सत्यापन करने के लिए सात विभागों में भेजा गया। दलों ने पाया कि 26 खातें सेवानिवृत्त अधिकारियों से सम्बंधित थे, 5 खातें मृतक अधिकारियों से सम्बंधित, 12 खाते डूप्लीकेट आबंटित हुए, तथा नवीन पेंशन योजना अंतर्गत 1 खाता था।

छ) 2017-18 के दौरान नागालैंड में ऑनलाइन सा.भ.नि. सूचना प्रणाली आरंभ की गई और कार्यालय को प्रथम पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी सभा में एंटरप्राइज एप्लीकेशन केटेगरी अवार्ड, इंडियन एक्सप्रेस समूह की पहल, गुवाहाटी में 24 नवंबर 2018 को प्रदान किया गया।

ज) दिसंबर 2018 के माह में राज्य सरकार के सा.भ.नि. अंशदाताओं के लिए नागालैंड द्वारा 'एनजीपीएफ 24x7' मोबाइल एप विकसित की है। इसी प्रकार, त्रिपुरा में सा.भ.नि. शेषों/अंशदान की स्थिति जानने



के लिए ग्राहकों के लिए गूगल प्ले स्टोर में एमजीपीएफ मोबाइल एप उपलब्ध है।

झ) 89% अंशदाताओं के सा.भ.नि. विरासत डेटा नागालैंड कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं जिससे अंशदाता सा.भ.नि. के अपने नामांकन को तारीख से शुरू होने वाले अपने सा.भ.नि. विवरण को देख सकेंगे/पंजीकृत अंशदाता 1998-99 के आगे से अपने विस्तृत सा.भ.नि. विवरणों को देख सकते हैं।

ञ) मणिपुर में, अंतिम भुगतान प्राधिकार डाउनलोड करने, अंतिम भुगतान विवरणों का अद्यतनीकरण, क्रेडिटों में चूक को ऑनलाइन क्लियर करना, अंतिम आहरण के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्राप्ति, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और मामले की प्राप्ति और इसे अंतिम रूप देने के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचना देने के लिए सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है।

ट) उत्तर प्रदेश-1 कार्यालय द्वारा 1988 से पहले सेवानिवृत्त जीपीएफ ग्राहकों और पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए कुंभ मेले में एक कैंप कार्यालय स्थापित किया गया था। 800 से अधिक जीपीएफ ग्राहकों ने कैंप का दौरा किया और उनके सभी प्रश्नों का पूर्णतया: निपटान किया गया है।

ठ) त्रिपुरा में दिसम्बर 2018 से जीपीएफ डेबिट

और क्रेडिट की ई-पोस्टिंग प्रारंभ की गई।

ड) उत्तर प्रदेश-1 में सभी विभागों के डीडीओ और कोषागार अधिकारियों, महालेखाकार, लेखा अधिकारियों और चित्रकूट में आयोजित सहायक लेखा अधिकारियों की एक संगोष्ठी 18.01.2019 को महालेखाकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में, यह निर्देशित किया गया था कि महालेखाकार कार्यालय को अंतिम भुगतान और समाधान के मामले भेजने में उनके द्वारा क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि ग्राहकों को अपना जीपीएफ भुगतान समय पर प्राप्त हो सके।

ढ) उत्तराखंड में, सामान्य भविष्य निधि से संबंधित सूचना का पता लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों की सुविधा के लिए जीपीएफ उत्तराखंड नाम से एक मोबाइल ऐप का प्रवर्तन किया गया था। यह मोबाइल एप्लीकेशन स्थानीय उपकरणों में जीपीएफ सूचना के संग्रहण को भी सक्षम बनाता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भविष्य के सभी संदर्भों हेतु इस सूचना तक अधिगम देता है। लगभग 96 प्रतिशत ग्राहकों ने एसएमएस सुविधा हेतु अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत किया है।

IV ख पेंशन:

क) हरियाणा कार्यालय ने ऑनलाइन डायरी प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की है और पेंशन



संशोधन के सभी मामले अब शीघ्र निपटान हेतु डायरी प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

ख) हरियाणा ने डिजिटल हस्ताक्षरित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), एफपीपीओ और अन्य प्राधिकार लागू किये हैं।

ग) हरियाणा में डिजिटलीकरण सेल का गठन किया गया है और वर्तमान और पुरानी फाइलों की स्कैनिंग का कार्य इसे सौंपा गया है। लगभग 2.15 लाख पेंशन के मामले की फाइलों को स्कैन किया गया है। इसी प्रकार, केरल कार्यालय ने 20.6.2019 तक पेंशन अभिलेखों के लगभग 20,96,479 पृष्ठों को स्कैन और डिजिटलीकृत किया है।

घ) केरल में साई मॉड्यूल में पेंशन प्रस्ताव के ई-प्राधिकरण और अपलोड करने की प्रणाली को लागू किया गया ताकि पेंशन के दावों का शीघ्र संसाधित किये जाने और डाक खर्चों के साथ-साथ प्रत्यक्ष दस्तावेजों की आवाजाही हेतु आवश्यक समय की बचत सुनिश्चित की जा सके। ई-प्राधिकार को सभी हितधारकों के लाभ हेतु कोषागार पोर्टल और सार्वजनिक पोर्टल पर एक ही समय पर अपलोड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी को भी इस आशय का एसएमएस प्राप्त होगा।

ड) मणिपुर कार्यालय ने पेंशन भुगतान

आदेश/ग्रेच्युटी भुगतान आदेश/संराशीकरण भुगतान आदेश, दैनिक आधार पर पेंशन के अंतिम विवरण के अद्यतनीकरण, पेंशन/आवेदन के संशोधन की ऑनलाइन प्राप्ति, डिजिटल हस्ताक्षरित प्राधिकारी और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है।

च) मणिपुर में जून 2015 से पहले की अवधि के लिए 55,000 पेंशन फाइलों में से लगभग 46,000 पेंशन फाइले डिजिटलीकृत की गई हैं। इसी प्रकार, जून 2015 तक की अवधि से संबंधित 10,187 पेंशन फाइलों में से 5,081 पेंशन की फाइलों को डिजिटलीकृत किया गया है।

छ) नागालैंड में पेंशन और जीपीएफ के लिए एसएमएस सेवा जून 2019 में प्रारंभ की गई थी ताकि पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन और जीपीएफ के अंतिम भुगतान के मामलों की स्थिति के विषय में जानकारी दी जा सके।

ज) ओडिशा में विभिन्न बैंकों/कोषागारों को पेंशन संशोधन मामलों एआरपीएनए पोर्टल पर अपलोड करने आवश्यक हैं और इनको प्र.म.ले. कार्यालय के द्वारा आगे संसाधित करने हेतु डाउनलोड किया जा रहा है। प्रत्येक संशोधन मामले को अंतिम रूप दिये जाने के बाद, संशोधन के लिए 'डिजिटल हस्ताक्षर' के साथ ऑनलाइन

प्राधिकार जारी किया जाता है जिसे बैंक/कोषागारों के द्वारा उनके स्तर पर डाउनलोड किया जा रहा है परिणामस्वरूप पेंशन कागजातों एवं प्राधिकारों का परेशानी मुक्त और कम कागजात के साथ संचार हो सके। पेंशनभोगी उसी पोर्टल (ओडिसा) से ई-प्राधिकार की प्रति भी डाउनलोड कर सकते हैं।

- झ) पंजाब में "पेंशन मामलों को तैयार करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश" विषय के साथ एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण सभी बैंकों, कोषागारों और पेंशनभोगियों की सहायता के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पेंशनभोगियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी जिलों में पेंशन अदालतें भी आयोजित की गई थी। पेंशन अदालतों से संपर्क करने वाले पेंशनभोगियों के प्रश्नों एवं समस्याओं को मौके पर निपटान किया गया था।
- ञ) तमिलनाडु में अक्टूबर 2018 से नियमित मामलों हेतु और जनवरी 2019 से संशोधित मामलों के लिए ई-प्राधिकरण का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया था। सभी 12,841 मामलों में, ई-प्राधिकरण 31.03.2019 तक जारी किया गया था।
- ट) तमिलनाडु ने लगभग 7 लाख पेंशन के मामलों को डिजिटिकृत किया है और पुराने

मामलों को पुनः प्राप्त किए बिना मूल मामलों की स्कैन की गई प्रतियों के आधार पर संशोधित मामले संसाधित किए जा रहे हैं।

- ठ) त्रिपुरा में पेंशन भुगतान आदेश, ग्रेच्युटी भुगतान आदेश एवं संराशीकरण भुगतान आदेश प्राधिकार पारंपरिक पूर्व-मुद्रित फॉर्म के बजाय प्रत्येक प्राधिकार फॉर्म को पृथक रूप से संसाधित करने में लगने वाले समय को कम करने और प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ए-4 आकार के एक पृष्ठ में जारी किए जाते हैं।

IV ग राजपत्रित पात्रताएं:

- क) झारखंड में राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली जून 2018 में प्रारंभ की गई थी और कर्मचारियों द्वारा अवकाश के लिए आवेदन संस्वीकृति प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संस्वीकृति के बाद आगे कार्रवाई हेतु संस्वीकृति प्राधिकारी उसको प्र.म.ले. कार्यालय को ऑनलाइन अग्रेषित करते हैं।
- ख) केरल में गैर-वेतन बिलों को संसाधित करने से संबंधित सभी कार्यकारी डीडीओं के कार्य 01.06.2018 से ऑनलाइन आईबीईएमएस-पीएफएमएस मॉड्यूल को अंतरित कर दिए गए हैं और वेतन का संसाधित किया जाना 01.11.2018 से

पीएफएमएस के ईआईएस मॉड्यूल को अंतरित किया गया है। कर्मचारी अब पीएफएमएस पोर्टल में लॉगइन करके संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी, वर्तमान प्रविष्टि, ऋण के विवरण, जीपीएफ बैंक खाते के विवरण आदि देख सकते हैं। उपयोगकर्ता विवरणों का प्रिंटआउट भी ले सकता है। सभी भुगतान, लेखांकन और समाधान गतिविधियां अब पीएफएमएस के माध्यम से की जाती हैं।

ग) केरल कार्यालय ने एसपीएआरके मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त होने वाले अवकाश हेतु आवेदन और संस्वीकृति आदेश को संसाधित करना प्रारंभ किया है।

घ) कर्नाटक कार्यालय में जीई समूह की संपूर्ण गतिविधियों को जीईएमएस के छः मॉड्यूल में अर्थात् राज्य राजपत्रित अधिकारी, यूजीसी/एआईसीटीई न्यायपालिका, एआईएस आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। अवकाश खाते जो वर्ष में दो बार अद्यतन किए जा रहे हैं और राज्य एचआरएमएस को प्रेषित किए जाते हैं जिससे उपयोगकर्ताओं और अधिकारियों को पत्राचार में कमी और अवकाश शीर्षक आदि के संप्रेषण में काफी सहायता प्राप्त होती है। एचआरएमएस से अवकाश खाते के एकीकरण के कारण, इस प्रकार के अनुरोधों के लिए इस कार्यालय में आंगतुकों की संख्या में कमी हुई है।

ड) मणिपुर कार्यालय ने वेतन पर्ची डाउनलोड करने, अवकाश खाते, सेवा अभिलेख आदि देखने, विभाग से आवेदन की ऑनलाइन प्राप्ति, विवरणों को अद्यतन करने, वेतन पर्ची की प्राप्ति और अंतिम रूप देने पर एसएमएस के माध्यम से सूचना देने और ऑनलाइन शिकायते दर्ज करने की सुविधाएं प्रदान की हैं।

च) ओडिशा कार्यालय ने राज्य सरकार के एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को एसएमएस सुविधा के साथ-साथ ऋणीवार मासिक स्थिति उपलब्ध कराई है। स्थिति रिपोर्ट डाउनलोड की जा सकती है ताकि उसके या उनके एचआरएमएस खाते में होने वाली किसी भी गड़बड़ी का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके।

IV घ हितधारकों से सक्रिय अनुबंध:

ले. एवं हक. कार्यालयों ने एक समान रूप से जीपीएफ के अंतिम भुगतान मामलों, पेंशन का प्राधिकार और वेतन पर्ची जारी करना आदि के शीघ्र निपटान के उद्देश्य से हकदारी कार्यों को सरल बनाकर संतुष्टि के स्तरों में सुधार का प्रयास किया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतरण और प्राधिकरण की ओर बढ़ने से कुछ कार्यालयों में मामलों के निपटान में लगने वाले समय में कमी आई है। नागरिक चार्टर में यथा निर्धारित निपटान के लिए समय सीमा का पालन किया



जा रहा है। लगभग सभी कार्यालयों में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र कार्यशील हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, शिकायतों में समग्र गिरावट देखी गई है।

राष्ट्रव्यापी कार्यालय द्वारा सीधे तौर पर हितधारकों से बातचीत करने के लिए अथवा कोषाधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु कर्मचारियों के लिए अदालतें आयोजित करने की पहल की गई है, ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। आयोजित की गयी इस प्रकार की अदालतों या कार्यशाला के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1. हरियाणा में 18.09.2018 को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था जिसमें डीसीआरजी के रोके गए लगभग 700 मामलों को मंजूरी दी गई थी। अनेक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया था।
2. महाराष्ट्र में निर्धारित तिथि एवं समय पर एवं उचित स्थिति के अंतर्गत पेंशन मामलों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के संवेदीकरण हेतु चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। पेंशनभोगियों के लिए सितम्बर 2018 में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था। 500 पेंशनभोगियों/ पेंशनभोगियों के एजेंटों ने अदालत का दौरा किया और 100

से अधिक पेंशन संबंधी मुद्दों का निपटान किया गया था और अदालत के दौरान उन पेंशनभोगियों को प्राधिकार संवितरित किए गए थे।

3. महाराष्ट्र में राज्य सरकार के ग्राहकों के जीपीएफ खातों में क्रेडिट में चूक और दर्ज न की गई मदों के कारण ग्राहक की अधिक से अधिक संतुष्टि देने और शिकायतों को कम करने पर ध्यान केंद्रीत करने के उद्देश्य से महालेखाकार के मार्गदर्शन के तहत सतारा, अहमदनगर, धुले और जलगाँव में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए भविष्य निधि कार्यशाला सह अदालत आयोजित की गई थी।
4. उत्तर प्रदेश-1 में पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से कार्यालय परिसरों में 18.09.2018 को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था। चौवन मामलों में से, तैंतीस का शीघ्र निपटान किया गया था और शेष इक्कीस संबंधित डीडीओ द्वारा अपने स्तर पर निपटान हेतु लिए गए थे।
5. उत्तराखंड में 30 और 31 अक्टूबर 2018 को फंड अदालत का आयोजन किया गया था जिसमें 140 डीडीओ के साथ-साथ जीपीएफ ग्राहकों ने भी भाग लिया था। कार्यालय, वेबसाइट के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं के साथ-साथ संपूर्ण

जीपीएफ मिलान/अंतिम भुगतान मामलों को प्रस्तुत करने के विषय में डीडीओ के बीच जागरूकता का सृजन करने में सक्षम था।

6. त्रिपुरा में ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जैसे विभिन्न मंच ई-मेल, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और हैल्पडेस्क से उपलब्ध कराए गए हैं। यह स्थानीय दैनिक, फ्लेक्स बैनर और स्थानीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से भी प्रचारित किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त तिमाही निष्पादन प्रतिवेदनों के माध्यम से ऊपर उल्लेखित क्षेत्रीय प्र.म.ले./म.ले. (ले. एवं हक.) कार्यालयों की सभी गतिविधियों की निगरानी मुख्यालय द्वारा की जाती है।

V आगे बढ़ने का रास्ता:

(i) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) केंद्र सरकार की ई-शासन पहल है, जो मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के रूप में आरंभ की गई है, जिसमें बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए, राज्यों के वित्त पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के वित्तीय संव्यवहारों का कम्प्यूटीकरण विस्तृत रूप से शामिल है। प्रत्येक वित्तीय संव्यवहार के लिए सत्य का एकल स्रोत प्राप्त करने के लिए डीडीओ, कोषागारों, एजेंसी

बैंकों, राज्य स्तर के साथ-साथ संघ के सरकारी विभागों, आरबीआई और म.ले. की विभिन्न आईटी प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से एक ऑनलाइन और वास्तविक समय इंटरफेस की परियोजना में परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए म.ले. (ले. एवं हक.) प्राथमिक हितधारकों के रूप में राज्य सरकारों के साथ भागीदार है।

बड़े पैमाने पर कम्प्यूटीकरण के आगमन के साथ, सरकारी कार्य की प्रक्रियाएं तेजी से डिजिटीकृत की जा रही हैं। ले. एवं हक. कार्यालयों में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए वर्तमान परिदृश्य के अधिमूल्यन और इसे कुशलतापूर्वक एवं शीघ्रता से उपयोग में लाना आवश्यक है। कर्मचारियों की दक्षताओं का उन्नयन के लिए लगातार प्रयास करते हुए, कार्यालय राज्य सरकारों के विकास के उपायों पर भी ध्यान दे रहे हैं। विचारों के निरंतर आदान-प्रदान और जागरूकता पैदा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न मंचों जैसे सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाओं का उपयोग किया जा रहा है। सटीकता में सुधार करते हुए कार्य की प्रक्रियाओं में शीघ्रता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अनेक कार्यालय एसएमएस और व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से नियमित अंतराल पर हितधारकों के लिए सूचना प्रदान कर रहे हैं। इन सभी उपायों से बड़ी पारदर्शिता, दक्षता



और समयबद्धता का लाभ उठाते हुए, लेखाओं की गुणवत्ता एवं सेवा सुपुर्दगी में सुधार अपेक्षित हैं। विभिन्न राज्य आईएफएमएस के कार्यान्वयन के भिन्न स्तरों पर हैं। अठारह राज्यों द्वारा मासिक लेखाओं के संबंध में डिजिटल डेटा प्रदान किया जा रहा है। हालांकि, इसके सभी मॉड्यूलों के साथ आईएफएमएस का संपूर्ण कार्यान्वयन किया जाना अभी बाकी है। राज्य महालेखाकारों के लिए आईएफएमएस के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियां हैं। सर्वप्रथम, ई-भुगतान और प्राप्तियों के साथ, भौतिक वाउचर और चालान बंद हो जाएंगे। कोषागारों से प्राप्त ऑनलाइन डेटा को

मान्य करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब अतिरिक्त प्रणाली जांच और आईटी संचालित कोषागार निरीक्षणों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

जैसे ही प्रणाली पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, म.ले. कार्यालयों में प्राप्त लेखे एवं सूचना पूरी तरह इलेक्ट्रानिक हो जाएगी। ई-बिलिंग, ई-संस्वीकृति, ई-अनुसूची एवं डिजिटल हस्ताक्षर की पूर्व-अपेक्षित शर्तों के साथ ई-वाउचर्स की शुरुआत होने से बड़े परिवर्तन होने की संभावना है।



अध्याय 4

व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानक में परिकल्पित है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होनी चाहिए। यह सभी व्यवसायियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है और गुणवत्ता नियंत्रण और हमारी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।

1. सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के सहयोग से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की थी। गसब का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार के मद्देनज़र लेखाकरण मानकों को निरूपित और सिफारिश करना है। नयी प्राथमिकताओं में सार्वजनिक योजना निधियन के लिए मात्र संसाधनों का पता लगाने की बजाय सार्वजनिक व्यय करने में अच्छे अभिशासन, राजकोषीय सावधानी, दक्षता एवं पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है। गसब में सरकार (केन्द्रीय और राज्य), व्यावसायिक लेखाकरण संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक और अकादमी के उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व करने वाले 16 सदस्य शामिल हैं।

गसब के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों का निरूपण करना और सुधार करना;
- मानकों को निरूपित करना और प्रस्तावित करना जो वित्तीय रिपोर्ट के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के आधार पर वित्तीय रिपोर्टों की उपयोगिता को सुधारेगें;
- मानकों को अद्यतित रखना और शासकीय वातावरण में बदलाव को दर्शाना;
- मानकों के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन प्रदान करना;
- लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के विशेष क्षेत्रों पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है; और
- वित्तीय रिपोर्टों में निहित सूचना की प्रकृति और उद्देश्य की सामान्य समझ में सुधार करना।

गसब दो प्रकार के मानक तैयार करता है (i) रोकड़ आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानक जिसे भारत सरकार लेखाकन मानक (आईजीएस) कहा जाता है और यह सरकार



द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्य और विधानमंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों के अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं; और (ii) प्रोद्भव आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों जिसे भारत सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईजीएफआरएस) कहा जाता है और सिफारिशों हैं। पणधारकों के परामर्श से विकसित ये मानक संविधान के अनुच्छेद 150, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ और राज्य सरकारों की लेखाओं की विषय-वस्तु और प्रारूप को व्यापक रूप से प्रतिपादित करेगा, के प्रावधानों के अनुसार विचार और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

। क अधिसूचित लेखांकन मानक

मार्च 2019 तक निम्नलिखित तीन आईजीएएस अधिसूचित किए गए हैं:

- आईजीएएस 1: सरकारों द्वारा दी गई गारंटियां: प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- आईजीएएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण
- आईजीएएस 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

। ख सरकार के विचाराधीन लेखांकन मानक

मार्च 2019 तक भारत सरकार के विचाराधीन आईजीएएस और आईजीएफआरएस को नीचे दिया गया है:

- आईजीएएस-7: विदेशी मुद्रा लेन-देन और विनियम दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ
- आईजीएएस-9: इक्विटी में सरकारी निवेश
- आईजीएएस-10: सार्वजनिक ऋण और सरकार की अन्य देयताएं: प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- नकद प्रवाह विवरण पर आईजीएएस
- आईजीएफआरएस 1: वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण
- आईजीएफआरएस 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
- आईजीएफआरएस 3: सरकारी विनियम लेनदेन से राजस्व
- आईजीएफआरएस 4: इन्वेंटरी
- आईजीएफआरएस 5: आकस्मिक देयताएं (गारंटियों के अतिरिक्त) और आकस्मिक परिसम्पत्तियां: प्रकटीकरण अपेक्षाएं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 'स्थायी परिसम्पत्तियों के लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट' को 17 मई 2018 को आयोजित गसब की 32 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया और 07 जून 2018 को अधिसूचना हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। गसब की इस 32वीं बैठक के दौरान नीतिबद्ध विकास योजना (एसडीपी) 2017-20 को अंततः संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया था।

दायित्वों के अनुसार गसब के 'सरकारी परिवेश में



मानकों को चालू रखने और परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए' पहले से ही अधिसूचित दो मानकों नामतः 'आईजीएस-2: सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण' और 'आईजीएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम' हैं जो 26 मार्च 2019 को आयोजित गसब की 34वीं बैठक में बोर्ड द्वारा संशोधित/अशोधित और अनुमोदित किये गये हैं।

इसके अलावा, सरकार के सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों पर मानक/घोषणाएं; आरक्षित निधि का लेखांकन, गसब की उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर अवधारणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं।

गसब अन्य मानकों में संशोधन करने का प्रयास भी कर रहा है जो गसब द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं परंतु उपयोगकर्ता डिविजनों की टिप्पणियों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना लंबित है। अन्य दो मानक नामतः आईजीएस-7: विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं विनिमय दर भिन्नता द्वारा हानि या लाभ; और आईजीएस-10: सार्वजनिक ऋण और सरकारों की अन्य देयताएं जो संशोधन हेतु विचाराधीन हैं।

II व्यवसायिक पद्धति समूह (पीपीजी) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और नीति को निर्धारित करने के लिए और विभिन्न तकनीकी विषयों के लिए एक सलाहकार विंग के रूप में कार्य करने के लिए अधिदेशित है। पीपीजी प्रक्रियाओं को

निर्धारित करने से पहले या एक नई पहल के साथ आने से पूर्व एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाता है। पीपीजी व्यवसायिक मानकों एवं अभ्यासों के विकास और मजबूती के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझेदारी भी करता है। तकनीकी बोर्ड व्यवसायिक अभ्यासों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को विभिन्न लेखांकन और लेखापरीक्षण नीतियों एवं प्रक्रियाओं पर सुझाव देता है। तकनीकी बोर्ड को अपने प्रयासों में पीपीजी द्वारा सहायता प्राप्त होती है। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक में व्यवसायिक अभ्यासों को मजबूत करने के उद्देश्य से, पीपीजी ने वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

II क "वित्तीय विवरणों पर एक राय बनाना एवं रिपोर्टिंग करना" शीर्षक के साथ अभ्यास नोट

अभ्यास नोट वित्तीय प्रमाणन और लेखापरीक्षा नियमावली (एफएएएम) और राज्य सरकार लेखाओं की लेखापरीक्षा (एफएएसजी) हेतु वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षण दिशानिर्देश से आगे की प्रक्रिया है जो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के वित्त एवं विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय विवरणों पर एक राय बनाने और रिपोर्टिंग करने हेतु एक परिचालन फोकस के साथ अनुप्रयोग मार्गदर्शन प्रदान कराने के लिए है। नोट में निर्देश दिया गया है कि 'विषय की प्रमुखता' वित्त एवं विनियोजन



लेखाओं पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र में शामिल किया जाना है।

नोट के संलग्नकों में नमूना प्रारूप, टिप्पणियों/ अभियुक्तियों की सूची निर्देशों के रूप में कार्य करने के लिए शामिल है। लेखापरीक्षा प्रमाण पत्रों में 'प्रमुखता' की आवश्यकता वाले कुछ संव्यवहारों का उल्लेख राष्ट्रीय पेंशन योजना, व्यक्तिगत जमा/लेजर खाते, आरक्षित निधियां, एसी/डीसी बिलों और उपयोगिता प्रमाण-पत्र के रूप में किया गया है।

II ख "बी. आर. अंबेडकर व्याख्यान शृंखला" के नाम पर व्याख्यान शृंखला

"बी. आर. अंबेडकर व्याख्यान शृंखला" नाम की व्याख्यान शृंखला 2018 में संविधान के मुख्य निर्माता के सम्मान में प्रारंभ की गई थी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था पर उनका महत्व था। व्याख्यान शृंखला का उद्देश्य हमारे अधिकारियों को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विचारों एवं मुद्दों को सुनने का अवसर देना है।

अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, शासन, विधि, पत्रकार और स्तंभकार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हस्तियां व्याख्यान हेतु आमंत्रित की गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान बी. आर. अंबेडकर व्याख्यान शृंखला के भाग के रूप में चार व्याख्यान दिए गए थे।

III क निरीक्षणों द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन

निरीक्षण विंग पर विभाग के सभी 131 कार्यालयों के आंतरिक नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। यह

अनुपालन स्तरों पर आश्वासन, मानव पूंजी का इष्टतम उपयोग हेतु कार्यप्रणाली में सुधार, दक्षता अनुकूलन और अंतर विश्लेषण प्रदान करता है। अलग-अलग कार्यालयों में देखी गई अच्छी प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, विंग शाखा कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य स्थल पर निरीक्षण करता है। जहां तक संभव हो कार्यालयों का त्रिवर्षीय आधार पर चयन किया जाता है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यात्मक विंग के निरीक्षण और जबाबदेही की प्रभावशीलता में सुधार के लिए इस वर्ष विशेष उपाय किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं:

- (i) निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए, विंग ने विशिष्ट प्रयोजन और इनपुटों को लेने और मुख्यालय के कार्यात्मक विंग में नियमित संवाद के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ तालमेल को बेहतर बनाने एवं इसे बनाए रखने का प्रयास किया है।
- (ii) क्षेत्रीय निरीक्षणों से पहले निरीक्षण दल की तैयारियां प्राप्त और संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए उन्हें उपलब्ध पृष्ठभूमि सामग्री के डेस्क अध्ययन करने का कार्य सौंपा जाता है जैसे नियमित आधार पर कार्यात्मक विंग से प्राप्त पूर्ववर्ती समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट और नियतकालीन विवरणी/इनपुट। क्षेत्रीय कार्यों को पूर्ण करने से पहले और



पूर्ण होने के बाद दल ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग के माध्यम से सत्र से पहले उच्चतम स्तर पर अध्ययन करते हैं।

समकक्ष समीक्षा का आयोजन करते हैं। ये "समकक्ष समीक्षा द्वारा गुणवत्ता आश्वासन"

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2018-19 के दौरान सृजित अभियुक्तियों की संख्या	2018-19 के दौरान निपटान की गयी अभियुक्तियों की संख्या	अनुपालन के लिए लंबित अभियुक्तियों की कुल संख्या
28	27*	1374	149	2225

*प्रशासनिक कारणों से एक कार्यालय का निरीक्षण स्थगित किया गया था

(iii) हितधारकों का ध्यान सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टें संक्षिप्त संकेन्द्रित और अधिक पठनीय बनाई गई हैं।

2018-19 के दौरान 22 मुख्य कार्यालयों के निरीक्षण किए गए थे (राज्य लेखापरीक्षा 08, एमएबी-04, प्रशिक्षण संस्थान-03, रक्षा-02, ले. एवं हक.-02, केंद्रीय लेखापरीक्षा-02 और रेलवे लेखापरीक्षा-01)। 2018-19 के दौरान, मुख्य कार्यालयों के अतिरिक्त 08 शाखा कार्यालय (डाक एवं दूरसंचार-05, रक्षा-01, लेखापरीक्षा-01 और केंद्रीय लेखापरीक्षा-01) अलग से निरीक्षण किए गए थे। निरीक्षण करने के लिए सभी 285 पार्टी दिनों का उपयोग गया था।

2018-19 के दौरान नियोजित, संचालित निरीक्षणों और जारी किए गए और निपटान किये गये निष्कर्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

III ख आंतरिक समकक्ष समीक्षाएं

हम गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के भाग के रूप में भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में

पर दिशा-निर्देशों द्वारा प्रशासित होती हैं और साई-2016 के निष्पादन निगरानी फ्रेमवर्क (पीएमएफ) के अनुरूप की जाती हैं।

समीक्षा किए गए कार्यालयों द्वारा अनुपालन की जा रही अच्छी प्रथाओं को विशेष दर्शाने का समकक्ष समीक्षकों से विशेष अनुरोध किया गया था।

वर्ष 2018-19 के दौरान तेरह (13) कार्यालयों (ले. एवं हक.)-04, लेखापरीक्षा-04, केंद्रीय लेखापरीक्षा-02, रेलवे लेखापरीक्षा-01, एमएबी-01 और प्रशिक्षण संस्थान-01) की समकक्ष समीक्षा महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई। निरीक्षण विंग ने इन समकक्ष समीक्षाओं का समन्वय किया। अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी संबंधित कार्यात्मक विंग द्वारा की जाती है।

अध्याय 5

हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

इस्साई 10 यह निर्धारित करता है कि साई के पास प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए अनिवार्य तथा उपयुक्त श्रमबल, सामग्री और मौद्रिक संसाधन होने चाहिए। उन्हें अपने बजट का प्रभावी रूप से प्रबंध करना चाहिए और उपयुक्त रूप में आबंटित किया जाना चाहिए।

I हमारा वित्तीय प्रबंधन

हमने 2018-2019 में ₹4778.13 करोड़ खर्च किए। घटक-वार व्यय के विवरण नीचे दिये गए हैं:

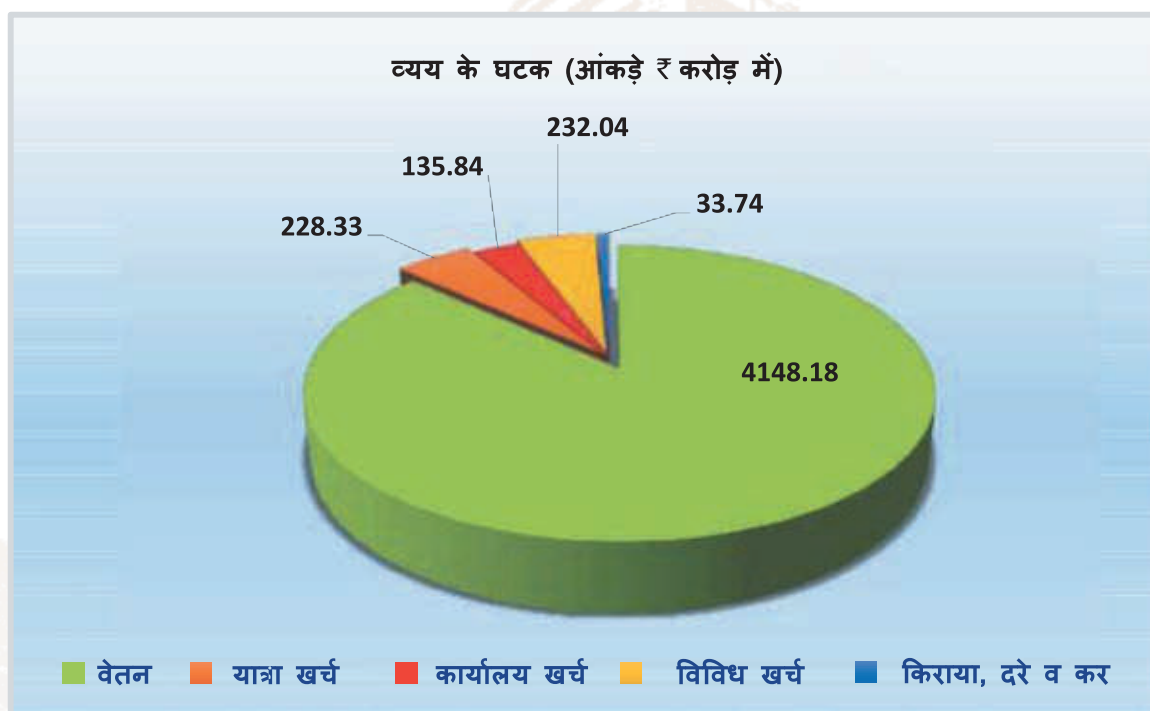
I क व्यय के घटक

हमने अपने संसाधनों का 86.82 प्रतिशत 'वेतन' और 4.78 प्रतिशत 'यात्रा' पर व्यय किया। इस

प्रकार कुल व्यय का 91.60 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से हमारे मानव संसाधनों पर खर्च हुआ।

I ख कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय तथा यूएन लेखापरीक्षा यूनिट पर व्यय को छोड़कर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का समग्र व्यय 'दत्तमत' है। व्यय के सबसे बड़े हिस्से के लिये सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय उत्तरदायी है और उसके बाद सिविल लेखा कार्यालय हमने लेखापरीक्षा पर (मुख्यालय को छोड़कर) लगभग 64.23 प्रतिशत व्यय किया। सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया कुल व्यय लगभग 30.93 प्रतिशत था।





कार्यालयों की श्रेणियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय	151.81	3.18
यूएन लेखापरीक्षा	6.81	0.13
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	28.81	0.60
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	2335.68	48.88
डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	144.12	3.04
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	252.52	5.28
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	107.28	2.25
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	194.13	4.06
एनएएए शिमला	16.65	0.35
आईसीआईएसए, नोएडा	11.80	0.25
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान	36.05	0.75
विभागीय कैंटीन	14.55	0.30
सिविल लेखा कार्यालय	1477.92	30.93
जोड़	4778.13	100

II मानव संसाधनों का प्रबंधन

ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण, हमारे लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति हैं। इस्साई 40 निर्धारित करता है कि साई को नीतियों और प्रक्रियाओं को इस आश्वासन के साथ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन करना चाहिए कि इसमें

पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हो जो अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें

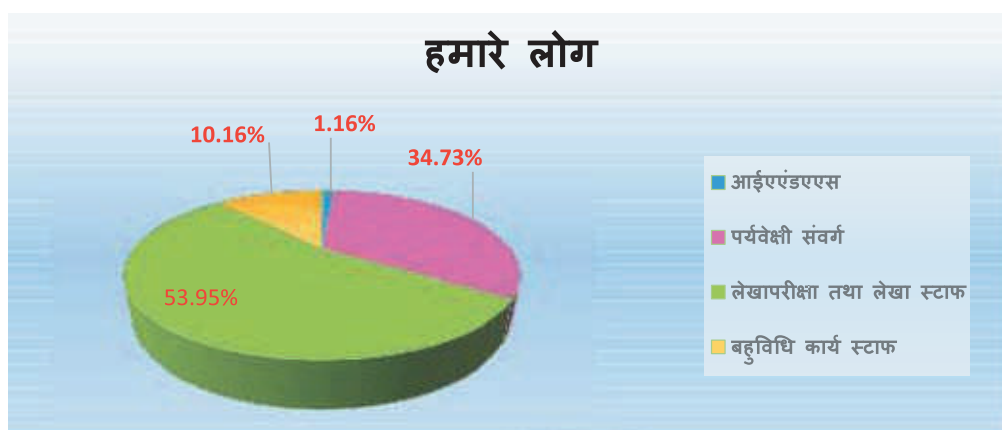
हमारे श्रमबल को व्यापक रूप में चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी	संख्या (1 मार्च 2019 तक)
आईएएण्डएस	534
पर्यवेक्षी संवर्ग	15,971
लेखापरीक्षा तथा लेखा स्टाफ	24,813
बहुविधि कार्य स्टाफ	4,674
जोड़	45,992

आईएएंडएडी में 35.89 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धन और पर्यवेक्षी स्तर पर हैं और 53.95 प्रतिशत लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ है। कुल स्टाफ संख्या का केवल 10.16 प्रतिशत (एमटीएस) है जो सहायता कार्य करते हैं। 64,467 की संस्वीकृत क्षमता के प्रति केवल 70.51 प्रतिशत स्टाफ वर्तमान में विभाग में कार्यरत है।

लेखा सेवा (एसएस) परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति की जाती है।

लेखापरीक्षा तथा लेखा स्टाफ - यह संवर्ग डॉटा एन्ट्री आपरेटर (डीईओ), लिपिकों, लेखापरीक्षकों/लेखाकारों और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों / वरिष्ठ



भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा (आईएएंडएएस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आईएएंडएडी के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। वे गठित करते हैं जिसे भारत सरकार में समूह 'ए' सेवाएं कहा जाता है।

पर्यवेक्षी संवर्ग - राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग (समूह ख-राजपत्रित) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा हैं। अधीनस्थ लेखापरीक्षा/

लेखाकारों से बनता है और हमारे कुल श्रमबल का 53.95 प्रतिशत है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या सहायक संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहुविधि कार्य स्टाफ - विभिन्न आईएएडी कार्यालयों में सभी सहायता कार्य, बहु-विधि कार्य स्टाफ (एमटीएस) द्वारा किए जाते हैं।

III योग्यताएं

वर्ग 'ख' और 'ग' संवर्गों के हमारे अधिकारी और कर्मचारी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 170 डॉक्ट्रेट, 3,165 व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त कार्मिक, 4,783 स्नातकोत्तर और



26,016 स्नातक हैं। भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा में 12 डॉक्ट्रेट, 382 व्यवसायिक रूप से योग्यता प्राप्त³ अधिकारी, 143 स्नातकोत्तर और 131 स्नातक हैं।

IV भर्ती

क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम कार्मिक पर 2018-19 के दौरान स्टाफ विंग का ध्यान केंद्रीत रहा। सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, डिविजनल लेखाकार, कनिष्क हिंदी अनुवादक, लेखापरीक्षक, लेखाकार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक और बहुविधि कार्य स्टाफ के पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से की गई मांग

नियुक्त किए गए थे, ताकि कर्मचारियों की कमी, यदि कोई हो, के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों में हो रहा कार्य प्रभावित न हो।

V लिंग संतुलन

साथ में दी गई तालिका विभाग के विभिन्न संवर्ग में लिंगानुपात दर्शाती है। आईएण्डएस में महिलाओं का अनुपात अधिकतम है।

VI स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखापरीक्षा तथा लेखा स्टाफ और पर्यवेक्षी संवर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 244 स्टाफ संगठन और 5 अखिल भारतीय संघ हैं।

श्रेणी	महिलाएं	पुरुष	प्रतिशतता
आईएण्डएस	135	399	25.28
पर्यवेक्षी संवर्ग एवं लेखा/लेखापरीक्षा स्टाफ	6,740	34,044	16.53
बहुविधि कार्य स्टाफ	631	4,043	13.50
कुल	7,506	38,486	16.32

2018-19 के दौरान कार्यान्वित की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप समूह 'ख' और 'ग' संवर्ग में कमी का काफी हद तक पता लगाया गया है।

- हमने 2018-19 में 1845 व्यक्तियों को भर्ती किया। पर्यवेक्षी स्टाफ श्रेणी (735) और बहुविधि कार्य स्टाफ श्रेणी (826) में बड़ी संख्या में भर्ती की गई।
- सलाहकार विशिष्ट आवश्यकता आधार पर

संबंधित क्षेत्र स्तरीय सेवा संगठन के साथ प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार द्वारा राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।

VII प्रकाशन

ई-जर्नल के रूप में सरकारी लेखापरीक्षा एवं लेखा के जर्नल को पुनर्जीवित किया गया है। ई-जर्नल ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र के साथ-साथ विभाग में सर्वोत्तम



पद्धतियों और मुख्य घटनाओं का प्रसार करते हुए आंतरिक संचार माध्यम के रूप में कार्य करना जारी रखा। जर्नल ने अंतर्राष्ट्रीय डेस्क से नई नीतिगत पहल और समाचार पर प्रकाश डाला।

सरकारी लेखापरीक्षा तथा लेखा के जर्नल के (नौवां एवं दसवां) जारी दो अंक:

सरकारी लेखापरीक्षा तथा लेखा (ई-जर्नल) के जर्नल के दो छमाही अंक क्रमशः अगस्त 2018 एवं अप्रैल 2019 में निकाले गये थे।

अगस्त 2018 का ई-जर्नल जोकि सरकारी लेखापरीक्षा और लेखा के जर्नल का नौवां अंक है, में इंटोसाई की विभिन्न उप-समितियों और कार्यचालन समूहों के मानक बनाने तथा संबंधित गतिविधियों में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) की भूमिका पर लेख समाविष्ट है। साई भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षा मानकों और कार्यप्रणाली के विकास हेतु एक प्रमुख प्लेयर और मुख्य योगदानकर्ता है। इस अंक में व्यावसायिक कार्यप्रणाली समूह (पीपीजी) भी वर्णित है जोकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संस्थान में मानकों तथा लेखापरीक्षा मार्गदर्शन बनाने हेतु निकाय है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा को आधुनिकतम कार्यप्रणालियों में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षकों को मानक निर्माण गतिविधियों से जागरूक बनाना उद्देश्य है।

अप्रैल 2019 में प्रकाशित किया गया सरकारी लेखापरीक्षा और लेखों के जर्नल का दसवां अंक

एक विशिष्ट संस्करण है जो अक्टूबर 2018 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय में आयोजित किए गए 29वें महालेखाकारों के सम्मेलन, 2018 की मुख्य विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु 'डिजिटल युग में लेखापरीक्षा तथा लेखांकन' थी, जिसे आगे चार उप-विषयवस्तु में बांटा गया था (i) लेखापरीक्षा योजना, (ii) लेखापरीक्षा क्रियान्वयन, (iii) लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग तथा (iv) डिजिटल वातावरण में लेखांकन।

VIII हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करते हैं

सूचना प्रणाली विंग के आधारभूत कार्य:

सूचना प्रणाली (आईएस) विंग विभिन्न प्रकार्यत्मक स्कंधों द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्यप्रणालियों के कम्प्यूटरीकरण तथा पणधारियों के उपयोग हेतु एक समन्वयक के रूप में कार्य करता है। आईएस विंग इस समय अनुसंधान, नीतियों के निर्माण, योजना बनाना, दिशा निर्देश जारी करना, बजट कार्य, निधियों के आबंटन तथा उपक्रम स्तर आईटी परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। आईएस विंग सभी लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए एक आद्योपान्त उपक्रम व्यापी समाधान हेतु वन आईएएंडएडीवन सिस्टम प्रोजेक्ट को लीड करने हेतु भी उत्तरदायी है।

आईएस विंग में संपादित विभिन्न गतिविधियां निम्नलिखित हैं:



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

I. **आईटी बजट:** आईएण्डएडी में कम्प्यूटरीकरण गतिविधियों के लिए 'सूचना प्रोद्योगिकी' शीर्ष के अंतर्गत बजट आंकलनों/संशोधित आंकलनों को तैयार करना।

II. **ले. व. हक. कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण गतिविधियां**

- वाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकरण,
- सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ),
- पेंशन, राजपत्रित हकदारी (जीई),
- सीएफआरए
- हकदारी प्रकार्य एसएमएस, मोबाइल एप्लीकेशन हेतु वेब इनेबल्ड सेवाएं।

III. **सीएजी वैबसाइट:** सीएजी वैबसाइट का रखरखाव तथा अद्यतनीकरण/नवीकरण।

IV. **आईएण्डएडी के लिए ई-मेल**

- एनआईसी डोमेन के अंतर्गत ई-मेल आईडी बनाना।
- ईमेल प्रशासन से संबंधित सभी मामले।

V. **इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा लैन**

- एनआईसी के निकनेट द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में आईएण्डएडी नेट कनेक्टिविटी।

VI. **आईएएस अधिकारियों को लैपटॉप**

- क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात आईएएस अधिकारियों को लैपटॉप की संस्वीकृति।

VII. **कम्प्यूटर आईटी हार्डवेयर**

- क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नलिखित हेतु

निधियों की संस्वीकृति:

- आईटी हार्डवेयर तथा पेरिफेरलस
- नेटवर्किंग अवसंरचना
- क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पार्टियों को लैपटॉप
- प्रत्येक लेखापरीक्षा पार्टी को दूसरा लैपटॉप उपलब्ध कराकर संशोधित लैपटॉप नीति का कार्यान्वयन।

VIII. **सॉफ्टवेयर**

- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आईडिया, टेबलिउ, ऑरेकल इत्यादि मानकीकृत सॉफ्टवेयर की केन्द्रीकृत खरीद/नवीकरण तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच वितरण।

IX. **आईटी उपभोज्य सामग्री पर आवर्ती व्यय पर आईटी प्रस्ताव**

- क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर/पेरिफेरलस, उपभोज्य सामग्री इत्यादि के एएमसी हेतु निधियों की संस्वीकृति।

X. **ई-ऑफिस का कार्यान्वयन**

- ई-ऑफिस सभी स्तरों पर सरकार के मुख्य कार्यों को एक आभासी 'कागज रहित' वातावरण में संपादित करने में सक्षम बनाता है।

XI. **ओआईओएस परियोजना का कार्यान्वयन ओआईओएस परियोजना पृष्ठभूमि**

- वन आईएण्डएडी वन सिस्टम' (ओआईओएस) परियोजना का लक्ष्य आईएण्डएडी की लेखापरीक्षा गतिविधियों से संबंधित

यथार्थता के एकल स्रोत का निर्माण करना है। ओआईओएस विभिन्न आईटी एप्लीकेशन की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को एक एकल उपक्रम-व्यापी आईटी एप्लीकेशन में एक साथ लाएगी। यह आईटी एप्लीकेशन इस तरह डिज़ाइन की जाएगी कि आईएडी में किसी भी लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा इसे कॉन्फिगर और उपयोग किया जा सकेगा।

ओआईओएस परियोजना उद्देश्य

- ओआईओएस परिकल्पित क्रियाकलापों का उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित यथार्थता का एकल स्रोत होगा।
- क्रियाकलाप या क्रियाविधि स्वतः ही ओआईओएस में अभिग्रहित की जानी है तथा जिससे कार्योत्तर पृविष्टि को अधिकतम संभावित सीमा तक टाला जा सके।
- ओआईओएस का लक्ष्य विभिन्न कार्यालयों में सामान्य न्यूनतम/आवश्यक लेखापरीक्षा क्रियाविधियों को अभिग्रहण करना तथा विंग/कार्यालय/लेखापरीक्षा-वर्ग-वार-कॉन्फिगरेशन प्रदान करना होना चाहिए।
आरएफपी अगस्त 2019 में जारी होना नियोजित है।

XII. मालसूची प्रबंधन

- आईटी मालसूची मॉड्यूल का नवीनीकरण वर्ष 2019-20 में नियोजित किया गया है।

XIII. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी)

- यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभ में मुख्यालय तथा स्थानीय रूप में अर्थात् दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध लगभग 1000 नोदस में एनएसी के कार्यान्वयन तथा अंतिम बिन्दु नेटवर्क सुरक्षा (केन्द्रीय प्रबंधित एंटीवायरस तथा पैच प्रबंधन प्रणाली) के कार्य को किया जाएगा।

IX राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास

प्रकाशन

मुख्यालय से 2018-19 के दौरान, राजभाषा की त्रैमासिक पत्रिका, "लेखापरीक्षा प्रकाश" के चार अंक प्रकाशित किये गये। लेआउट तथा डिज़ाइन की गुणवत्ता के साथ-साथ पत्रिका की संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी राजभाषा पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित कर रहे हैं।

हिन्दी कार्यान्वयन

(क) भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा हेतु उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में चार तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया।



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

(ख) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, के वार्षिक कार्यक्रम, 2018-19 के अनुसार, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहक वातावरण का निर्माण करने तथा सरकारी कामकाज हिन्दी में करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की हिचक दूर करने के लिए इस कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जाना था। वर्ष 2018-19 के दौरान, इस कार्यालय ने 27 से 29 जून, 2018 तक तीन दिनों की हिन्दी कार्यशाला का सफल आयोजन किया। नामित अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

(ग) मुख्यालय में 14 से 28 सितम्बर 2018 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन हुआ। कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिन्दी को प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े का सफल आयोजन अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में भी किया गया तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इससे राजभाषा के कार्यान्वयन की ओर जागरूकता तथा उत्साह वर्धन में मदद मिलती है।

(घ) राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुख्यालय के अनुभागों सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इससे निश्चित रूप से राजभाषा के प्रगामी

प्रयोग के प्रोत्साहन को मदद मिल रही है।

अनुवाद

जैसा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत अपेक्षित है, प्रसार से पहले निम्नलिखित दस्तावेज हिन्दी में अनुवाद किए गए:

- (क) सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञापितियां;
- (ख) संसद के सदन अथवा सदनों के समक्ष रखे जाने वाले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात।

X अवसंरचना विकास

देश भर में विभिन्न स्थानों पर आईएएंडएडी के उपयोग के लिए आवासीय इकाईयों के साथ कार्यालय स्थल के संवर्धन हेतु कई भवन परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं जैसा नीचे विस्तृत है:

क. भूमि तथा भवन का अधिग्रहण:

1. **मुम्बई:** ₹ 24.33 करोड़ की लागत पर एयर इंडिया से ज्यूपिटर अपार्टमेंट, अल्टामाउण्ट रोड, मुम्बई में तीन आवासीय फ्लैटों का अधिग्रहण। फ्लैट की खरीद दक्षिण मुम्बई में स्थित आईएएंडएडी कार्यालयों में तैनात पीएजी/एजी स्तर के अधिकारियों को आवासीय स्थान उपलब्ध कराने हेतु किया गया।

- 2. अमरावती, आंध्र प्रदेश:** आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) ने आंध्र प्रदेश के नामित राजधानी शहर अमरावती में आईएएंडएडी कार्यालय भवन के लिए 2.05 एकड़ भूमि तथा आईएएंडएडी आवासीय परिसर के लिए 12.00 एकड़ भूमि आबंटित की है। भूमि 60 वर्षों के लिए पट्टा आधार पर आबंटित की गई है तथा एपीसीआरडीए को ₹ 14.05 करोड़ के पट्टा प्रीमियम का पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

ख. निर्माणाधीन परियोजनाएं:

1. ईटानगर - एजी कार्यालय भवन
2. शिमला - गोरटन कैसल बिल्डिंग का पुनरुद्धार कार्य
3. बेंगलोर - एच सिद्धाई रोड, बेंगलोर पर कार्यालय भवन का निर्माण
4. भुवनेश्वर - केसरीनगर, भुवनेश्वर में कार्यालय भवन का निर्माण
5. मुंबई - भांडुप, मुम्बई में आवासीय परिसर का निर्माण
6. जयपुर - बजाज नगर, जयपुर में टाइप-III क्वार्टर का निर्माण
7. रांची - रांची में आईएएंडएडी खेल परिसर का निर्माण।

ग. योजना के विभिन्न चरणों पर परियोजनाएं:

1. कोलकाता - उल्टाडांगा, कोलकाता में आईएएंडएडी कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का निर्माण
2. रांची - एमएबी रांची, पीडीए (केंद्रीय) लखनऊ तथा दोरांडा, रांची में शाखा: एमएबी-II कोलकाता के लिए कार्यालय भवन का निर्माण
3. आइजोल - आइजोल में आईएएंडएडी आवासीय परिसर का निर्माण
4. पटना - वर्ष 2018 में गर्दनीबाग, पटना में राज्य सरकार द्वारा आबंटित 4.00 एकड़ भूमि का उपयोग
5. अमरावती - अमरावती में कार्यालय भवन का निर्माण
6. अमरावती - अमरावती में आईएएंडएडी आवासीय परिसर का निर्माण
7. तिरुवनंतपुरम - वर्ष 2017 में केरल सरकार द्वारा आबंटित 56.00 सेण्टस भूमि का उपयोग

अध्याय 6

आईएएडी में क्षमता निर्माण

1. प्रस्तावना

आईएएंडएडी ने व्यवसाय कौशल तथा कुशलता को अपने मजबूत प्रशिक्षण क्षमता के माध्यम द्वारा, जो ग्रुप ए, बी एवं सी कार्मिक के बीच से होकर जाता है, निरन्तर उन्नयन का प्रयास करता है। प्रशिक्षण कार्यनीति, प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन प्रदान करने के माध्यम से कार्मिक को अपनी भूमिका के निष्पादन तथा मूल्य निर्माण में सहायता तथा मजबूत करने की ओर उन्मुख है।

लक्ष्य "व्यवसाय तथा संस्थागत संवर्धन को बढ़ावा" देना है।

2. आईएएडी में क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण में गहन प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन शामिल हैं तथा यह साईं भारत के प्रशिक्षण विंग का उत्तरदायित्व है। प्रशिक्षण विंग, महानिदेशक, एक व. प्रशासन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, दो सहायक प्रशासन

अधिकारियों तथा कुशल सहयोगी कर्मचारियों की सहायता से उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अन्तर्गत कार्य करता है। क्षमता निर्माण के उद्देश्य निम्न हैं:

- कार्य-क्षेत्र ज्ञान सुधारना तथा इसको प्रशिक्षण सामग्री में बदलना
- ज्ञान तथा सूचना सहभाजन
- शिक्षण एवं अध्ययन वातावरण में सुधार
- अध्ययन परिणामों में सुधार

3. आईएएडी के प्रशिक्षण संस्थान

विभाग की प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र सम्मिलित हैं।

i) **राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला:** राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी (एनएएए) आईएएडी का उच्चतम प्रशिक्षण





संस्थान है जिसे प्रमुख रूप से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएडंएएस) के अधिकारियों को आरंभिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया गया है। इस आरंभिक प्रशिक्षण में रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकरण, भूटान से दो भागीदार भी उपस्थित होते हैं।

अकादमी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षण, लेखाकरण, जन प्रशासन तथा बेहतर शासन के क्षेत्र में समकालीन बेहतर पद्धतियों के साथ सुप्रवीण सक्षम अधिकारियों के संवर्ग का विकास करना है। संस्थान अधिकारियों को मध्य-कैरियर तथा सेवारत प्रशिक्षण भी प्रदान करता है तथा भारतीय सिविल लेखा सेवाओं, भारतीय रक्षा लेखा सेवा इत्यादि जैसी अन्य सेवाओं के लिए विशेषज्ञता कार्यक्रमों को भी पूर्ण करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, एनएएए ने 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें आईएएस, आईडीएएस, आईसीएएस तथा आईआरएएस के 203 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम: भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा में पदोन्नति पर ग्रुप 'बी' अधिकारियों को भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा में उनकी नियुक्ति पर अपेक्षित उच्च स्तरीय प्रबन्धकीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये अधिकारी अकादमी में गहन अनुकूलन प्रशिक्षण से गुजरते

हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावसायिक ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के अद्यतन के अतिरिक्त प्राथमिक रूप से अधिकारियों के प्रबन्धकीय कौशल को बेहतर बनाने के लिये तैयार किया गया है। व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण का भी प्रमुख केन्द्र बिंदु है। 2018-19 के दौरान, एनएएए में 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।



ii) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा): नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा) मार्च 2002 में स्थापित किया गया था। आईसीसा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र विभिन्न सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, सशस्त्र सेनाएं, संसदीय सचिवालय तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के साथ-साथ अन्य साई से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।



आईसीसा का अधिदेश सूचना तकनीकी तथा ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में क्षमता निर्माण बढ़ाता है। आईसीसा आईएसएसीए इंडिया चेप्टर, अग्रणी लेखापरीक्षा फर्मो, सीईआरटी-इन, डीएससीआई तथा एसटीक्यूसी जैसे संस्थानों तथा एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। आईसीसा एक आईएसओ 9001:2008 (क्यूएमएस) तथा आईएसओ 27001 (आईएसएमएस) प्रमाणित संस्थान है जो कि प्रशिक्षण में गुणवत्ता प्रणाली सुनिश्चित करने तथा बेहतर वैश्विक प्रथाओं के साथ आईटी लेखापरीक्षा के संरक्षण के लिए प्रयासरत है।

आईसीसा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है जोकि चार सप्ताह की अवधि के होते हैं। विदेश मंत्रालय आईटीईसी (भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग); एससीएपी (विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकन सहायता कार्यक्रम) तथा सीपी (कोलम्बो योजना) के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य हैं:

- भारत सरकार, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को धन देती है, तथा अन्य सरकार के बीच में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना
- विभिन्न साई के इकट्ठे होने तथा लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचार तथा अनुभवों के सहभाजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना।

- विभिन्न साई से सहभागियों को लेखापरीक्षा में समकालीन बेहतर प्रथाओं का विवरण प्राप्त करने तथा उभरती हुई लेखापरीक्षा प्रयोजनो पर ध्यान केन्द्रण का एक अवसर प्रदान करना।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) से वरिष्ठ तथा मध्य स्तर अधिकारियों तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पैसिफिक तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है।

आईसीसा द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के क्षमता निर्माण में योगदान देता है। केन्द्र ने अनेक देशों यथा अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, ओमान, चीली तथा युगांडा से सहभागियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया तथा प्रदान किया। द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साई तथा संबंधित देशों के बीच संबन्धों को गहरा बनाने के लिए एक प्रभावकारी साधन है। आईसीसा ने पांच अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्य संचालित किए एवं 151 अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को प्रशिक्षित किया:

- वित्तीय तथा नियामक लेखापरीक्षा
- आईटी परिवेश में लेखापरीक्षा
- राज्य स्वामित्व वाले उपक्रम
- निष्पादन लेखापरीक्षा

ई-अभिशासन की लेखापरीक्षा
बीस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों पर संचालित किए गए जिसमें 537 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया:

- ई-अभिशासन परियोजनाओं की लेखापरीक्षा
- डाटा सिक्योरिटी-प्राइवसी एंड प्रोटेक्शन
- ई-खरीद की लेखापरीक्षा
- आईटी परिवेश में लेखापरीक्षा
- नेटवर्क सुरक्षा तथा मूल्यांकन
- यूएन संधारणीय विकास ध्येय
- आईटी सुरक्षा तथा साईबर कानून
- सूचना प्रणाली सुरक्षा प्रबंधन
- प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण (आईएस)
- ईआरपी (एसएपी) प्रणालियों में लेखापरीक्षा

- डाटा विश्लेषण तथा ईआरपी
- डिजिटल फोरेंसिक एंड मोबाईल कंप्यूटिंग
- डिसरपटिव टेक्नोलोजीज एंड इंटरनेट ओफ थिंग्स
- आईडिया
- आईटी में उदयीमान जोखिम
- आईटी लेखापरीक्षा
- ईआरपी प्रणाली (एसएपी) में आईटी लेखापरीक्षा

iii) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी)

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत केन्द्र (आईसीईडी) की स्थापना मई 2013 में हुई थी। आईसीईडी का लक्ष्य क्षेत्र में पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास हेतु जवाबदेही तथा शासन को बेहतर बनाने के लिए





उत्कृष्टता का एक वैश्विक केन्द्र के रूप में होना हैं। इस प्रकार आईसीईडी महत्वपूर्ण साझेदारियों द्वारा समर्थित एक अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम द्वारा पर्यावरणीय लेखापरीक्षा को संवर्धित करने के लिए प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में उच्च गुणवत्ता उत्पादों के विकास में कार्यरत है। आईसीईडी पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी दल (डब्ल्यूजीईए) तथा निष्कर्षण उद्योगों पर कार्यकारी दल (डब्ल्यूजीईआई) की वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

क्षमता निर्माण गतिविधियां

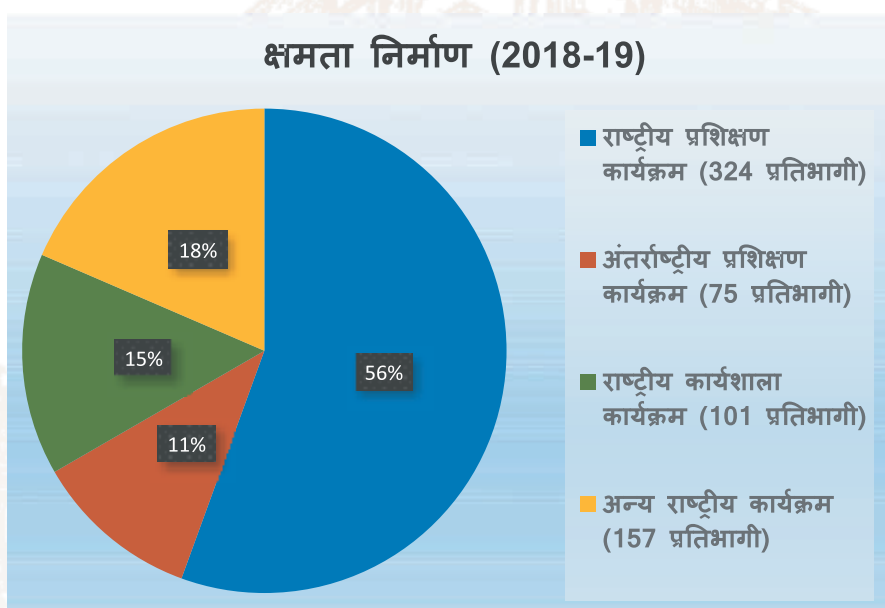
आईसीईडी पर्यावरणीय लेखापरीक्षा तथा सतत विकास के संबंध में कार्यक्षेत्र ज्ञान, हैंडहोल्डिंग तथा लेखापरीक्षा उद्देश्यों, जोखिम मूल्यांकन, डाटा स्रोत इत्यादि का पता लगाने संबंधी द्वारा क्षमता निर्माण हेतु आज़ापित है। वर्ष 2018-19

के दौरान आईसीईडी में 75 प्रतिभागियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की लेखापरीक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला सहित तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हुए। साथ ही 324 अधिकारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेवा के दौरान 15 प्रतिशत कार्यक्रम संचालित हुए।

आईसीईडी ने साथ ही प्राकृतिक संसाधन लेखांकन तथा चालू निष्पादन लेखापरीक्षा जैसा कि सतही जल प्रबंधन व नियंत्रण तथा एसडीजी की तैयारी तथा कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर 04 राष्ट्रीय कार्यशालाओं का संचालन किया।

अप्रत्यक्ष कर तथा कस्टम (सीबीआईसी) के केन्द्रीय बोर्ड के भारतीय राजस्व सेवा से संबंधित 50 प्रतिभागियों के लिए बोर्ड के विशिष्ट अनुरोध पर "कार्यालयों के हरितन: सरकारी संस्थानों में पर्यावरण प्रबंधन" पर सर्वप्रथम दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए।

क्षमता निर्माण (2018-19)





अनुसंधान तथा अन्य गतिविधियां

- **इंटोसाई डब्ल्यूईए अनुसंधान परियोजना(ओं) को योगदान**

2018-19 के दौरान, आईसीईडी ने 'पर्यावरणीय डाटा पर प्रशिक्षण टूल के विकास' पर अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व किया और मसौदे को इंटोसाई डब्ल्यूजीईए को जमा किया।

(https://www.environmental-auditing.org/media/113693/23g-wgea_environmental-data_2019-fin.pdf)

- **साई इंडिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व**

2018-19 के दौरान आईसीईडी ने बानदुंग में इंटोसाई डब्ल्यूजीईए की 18वीं बैठक और पराग्वे में आयोजित इंटोसाई डब्ल्यूजीईए की स्टीयरिंग समिति की 16वीं बैठक में साई इंडिया के प्रतिनिधित्व में प्रस्तुतीकरण/पत्रों का योगदान दिया।

- **राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/कार्यशालाओं में भागीदारी**

आईसीईडी ने ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान (टीईआरआई) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन में हिस्सा लिया।

- **इंटरनेशनल स्कीम**

आईसीईडी ने अनुसंधान प्रारंभ करने के अपने सामरिक उद्देश्य का अनुसरण करते

हुए विभाग की इंटरनेशनल स्कीम के अनुसार निम्नलिखित तीन अनुसंधान परियोजनाओं का परिचालन किया:

1. पर्यटन- एक विपत्ति या एक वरदान? - गोवा में समुद्र तटीय प्रकृति आधारित पर्यटन के प्रभाव पर मामले का अध्ययन
2. नियामक प्रभाव मूल्यांकन के साथ समाहित करते हुए लेखापरीक्षा में मूल्यांकन बढ़ाने के लक्ष्य पर आधारित अनुसंधान
3. पर्यावरणीय लेखापरीक्षा में भौगोलिक सूचना विज्ञान तथा सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग तथा आईसीईडी परिसर में भूमि तथा आवरण के परिवर्तन पर मामले का अध्ययन (अवधि 2009-18)।

प्रकाशन

2018-19 के दौरान आईसीईडी ने अपने तिमाही समाचार पत्र "ग्रीन फाइल्स" के चार संस्करण प्रकाशित किए जिनमें वर्तमान पर्यावरणीय सम्मेलनों - राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय; भारत भर से पर्यावरण पर ताजा खबरों के स्नेपशॉट्स; पर्यावरणीय लेखापरीक्षा तथा सतत विकास से संबंधित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ-साथ पर्यावरणीय मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सम्मिलित हैं।

(<http://iced.cag.gov.in/?p=440>)

IV. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र:

आईएएंडएडी के पास आईएएंडएडी के ग्रुप बी तथा सी संवर्गों को लेखाओं, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) तथा 2 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसीज) हैं। संस्थान चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू, शिलांग, रांची, नागपुर, इलाहाबाद तथा हैदराबाद में स्थित हैं। दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली तथा बंगलोर में स्थापित हैं।

आरटीआई/आरटीसी प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के लिए 5 महीनों का प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। इसमें 3 महीनों का प्रवेश प्रशिक्षण, 1 महीने का उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य प्रशिक्षण तथा अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा

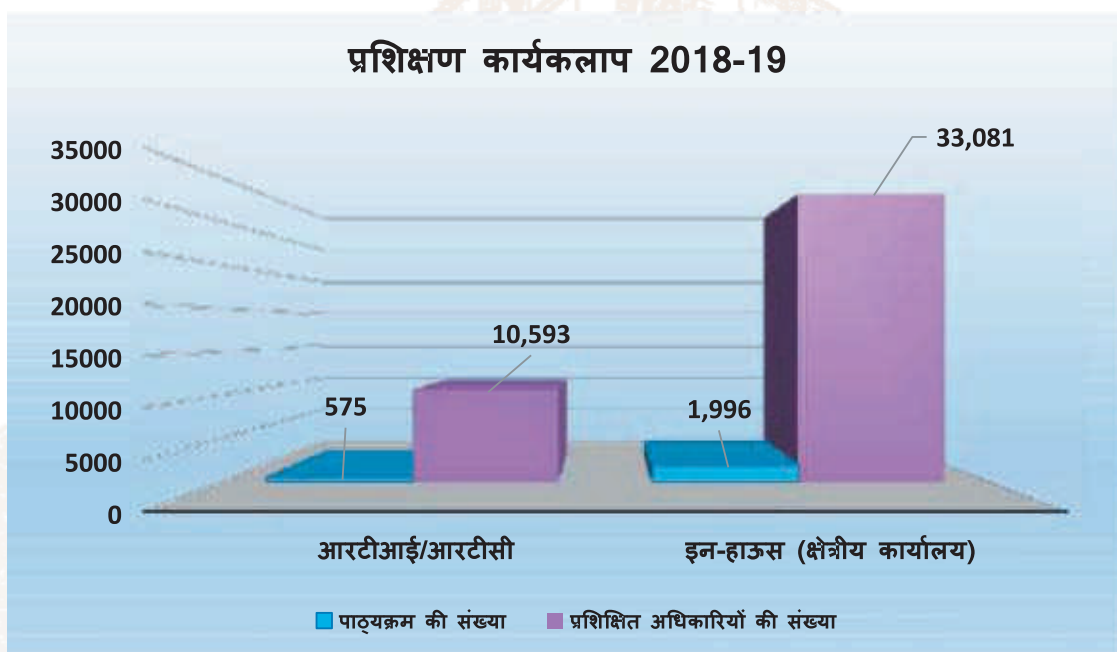
परीक्षा के लिए 1 महीने का प्रारंभिक प्रशिक्षण सम्मिलित है। वर्ष 2018-19 के दौरान 788 प्रत्यक्ष रूप से चयनित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण का संचालन किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम अवधि के इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं।

आरटीआई/आरटीसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम:

क) वर्ष 2018-19 के दौरान, आरटीआईज/आरटीसीज ने 575 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 10,593 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 134 कार्यालयों में इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों पर 1,996 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया और 33,081 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 2018-19





ख) आईएंडएडी के अधिकारियों के लिए आरटीआईज/आरटीसीज में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ई अभिशासन की लेखापरीक्षा
- पीपीपी की लेखापरीक्षा
- संविदा प्रबंधन
- इपसास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- डाटा एनालिटिक्स
- ओरेकल 11 जी के लिए डीबीए पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- साईबर सुरक्षा और धोखाधड़ी
- वस्तु एवं सेवा कर
- आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण पर कार्यक्रम
- सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की लेखापरीक्षा
- एंटी-फ्रॉड फ्रेमवर्क एंड डिजिटल फोरेंसिक्स पर कार्यक्रम
- प्रत्यक्ष रूप से चयनित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण

ग) नामित ज्ञान केन्द्र:

प्रत्येक आरटीआई/आरटीसी को विशेषज्ञता का एक विशिष्ट क्षेत्र दिया गया है। आरटीआईज/आरटीसी प्रत्येक को दिए गए

विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों के संदर्भ में ज्ञान केन्द्रों के रूप में कार्य करती हैं। ज्ञान केन्द्रों के रूप में आरटीआई/आरटीसी विशेषज्ञता के क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम), केस का अध्ययन तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। वे आवंटित विशेषज्ञता क्षेत्रों में अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।

4. प्रशिक्षण कार्यप्रणाली तथा प्रक्रियाएं:

i. **केन्द्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी)** प्रतिवर्ष प्रशिक्षण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विभाग में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। एनएएए, आईसीसा तथा आईसीईडी के प्रशिक्षण कैलेण्डरों की केन्द्र बिन्दु, गुणवत्ता तथा औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए गहराई से समीक्षा की जाती है। सीटीएसी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के कार्य का भी निरीक्षण करती है।

ii. **प्रशिक्षण विश्लेषण की आवश्यकता**, प्रशिक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर पहला कदम है तथा इसे पाठ्यक्रमों के प्रभावकारी रूप-रेखा, कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाता है। यह विश्लेषण यह निर्धारित करने में भी



सहायता करता है कि कौन से महत्वपूर्ण, नये या भिन्न कौशल आधुनिकतम चुनौतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

- iii. **संरचित प्रशिक्षण मापदंडों** को सभी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण का प्रसार करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे नियमित रूप से अद्यतित तथा समकक्ष समीक्षा की जाती है। प्रशिक्षण मापदंडों के लिए विषय-वस्तु अधिकारियों की एक टीम जो विषय-वस्तु विशेषज्ञ होते हैं, के द्वारा विकसित की जाती है।

31 मार्च 2019 तक 58 एसटीएस का अद्यतन किया गया, प्रक्षेत्र ज्ञान सहित आईएएस अधिकारियों द्वारा समकक्ष समीक्षा की गई तथा प्रसार के लिए आरटीआईज/आरटीसीज को भेजा गया था, नवीनतम, संवैधानिक लेखापरीक्षक के सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय विवरण की रिपोर्टिंग पर एसटीएम और “लेखांकन के नकद आधार के तहत निश्चित परिसंपत्तियों के लेखांकन” पर एसटीएम।

5. आईएएडी की क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ़ करना: मध्यम अवधि योजना:

आईएएडी के प्रादेशिक प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक समग्र मध्य अवधि योजना आरटीआईज की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए 2014 में अनुमोदित की गई थी तथा इस

कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 2015-18 के दौरान अद्यतित किया गया है। प्रशिक्षण से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर, गुणात्मक सुधारों के लिए मध्यम स्तर रोड़ मैप में निर्धारित सभी लक्ष्यों के विश्लेषण की आवश्यकता है तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मानकीकरण, संकाय संसाधन, प्रभाव निर्धारण, संरचित प्रशिक्षण मापदंडों आदि कार्यान्वित किया गया है।

6. निष्पादन मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क:

आरटीआईज को रोडमैप के अनुसार अपनी अवसंरचना को आधुनिक करने तथा अद्यतित करने के लिए काफी संसाधन आबंटित किए गए थे। अद्यतन के लिए अपेक्षित है कि उचित मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित हो। इसे सम्बोधित करने के लिए, आरटीआई हेतु मात्रात्मक मानदण्ड के साथ एक निष्पादन मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क (पीएमएफ) की रूपरेखा तैयार की गई थी। पीएमएफ ज्ञान केन्द्रों के रूप में प्रभावी रूप से प्रशिक्षण देने के साथ-साथ कार्य करने के लिए गुणवत्ता अधिगम पर्यावरण तथा अनिवार्य सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए आरटीआईज आन्तरिक प्रक्रियाओं को हितधारकों की अपेक्षाओं से जोड़कर उत्कृष्टता के समावेशन तथा इसे संस्थागत करने की परिकल्पना करता है। पीएमएफ को 2015-16 के दौरान आरम्भ किया गया था। आरटीआई तथा इसके उपयोगकर्ता कार्यालयों द्वारा आवंटित स्कोर



की पुष्टि प्रशिक्षण विंग के अधिकारियों द्वारा संस्था की प्रत्यक्ष जांच करके की जाती है। वर्ष 2018-19 हेतु पीएमएफ का निर्धारण पूर्ण कर दिया गया था।

7. आईएएडी में डाटा विश्लेषण:

सितम्बर 2015 में अपनाई गई आईएएडी डाटा प्रबंधन नीति डाटा विश्लेषण में क्षमता निर्माण की परिकल्पना करती है। 'डाटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकी' पर विषयों को प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम तथा एसएस परीक्षा पाठ्यक्रम में आरम्भ किया गया। प्रशिक्षण विंग ने आरटीआईज/आरटीसीज में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए 'डाटा विश्लेषण' पर एक संरचित प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरटीआईज/आरटीसीज में सीडीएमए विंग के साथ संयोजन में सुनियोजित किया गया था। भागीदारों को डाटा विश्लेषण के लिए केएनआईएमई, टेबल्यू तथा सांख्यिकी में प्रशिक्षित किया गया था। 2018-19 के दौरान, 262 अधिकारियों को आरटीआई/आरटीसीज में प्रशिक्षित किया गया था।

8. मामलों के अध्ययन का विकास:

मामलों का अध्ययन सशक्त तथा व्यवहारिक परिपक्व शिक्षाविधि है। मामला अध्ययन प्रक्रिया एक अध्ययन कक्ष बनाती है जिसमें विद्यार्थी साधारण तौर पर तथ्यों तथा सिद्धांतों को आत्मसात करके ही नहीं सीखते अपितु वास्तविक मामलों में विश्लेषण, संश्लेषण, नेतृत्व तथा समूह कार्य के कौशल का उपयोग

करके भी सीखते हैं।

मामला अध्ययनों के निर्माण पर आईआईएम (अहमदाबाद) तथा आईएसबी, हैदराबाद के संयोजन में एक कार्यशाला की गई थी। सभी आरटीआईज को नवम्बर 2017 में इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि आचार तथा नैतिक मूल्यों, व्यवसाय प्रक्रिया पुनः- अभियांत्रिकीकरण तथा लिंग संबंधी जागरूकता पर मोडल केस स्टडीज के साथ-साथ मामला अध्ययनों का विकास तथा निर्माण कैसे किया जाए।

9. प्रतिष्ठित संस्थाओं में आईएएस अधिकारियों के लिए कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण:

ग्रुप ए अधिकारियों के लिए सेवाकाल के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को मई 2016 में जारी डीओपीटी आदेशों के अनुसार संशोधित किया गया था।

वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित कैरियर माइलस्टोन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए थे तथा सहभागियों द्वारा इनकी अच्छी तरह से सराहना की गई थी:

(i) 7-9 वर्षों की सर्विस वाले आईएएस अधिकारियों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु में कार्यकारी विकास कार्यक्रम

- कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक नीति तथा वित्तीय विषयों की समझ को बढ़ाना, विश्लेषण उपक्रमों तथा प्रबंधन सूझबूझ



को सुदृढ़ करना है।

- 2018-19 के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 20 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(ii) सार्वजनिक नीति रिचर्ड तथा रोडा गोल्डमैन विद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में, 14-16 वर्षों की सर्विस वाले आईएएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम।

- कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकटन का विस्तार करना तथा तकनीकी इनपुटों का आयात करना, विश्लेषणात्मक उपकरणों, कुशाग्रता प्रबंधन, तथा अंतर्व्यक्तिक कौशलों को सुदृढ़ करना है।

- 2018-19 के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 20 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(iii) भारतीय व्यवसायिक विद्यालय, हैदराबाद में, 26-28 वर्षों की सर्विस वाले आईएएस अधिकारियों के लिए उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम।

- कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ प्रबंधकों के द्वारा सामना किए जा रहे बहु-आयामी मुद्दों जिसमें नीति विकास, निष्पादन प्रबंधन, संगठनात्मक रूपरेखा, वार्ता, नेतृत्व सम्मिलित हैं, के प्रकटन को विस्तार देना है।

- 2018-19 के दौरान उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

10. ग्रुप बी अधिकारियों के लिए बाह्य प्रशिक्षण

(i) ओपी जिंदल ग्लोबल यूनीवर्सिटी (जेजीयू), सोनीपत, हरियाणा, (दिल्ली के निकट) प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक नीति पर चार विशिष्ट रूप से निर्मित पाठ्यक्रम आयोजित किये

2018-19 के दौरान, 80 ग्रुप 'बी' अधिकारियों को जेजीयू में पांच दिन के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भेजा गया। पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण डिवीजन के साथ मिलकर डिज़ाइन किए गए हैं और हमारी आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए हैं।

(ii) एनआईएफएम फरीदाबाद में प्रशिक्षण

2018-19 के दौरान, 57 ग्रुप बी अधिकारियों को राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), नई दिल्ली में वर्ष के दौरान सार्वजनिक अधिप्राप्ति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए नामित किया गया।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय परियोजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन संस्थान (आई2पी2एम) द्वारा आयोजित किए जा रहे परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी डिप्लोमा

अंतर्राष्ट्रीय परियोजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन संस्थान (आई2पी2एम), नोएडा, उत्तर प्रदेश



द्वारा 4 माह तक चलने वाले में एक 12 दिवसीय गैर-आवासीय कार्यक्रम का आयोजन भारत (नई दिल्ली/मुम्बई) में किया गया। इस कार्यक्रम

में वाणिज्यिक विंग से दो वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों ने भाग लिया और उन्हें परियोजना प्रबंधन में कार्यकारी डिप्लोमा (ईडीपीएम) मिला।



अध्याय 7

संगोष्ठी और घटनाक्रम

शासन में जवाबदेही, मजबूत सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संस्थानों पर टिकी हुई है। साईं इंडिया का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षण और लेखांकन के माध्यम से शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे हितधारकों यानी विधायिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन मिल सके कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप वह वातावरण जिसमें लेखापरीक्षा इकाईयां और लेखापरीक्षा कार्य, लेखापरीक्षा और लेखांकन प्रथाओं के साथ-साथ सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन की संरचना और पद्धति दोनों संदर्भों में गतिशील है। इस गतिशील वातावरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आईएएंडएडी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं का सुदृढीकरण और कार्याकल्प करते रहें। हितधारकों के साथ नियमित आंतरिक और बाह्य परामर्श, पेशेवर प्रथाओं और हमारी संरचनाओं और कार्य की पद्धति को अनुकूल/उन्नत करने के इस प्रयास को सुगम बनाते हैं, साथ ही उस वातावरण के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं जिसमें हमारी लेखापरीक्षा इकाईयां काम करती हैं। इस तरह के परामर्शों को सुगम बनाने के लिए, आईएएंडएडी नियमित रूप से कई

संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित सम्मेलनों, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों पर नीचे चर्चा की गई है:

10-11, अक्टूबर 2018 के दौरान आयोजित 29^{वां} महालेखाकार सम्मेलन

महालेखाकार सम्मेलन, एक द्विवार्षिक आयोजन है, जो भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए शासन और सार्वजनिक जवाबदेही से संबंधित प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का एक मंच है। यह अनुभवों को साझा करने और लेखापरीक्षा प्रथाओं के पूरे गेमट पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय में 10-11 अक्टूबर 2018 को 'डिजिटल युग में लेखापरीक्षण और लेखांकन' विषय पर उनतीसवां महालेखाकार सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित उप-विषयों पर चर्चा की गई:

- i. लेखापरीक्षा योजना
- ii. लेखापरीक्षा निष्पादन
- iii. लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग
- iv. डिजिटल वातावरण में लेखांकन



29^{वां} महालेखाकार सम्मेलन - 2018 के सभी प्रतिभागियों के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद के द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई।



भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद; अध्यक्ष पीएसी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, श्री राजीव महर्षि तथा उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री अश्विनी अत्री।

अपने उद्घाटन भाषण में माननीय राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि लेखापरीक्षकों के रूप में सीएजी सार्वभौमिक ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क और डिजिटल संपर्क, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, स्वच्छता और सभी के लिए आवास, और सार्वभौमिक प्राथमिक स्कूल शिक्षा जैसे सतत विकास लक्ष्यों के पैमाने, आकार और परिवर्तनकारी प्रकृति पर खरा उतरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीएजी की संस्था अच्छी प्रथाओं के प्रलेखन, संकेतों को विकसित करने, प्रगति पर अपनी लेखापरीक्षा के माध्यम से रिपोर्टिंग करने और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को साझा करने में सहायता कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए सीखने का शानदार अनुभव होगा। लोक लेखा समिति के माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीएजी यह

सुनिश्चित करने के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करता है कि लोकसभा की मंजूरी के बिना कोई सरकारी धन खर्च न हो। आज सीएजी केवल व्यय और लेखाओं की लेखापरीक्षा से आगे बढ़ गया है। पिछले दो दशक, जबकि देश भी निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्थानांतरित हो गया सीएजी को निष्पादन लेखापरीक्षा पर अंशांकित करते हुए देखा।

पीएसी अध्यक्ष ने आगे बताया है कि सीएजी, "परिणाम आधारित लेखापरीक्षा" प्रस्तुत करने के द्वारा तीसरी पीढ़ी की लेखापरीक्षा को आरंभ कर रहे हैं। अब यह समय है कि सरकार को अपनी योजनाओं के परिणामों के लिए उत्तरदायी बनया जाये इस पहल के लिए सीएजी प्रशंसा के पात्र हैं।



29^{वां} महालेखाकार सम्मेलन- 2018 के प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए
भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद



लोकहितार्थ सत्यगिका
Dedicated to Truth in Public Interest

"बी. आर. अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला" नाम की व्याख्यान श्रृंखला

संविधान के मुख्य वास्तुकार, और उन्होंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संस्था पर जो महत्व रखा उसके सम्मान में 2018 में "बी. आर. अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला" नामक एक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई थी। व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य हमारे अधिकारियों

को विचारों तथा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दों को सुनने का अवसर देना है।

विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, शासन, कानून, पत्रकार और स्तंभकार में प्रख्यात हस्तियों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान बी.आर. अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला के भाग के रूप में चार व्याख्यान दिए गए।



न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. एन श्रीकृष्णा



डॉ. अरविन्द पनगाढिया



श्री चंद्र भान प्रसाद



डॉ. रुक्मणी बनर्जी

श्री चंद्र भान प्रसाद, एक व्यापक रूप से माने जाने वाले पत्रकार, दलित विचारक और राजनीतिक टिप्पणीकार। डॉ. अंबेडकर का अपने देश पर भविष्यवादी दृष्टिकोण की तुलना में करते हुये उन्होंने अंबेडकर के भारत के बारे में बताया।

डॉ. रुक्मणी बनर्जी, प्रथम शिक्षा संस्थान की सीईओ ने 'भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए अवसरों तथा चुनौतियों' के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न साधनों तथा मूल्यांकनों पद्धतियों को रेखांकित किया जिसके आधार पर शिक्षा रिपोर्टों की वार्षिक स्थिति (एएसईआर) संकलित की गई।

पद्मभूषण डॉ. अरविंद पनगढ़िया अर्थशास्त्री तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के बीच नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन तथा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के लिए भी कार्य किया है। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। अपने व्याख्यान 'ट्रंपिंग संरक्षणवाद-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके भविष्य का संक्षिप्त इतिहास' में उन्होंने अमेरिका द्वारा लागू किए जा रहे संरक्षणवाद की दिशा में उपायों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर बात की।

उन्होंने व्यापार उदारीकरण के लाभों, अधिमान्य व्यापार उदारीकरण पर बहुपक्षीय की वरीयता और विश्व व्यापार संगठन में बौद्धिक संपदा अधिकारों और श्रम मानकों जैसे गैर-व्यापार मुद्दों को शामिल करने की मूर्खता को रेखांकित किया।

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण ने अपने व्याख्यान में 'वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधानों' पर कई दशकों से वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की बहुलता के बारे में बताया। ये कानून तब बनाए गए थे जब वित्तीय परिदृश्य आज से बहुत अलग थे जिन्हें संगठित और एक आम वित्तीय नियामक अवरचना (एकीकृत वित्तीय एजेंसी) उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने और एक एकल विनियामक को स्थापित किए जाने की आवश्यकता हैं।

परिणामी लेखापरीक्षाओं पर कार्यशालाएं

परिणामों की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा का एक जटिल और उभरता हुआ क्षेत्र है जो इनपुट और आउटपुट की लेखापरीक्षा से आगे चला जाता है और सरकारी हस्तक्षेपों के परिणामों/अंतिम परिणामों को शामिल करता है। लेखापरीक्षा के लिए शुरू किए गए विषय/प्रसंग से संबंधित जटिल तकनीकी मुद्दों की स्पष्ट समझ रखने के लिए सम्बंधित क्षेत्रों में क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श को शामिल करते हुए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ईएसआई अस्पतालों में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, सिंचाई



और चिकित्सा देखभाल वितरण विषयों को शामिल करते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान सीएंडएजी, नई दिल्ली के कार्यालय में ऐसी पांच कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। कार्यशालाओं का उद्देश्य उन मुद्दों पर

विचार-विमर्श करना था जो लेखापरीक्षा में जांच किए जा सकने वाले परिणामों को अंतिम रूप देने में विभाग की सहायता करेंगे।

अध्याय 8

प्रमुख हितधारकों के साथ हमारा संपर्क

हमारे मूल हितधारकों में संसद, राज्य विधानमंडल एवं जनता शामिल हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए एक लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (कोपू) है जो साई इंडिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करते हैं। अन्य प्रमुख हितधारकों में सरकारी विभाग एवं मंत्रालय, के साथ-साथ साई इंडिया द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा की विषय वस्तु में विशेष हित वाले संगठन एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं।

हमारे हितधारकों के साथ वार्तालाप एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों एवं हितधारकों के साथ हमारा संपर्क साई इंडिया से उनकी अपेक्षाओं को समझने में सहायता करता है एवं हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाबदेही के कार्य को अर्थ प्रदान करता है। हमारी एक प्रलेखित सूचना नीति है जो बाहरी हितधारकों के साथ हमारे संपर्क का मार्ग दर्शन करती है।

I सीएजी का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

सीएजी के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिदेश के ढांचे में लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं फोकस में सुधार के लिए सुझाव देने एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड सीएजी को सलाह देता है। यह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में नेतृत्व एवं निर्देशन को बढ़ावा देने के लिए एवं तदनुसार लेखापरीक्षा

गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजित मुख्य यंत्रों में से एक है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति, विभाग से उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सम्मिलित हैं। पहला लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। उसके पश्चात बोर्ड आठ बार पुनर्गठित किया गया है (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, एवं 2018)। नौवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 2018 में हुआ जिसकी अवधि दो वर्ष यानि दिसम्बर 2020 तक रहेगी।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की 7 जनवरी 2019 को हुई बैठक में सुशासन के तौर पर लेखापरीक्षा की भूमिका, लेखापरीक्षा प्रभाव, लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता, लेखापरीक्षा मार्गदर्शन, परिणाम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा डौमेन विशेषज्ञता विकसित करना जैसे मामलों पर विचार किया गया था।

II राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी तरह, संबंधित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता में, राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। बाहरी सदस्य उत्कृष्ट शिक्षाविदों, व्यवसायिक तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से नामित किए जाते हैं। राज्य लेखापरीक्षा



सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान योग्य तथा अनुभवी व्यवसायिकों के बीच व्यवसायिक चर्चा हेतु एक फोरम बनाकर हमारे लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता को बढ़ाना है।

राज्यों में भी लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा इसका पुनर्गठन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। वर्ष के दौरान, राज्यों में बोर्डों की बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

III लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाईयाँ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य हितधारकों में से एक हैं। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा के बाद में होता रहता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले ही लेखापरीक्षित इकाईयों को दे दी जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा के आरंभ एवं समाप्ति पर एन्ट्री एवं एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर, लेखापरीक्षित इकाईयों को लेखापरीक्षा शंकाओं एवं निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार एवं कार्यवाही करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। जब एक

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक क्रमबद्ध प्रकृति की सतत अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा की चिंताओं की सूचना दी जाती है।

लेखापरीक्षित इकाईयों के अधिकारियों को विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है।

IV लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ संपर्क

लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) संघ एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो संसद/विधान सभा के पटल पर रखे जाते हैं, पीएसी/कोपू को विचारार्थ भेजे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करते हैं। सीएजी एवं उसके प्रतिनिधि बैठक के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/कोपू की सहायता करते हैं। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर कार्यकारिणी से सूचना अपेक्षित होती है। तब समिति की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बैठकों में चर्चा न की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, कार्यकारिणी से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है।



2018-19 में, केन्द्रीय पीएसी/कोपू ने 77 बैठकें लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा की जैसा कि आयोजित की तथा 50 पैराओं/निष्पादन नीचे सारांशीकृत किया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2018-19 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं की संख्या
वाणिज्यिक	18	16
संचार	2	4
सीआरए (डीटी)	9	5
सीआरए (आईएनडीटी)	4	5
रक्षा	16	6
रेलवे	10	2
रिपोर्ट केन्द्रीय	18	12
कुल	77	50

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य पीएसीज/कोपू की 809 बार बैठकें हुई एवं 1,371 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा हुई जैसा कि नीचे तालिका में सारांशीकृत किया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2018-19 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2018-19 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं की संख्या
मध्य क्षेत्र	203	256
पूर्वी क्षेत्र	85	118
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	60	193
उत्तरी क्षेत्र	147	264
दक्षिणी क्षेत्र	121	223
पश्चिमी क्षेत्र	193	317
कुल	809	1371



V शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संपर्क

हम अनेक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संपर्क करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) एवं भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों की समितियों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, ऐथिकल स्टैण्डर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीयर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है ताकि इन व्यवसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारे स्टाफ एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए हमारे प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं।

VI मीडिया के साथ संपर्क

मुख्यालय का संचार नीति विंग मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता में प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जनता के साथ प्रभावी संचार के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जहाँ पर राज्य में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है वहाँ

राज्यों/यूटीज़ में मीडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रधान महालेखाकार या सबसे वरिष्ठ महालेखाकार स्तर अधिकारी उत्तरदायी है।

हम संसद एवं विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने ग्राहकों को लेखापरीक्षा संदेश पहुंचने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंधित विधान मंडल में प्रस्तुति के उपरान्त सामान्यतः एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उनके संसद/राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु को दर्शाते हुए प्रेस सार भी जारी किये जाते हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। हम चयनित निष्पादन लेखापरीक्षाओं के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उच्च संक्षिप्त सार को व्यक्त करने के लिए सीडी के साथ छोटी पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन करते हैं।

इस प्रकार का वार्तालाप विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में सूचना के प्रसार एवं यदि हमारे हितधारियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण यदि हैं जारी करने या विकृतियों को या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तथ्यों की गलत व्याख्या को हटाने के लिए अभिप्रेत है।

अध्याय 9

हमारी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान

1 प्रस्तावना

साई इंडिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षण मानकों और पद्धतियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी है। मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग अंतर्राष्ट्रीय निकायों के संपर्क के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- क. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई)
- ख. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियाई संगठन (एसोसाई)
- ग. वैश्विक कार्यकारी समूह (अब वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम) एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय निकाय
- घ. अन्य साई के साथ द्विपक्षीय संबंध
- ङ. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

2 इंटोसाई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाहरी सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक मुख्य संगठन के रूप में कार्य करता है। एमिलियों फर्नान्डेज केम्यूज, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) क्यूबा, के तत्कालिन राष्ट्रपति की पहल से, 1953 में संस्थापित हुई, इंटोसाई के 194 पूर्ण सदस्य तथा

5 सहयोगी सदस्य तथा एक 1 संबंधित सदस्य है। इसने ज्ञान के विकास तथा अन्तरण को बढ़ाने, पूरे विश्व में सरकारी लेखापरीक्षण में सुधार करने तथा साई सदस्यों की उनके संबंधित देशों में व्यवसायिक क्षमता, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों हेतु एक संस्थागत कार्यवाही प्रदान किया है। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष परामर्शी स्थिति वाला एक गैर-सरकारी संगठन है। इंटोसाई का सिद्धांत 'परस्पर अनुभव सबका लाभ' है।

इंटोसाई की चार प्रमुख समितियां हैं जो इसकी चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम हैं। ये समितियां हैं:

1. व्यवसायिक मानक समिति (पीएससी)
2. क्षमता निर्माण समिति (सीबीसी)
3. ज्ञान सहभाजन तथा ज्ञान सेवा समिति (केएससी)
4. नीति, वित्त तथा प्रशासन समिति (पीएफएसी)

2.1 इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी

इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी निम्न स्तर पर है:



- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ज्ञान सहभाजन तथा ज्ञान सेवा-लक्ष्य 3 (केएससी) एवं इसकी संचालन समिति की इंटोसाई समिति के अध्यक्ष हैं। इसके परिणामस्वरूप, सीएजी इंटोसाई के शासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। केएससी के अंतर्गत ग्यारह कार्यकारी समूह हैं। कार्यकारी समूह को विशेष क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन और उत्तम पद्धतियों को तैयार करने के लिए गठित किया गया है। केएससी मुख्य समिति के अब 125 सदस्य और 2 पर्यवेक्षक हैं। केएससी संचालन समिति में केएससी के अंतर्गत सभी कार्यकारी समूह और परियोजना समूह के अध्यक्ष तथा पीएससी और सीबीसी के अध्यक्ष शामिल होते हैं। संचालन समिति में 5 पर्यवेक्षक, इंटोसाई महासचिव, इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई), सरकारी लेखापरीक्षण इंटोसाई जर्नल (आईजेजीए) हैं।
- इंटोसाई गोल चेयर्स द्वारा स्थापित की गई इंटोसाई प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट्स फोरम (एफआईपीपी) को हाल ही में गठित इंटोसाई में स्थायी सदस्यता दी गई थी। यह फोरम इंटोसाई की प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट के विषय और गुणवत्ता हेतु उत्तरदायी होगी।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आइटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीआईटीए) के अध्यक्ष हैं। आइटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में साई के हितों को पूरा करने के लिए समूह को 1989 में सृजित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और लेखापरीक्षा में उनके ज्ञान और कौशल के विकास में साई की सहायता करने का डब्ल्यूजीआईटीए का लक्ष्य है। वर्तमान में, डब्ल्यूजीआईटीए 51 सदस्य और चार पर्यवेक्षक हैं।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी लक्ष्य 1 के तहत इंटोसाई की अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस उपसमिति की स्थापना 2004 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता, विश्व स्तर पर स्वीकार्य मानकों और दिशा-निर्देशों का विकास और प्रसार करना था।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विभिन्न इंटोसाई समितियों/ उपसमितियों/ कार्य समूहों/ कार्य बलों के सदस्य हैं।
- इंटोसाई समुदाय में निरंतर संपर्क को सुगम बनाने के लिए, केएससी अध्यक्ष के रूप में, साई इंडिया ने एक इंटोसाई कम्युनिटी पोर्टल (www.intosaicommunity.net) विकसित किया है। इस पोर्टल में समुदाय के व्यवहार, ब्लोग, चैट, पुस्तकालय, विडियो

कांफ्रेंसिंग, चुनाव/सर्वेक्षण आदि जैसी सुविधाएँ हैं ताकि सदस्य साई के बीच बेहतर संचार और विचारों का आदान प्रदान हो सके।

2.2 इंटोसाई की कुछ प्रमुख घटनाओं जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सक्रिय भागीदारी शामिल है, पर नीचे चर्चा की गई है:

- 17-18 अप्रैल 2018 को आईटी लेखापरीक्षा, सिडनी, आस्ट्रेलिया पर इंटोसाई कार्यकारी समुह की 27^{वीं} बैठक और 19 अप्रैल 2018 को "लेखापरीक्षा दक्षता और गुणवत्ता ड्राइव करने के लिए अंतः स्थापित डेटा आश्वासन" पर सेमिनार: 17-18 अप्रैल, 2018 को आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी समुह (डब्ल्यूजीआईटीए) की 27^{वीं} बैठक सिडनी, आस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। "लेखापरीक्षा दक्षता

और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अंतः स्थापित डेटा आश्वासन" पर सेमिनार 19 अप्रैल 2018 को डब्ल्यूजीआईटीए बैठक की संयोजकता के साथ आयोजित की गई थी। बैठक का उद्घाटन श्री गारंट हेहीर, महालेखापरीक्षक, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में इसकी अध्यक्षता की गई थी। 23 सदस्य देश के 50 पर्यवक्षकों / प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में डब्ल्यूजीआईटीए कार्य योजना 2020-22 के संदर्भ में विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में आईसीसा को डब्ल्यूजीआईटीए की ग्लोबल प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) के रूप में नामित किया गया था।



आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य गुप की 27वीं बैठक

- समकक्ष समीक्षा करने के लिए साई को प्रोत्साहित और समर्थ बनाने पर सम्मेलन ब्राटिसलावा, स्लोवाक रिपब्लिक, 20-22 जून, 2018 : स्लोवाक रिपब्लिक को सर्वोच्च लेखापरीक्षा कार्यालय और समकक्ष समीक्षा पर उप-समिति के अध्यक्ष द्वारा 20-22 जून 2018 से ब्राटिसलावा, स्लोवाक रिपब्लिक में "समकक्ष समीक्षा करने के लिए साई को प्रोत्साहित और समर्थ बनाना" पर विशेषज्ञ सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में सीएजी द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया था।

सम्मेलन में समकक्ष समीक्षा करने के तरीके तथा निष्पादन आंकने के विभिन्न इंटीसाई तंत्रों के उपयोग का विश्लेषण किया गया। सम्मेलन में निम्नलिखित तीन विषयों पर केंद्रित पैनल और राउंडटेबल चर्चा शामिल थी:

विषय I : समकक्ष समीक्षा के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए साई द्वारा नेतृत्व किया जाना;

विषय II : साई का निष्पादन सुधारने के लिए समकक्ष समीक्षा तंत्र

विषय III : समकक्ष समीक्षा में उत्कृष्ट पद्धतियां

- क्षेत्र समन्वय मंच बैठक, ओस्लो, नार्वे 25-27 जून, 2018 : प्रथम सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन



स्लोवाक रिपब्लिक, 20-22 जून, 2018 को समकक्ष समीक्षा करने के लिए साई को प्रोत्साहित और समर्थ बनाने पर सम्मेलन में श्री राजीव महर्षि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उद्घाटन भाषण देते हुए।

(इंटोसाई)- क्षेत्र समन्वय मंच बैठक 25-27 जून 2018 को ओस्लो, नार्वे में आयोजित की गई थी। यह मंच सभी इंटोसाई सहयोगियों और क्षेत्रीय संगठनों के लिए संपर्क का एकल बिंदू इंटोसाई को प्रदान करता है और इंटोसाई नीतिबद्ध योजना 2017-2022 के सफल कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए समन्वय, परामर्श, अन्वेषण सहक्रियाओं और श्रेणीबद्ध इंटोसाई प्रयासों के एक फोरम के रूप में कार्य करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इंटोसाई और क्षेत्रीय संगठन के बीच समन्वय, एकीकरण, सहक्रियाओं के सृजन के महत्व पर जोर देते हुए उद्घाटन सार प्रस्तुत किया। साई इंडिया का प्रतिनिधित्व महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) द्वारा किया गया था।

महालेखापरीक्षक, नार्वे और आईडीआई बोर्ड के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक, ओस्लो, नार्वे, 25 जून 2018 : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ओस्लो में क्षेत्रीय समन्वय मंच की बैठक में महालेखापरीक्षक, नार्वे और इंटोसाई विकास पहल बोर्ड के अध्यक्ष से भेंट की।

साई इंडिया और आईडीआई के बीच दीर्घावधि, सतत और प्रवर्धित सहयोग प्रदान करने के लिए सहयोग के स्वरूप पर बैठक में चर्चा की गई थी। साई इंडिया और आईडीआई में इंटोसाई नीतिबद्ध योजना के कार्यान्वयन और इंटोसाई समुदाय में साई की सहायता के लिए सहयोग हेतु सहायता की एक दीर्घकालीन परम्परा है।



महालेखापरीक्षक, नार्वे और आईडीआई बोर्ड के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक, ओस्लो, नार्वे 25, जून 2018



मास्को में इंटोसाई शासी मंडल रूस संघ की 71वीं बैठक, 15-16 नवम्बर 2018

- **मास्को में इंटोसाई शासी मंडल, रूसीसंघ की 71वीं बैठक, 15-16 नवंबर, 2018 :** रूसी संघ के लेखा चैंबर के निमंत्रण पर, 15 और 16 नवम्बर 2018 को लगभग 90 प्रतिभागियों के साथ मास्को में 71वीं इंटोसाई शासी मंडल की बैठक हुई। यह बैठक संयुक्त अरब अमीरात के साई डॉ. हरीब अल अमीमी, की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। केएससी अध्यक्ष के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने बैठक में केएससी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3 एसोसाई

1978 में स्थापित सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियाई संगठन (एसोसाई), इंटोसाई के सात क्षेत्रीय कार्यकारी दलों में से एक है। इसने नई दिल्ली में अपनी पहली सभा के साथ 1979 में कार्य करना आरंभ किया था। भारत एसोसाई का एक चार्टर सदस्य है। इसकी मौजूदा सदस्य संख्या 46 है।

एसोसाई के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थाओं के बीच समझ और समन्वय प्रोत्साहित करना।
- गुणवत्ता और निष्पादन में सुधार के उद्देश्य से सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और निरंतर शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करना।
- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सूचना के केन्द्र के रूप में और विश्व के अन्य भागों में संस्थाओं के साथ क्षेत्रीय कड़ी के रूप में कार्य करना।
- संबंधित सदस्य संस्थाओं और क्षेत्रीय समूहों के मध्य सरकार में सेवारत लेखापरीक्षकों के मध्य नजदीकी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना।

भारत के सीएजी 2012-2015 के दौरान एसोसाई के अध्यक्ष थे। एसोसाई के पूर्व अध्यक्ष होने के

नाते, भारत के सीएजी का 2018 तक एसोसाई के शासी मंडल में रहना जारी रहा।

सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई जर्नल के संपादक मंडल के अध्यक्ष के रूप में, सीएजी को 2018-2021 तक एसोसाई के शासी मंडल की पदेन सदस्यता प्रदान की गई है। एसोसाई जर्नल के संपादक के रूप में, हम वर्ष में दो बार एसोसाई जर्नल प्रकाशित करते हैं। एसोसाई जर्नल की सामग्री साई सदस्यों द्वारा दी जाती है। ई-जर्नल का अंतिम संस्करण (अक्टूबर 2018) "आपदा प्रबंधन की लेखापरीक्षा" के विषय पर अपलोड किया गया है। जर्नल को www.asosaijournal.org वेबसाइट पर डाला गया है।

3.1 भारत के सीएजी की सक्रिय साझेदारी वाले एसोसाई के कुछ प्रमुख दृष्टांतों पर नीचे चर्चा की गई है:

- साई ओमान से प्रतिनिधियों का दौरा, 20

दिसम्बर 2018 और 4-8 मार्च 2019

साई, ओमान को अस्थायी स्थानांतरण आधार पर 'विशेषज्ञ' के रूप में साई भारत से छः अधिकारियों के चयन हेतु साक्षात्कार करने के लिए महामहिम नासिर हमूद अल रावही, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय, ओमान सल्तनत, से तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 20.12.2018 को साई भारत का दौरा किया।

04-08 मार्च 2019 को महामहिम नासिर हमूद अल रावही, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पुनः साई भारत का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य अपने प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण केंद्र का उन्नयन करना और अपने कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन करना था।

दौरे के दौरान, प्रतिनिधि मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय



साई ओमान प्रतिनिधिमंडल का दौरा, 4-8 मार्च 2019



पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र, जयपुर (आईसीइडी) और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र नोएडा (आईसीसा) द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट पद्धतियों को समझने के लिए इनका दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने 07 मार्च 2019 को नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ शिष्टाचार बैठक भी की।

4 संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी एजेंसियां

सीएजी जुलाई 2014 से जून 2020 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड (बोर्ड) का एक सदस्य है। जर्मनी और चिली बोर्ड के अन्य सदस्य हैं। बोर्ड के तीन सदस्यों के बीच कार्य आवंटन के अनुसार, निम्नलिखित यूएन संगठनों के संबंध में साई भारत मुख्य लेखापरीक्षक है:

1. यूएन सचिवालय (खण्ड I)
 2. युनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि)
 3. यूएनओपीएस (संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय)
 4. यूएनसीसी (संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग)
 5. आईटीसी (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र)
 6. यूएमओजेए (यूएन की ईआरपी प्रणाली)
 7. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी नीति
- उपरोक्त के अतिरिक्त, साई भारत के अपने

लेखापरीक्षा पोर्टफोलियो के तहत नीचे दिए गए के अनुसार छह पीस कीपिंग आपरेशंस (पीकेओ) मिशन चल रहे हैं जिसका साई-जर्मनी प्रमुख लेखापरीक्षक है।

1. एमआईएनयूएसटीएच (हैती में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन)
2. यूएनआईएफआईएल (लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम बल)
3. यूएनएमआईके (कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम प्रशासनिक मिशन)
4. यूएनडीओएफ (संयुक्त राष्ट्र मुक्ति पर्यवेक्षक फोर्स)
5. यूएनएफआईसीवाईपी (साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग बल)
6. एमआईएनयूआरएसओ (पश्चिमी सहारा में जनमत संग्रह हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन)

सीएजी जुलाई 2012 से जून 2018 तक की छह वर्षों की अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के बाह्य लेखापरीक्षक भी है।

4.1 साई इंडिया की सक्रिय साझेदारी वाले हाल के कुछ प्रमुख दृष्टांत निम्नलिखित हैं:

यूएन लेखापरीक्षक बोर्ड की बैठक, न्यूयार्क 24-25 जुलाई 2018

क. (जुलाई 2018 सत्र)

- संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड का 72वाँ



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

नियमित सत्र यूएन मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 24 और 25 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव महर्षि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने बोर्ड के अन्य सदस्य, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रोफेसर मूसा जुमा असद, जर्मन फेडरल कोर्ट ऑफ आडिटर्स के अध्यक्ष श्री के शेलर और बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य चीली रिपब्लिक के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री जॉर्ज बर्मुडेज सोतो की उपस्थिति में सत्र की अध्यक्षता की। तंजानिया के महालेखापरीक्षक और जर्मन फेडरल कोर्ट ऑफ आडिटर्स के अध्यक्ष के साथ सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2017 हेतु 28 यूएन लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुमोदित और हस्ताक्षरित कीं।

- इन रिपोर्टों में संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों के साथ महत्वपूर्ण निकायों जैसे यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएचसीआर, यूएन महिला, यूएनओपीएस, यूएनजेएसपीएफ और यूएन मुख्यालय को शामिल किया गया है।
- इन 28 रिपोर्टों को यूएन की सामान्य सभा और अन्य शासी निकायों को प्रस्तुत किया गया।

ख. (दिसम्बर 2018 सत्र)

- सीएजी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र

मुख्यालय में 3 दिसम्बर 2018 को अड़तालीसवें (2018) यूएन लेखापरीक्षक बोर्ड के विशेष बोर्ड सत्र की अध्यक्षता की।

- बोर्ड के सदस्यों ने ऑडिट ऑपरेशंस कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की, 2019 के लिए कार्य योजना का प्रस्ताव रखा और कार्यकारी सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये 2020 के बजट को अनुमोदित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल की बैठक, न्यूयॉर्क, 3-4 दिसम्बर 2018

- सीएजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 3-4 दिसम्बर 2018 को पैनल के उनसठवें (2018) नियमित सत्र में भाग लिया।
- साई इंडिया ने (क) प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों (केएएम) को अद्यतित करने और (ख) यूएन प्रणाली में बाह्य लेखापरीक्षा व्यवस्थाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया।

इंटोसाई

- बिग डेटा पर दूसरा इंटोसाई कार्यकारी समीति (डब्ल्यूजीबीडी) वाशिंगटन डीसी में 19-20 अप्रैल, 2018 को संयुक्त राज्य सरकारी जवाबदेही कार्यालय के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस बैठक में 19 साई से 43 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बैठक में साई-इंडिया का प्रतिनिधित्व श्री नीलेश कुमार साह ने किया और "डेटा एनलिटिक्स-साई इंडिया पर दिशानिर्देश" पर प्रस्तुति दी।

इंटोसाई, एसोसाई और अन्य बहुपक्षीय मंचों की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची जिनमें भारत के सीएजी ने भाग लिया:

- 5^{वीं} ग्लोबल ऑडिट लीडरशिप फोरम (गल्फ) लक्जमबर्ग के यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स में आयोजित की गई थी और इसमें श्री के.एस. सुब्रमण्यन, महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) ने भाग लिया था। चर्चा में दो विषयों "किसी राजनीतिक संदर्भ में निष्पादन लेखापरीक्षा करना : इसकी सीमाएं क्या हैं" और "एक डिजिटल दुनिया में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संप्रेषण: चुनौतियाँ और अवसर" पर ध्यान केन्द्रित था।
- 15^{वीं} व्यावसायिक मानक समिति की इंटोसाई संचालन समिति की बैठक (पीएससी) 30-31 मई, 2018 को लक्जमबर्ग में यूरोपियन कोर्ट ऑफ

ऑडिटर्स में आयोजित की गई थी। पीएससी संचालन समिति के सदस्य और अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के सीएजी की ओर से श्री नंद किशोर, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और श्री वी. कुरियन, तत्कालीन महानिदेशक (वाणिज्यिक) ने आयोजित बैठक में भाग लिया।

चर्चा किये गये विषय थे : इंटोसाई फ्रेमवर्क ऑफ प्रोफेशनल प्रोनाऊसमेंट्स (आईएफपीपी) के लिए नीतिबद्ध विकास योजना (एसडीपी) और एफआईपीपी के लिए संशोधित विचारार्थ विषय (टीओआर) का कार्यान्वयन।

- इंटोसाई लेखापरीक्षक व्यावसायिकता पर टास्क फोर्स (टीएफआईएपी) 18-19 जून 2018 को स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी। केएससी की ओर से तत्कालीन



श्री राजीव महर्षि, भारत के सीएजी के साथ संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल की बैठक के प्रतिभागी



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) श्री प्रवीण कुमार तिवारी ने बैठक में भाग लिया था। बैठक में उत्कृष्ट रूप में सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा व्यवसायी तैयार करने का इंटोसाई योग्यता फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए ड्राफ्ट गाईड पर प्रस्तुतीकरण दिया गया और चर्चा की गई।

- **साई नेतृत्व और हितधारक बैठक** 19 से 20 जुलाई 2018 को इंटोसाई डेवलेपमेंट इनिशियेटिव (इडीआई) और यूएन द्वारा संयुक्त रूप से सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के योगदान" पर आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य आईडीआई के "एसडीजी लेखापरीक्षण" कार्यक्रम और इंटोसाई ज्ञान साझा समिति की पृष्ठभूमि के प्रति सभी इंटोसाई क्षेत्रों से साई के ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान करना था। बैठक में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ श्री दीपक अनुराग, महानिदेशक (आरसी) ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और यूएन के स्थायी प्रतिनिधि, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के सहयोग से, इंटोसाई सचिव जनरल सेक्रेटेरिएट, आस्ट्रिया ने सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) के स्वरूप में 18 जुलाई 2018 को एक अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किया था। बैठक में श्री दीपक अनुराग, महानिदेशक (आरसी) ने साई

भारत का प्रतिनिधित्व किया। सतत सरकारी लक्ष्य (एसडीजी) के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय सरकारों की तैयारी के लेखापरीक्षण में प्राप्त परिणाम कार्यक्रम की चर्चा के केंद्र थे। प्रोत्साहक चर्चाओं ने एसडीजी के कार्यान्वयन के लेखापरीक्षण में साई के विभिन्न दृष्टिकोणों में विस्तृत ज्ञान प्रदान किया।

- **कैरोसाई 30वीं वर्षगांठ सम्मेलन** का आयोजन कैरोसाई के महासचिव और जमैका के महालेखापरीक्षक पामेला मुनरो एलिस द्वारा किंगस्टन, जमैका में 15 से 17 अगस्त 2018 को किया गया। सम्मेलन का शीर्षक "अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण"। श्री पुरुषोत्तम तिवारी, प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा वाशिंगटन डीसी ने बैठक में केएससी अध्यक्ष के रूप में साई इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। यह बैठक विशेष रूप से इंटोसाई समुदाय पोर्टल पर केएससी गतिविधियों में कैरोसाई को शामिल करने के लिए की गई थी।

- **ज्ञान साझा समिति (केएससी) की 10वीं इंटोसाई संचालन समिति की बैठक** 20-22 अगस्त, 2018 को कंपाला, युगांडा में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत के सीएजी और केएससी के अध्यक्ष की ओर से उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने की थी।

बैठक में आईएफपीपी की नीतिबद्ध विकास

योजना, इंटोसाई समुदाय पोर्टल, उभरते मुद्दे, क्षेत्रों के साथ जुड़ाव और हितधारक सहयोग जैसे निम्नलिखित विषयों पर पांच चर्चा सत्र शामिल थे। सदस्यों को गैर-आईएफपीपी दस्तावेजों पर क्वालिटी एश्योरेंस पेपर के बारे में जानकारी दी गई।

- **गोल चेयर सहयोग प्रतिनिधियों की बैठक (जीसीसी)** की मेजबानी साई इंडिया द्वारा 11-13 मार्च, 2019 को गोवा, भारत में की गई थी। बैठक में नीतिबद्ध विकास योजना (एसडीपी) 2020-2025 के विकास, एफआईपीपी सदस्यों की चयन प्रक्रिया में सुधार, तकनीकी सहायता फंक्शन की स्थापना, इंटोसाई समितियों के लिए हैंडबुक में संशोधन, इंटोसाई क्षेत्र समन्वय मंच बैठक की संरचना और गैर-आईएफपीपी उत्पादों की गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बैठक में पीएससी अध्यक्ष, सीबीसी अध्यक्ष और उनके उप-अध्यक्ष के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्घाटन डीएआई (एचआर एंड एलबी) ने किया और इसकी अध्यक्षता एडीएआई (आईआर) ने की।

दुपक्षीय

- **साई श्रीलंका से भारत में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा, 2-10 मई 2018 :** साई श्रीलंका के लेखापरीक्षा सेवा आयोग के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में श्री वी कंडासामी, सेवानिवृत्त उप महालेखापरीक्षक,

न्यायमूर्ति सुनील राजपक्षे, श्रीलंका की अपील अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री डब्ल्यू.ए.एस परेरा, श्रीलंका प्रशासनिक सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री जैमिनी अबेरत्ना, सेवानिवृत्त उप महालेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा सेवा गतिविधि प्रबंधन से संबंधित मामलों के निष्पादन के संबंध में कुछ विदेशी अनुभव प्राप्त करने के लिए साई इंडिया संगठन में जागरूकता कार्यक्रम के लिए 02 मई से 10 मई 2018 तक भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने साई इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन से भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा), नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र (आईसीईडी), जयपुर में और राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी, शिमला का भी दौरा किया।

- **साई इंडिया से राज्य लेखापरीक्षा ब्यूरो, कुवैत को आईटी विशेषज्ञों का नामांकन 16 अप्रैल से 3 मई 2018 और 23 अप्रैल से 4 अक्टूबर 2018 :** आईटी लेखापरीक्षा पर एसएबी कुवैत के लेखापरीक्षकों में से प्रत्येक को तीन सप्ताह की अवधि के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देने के लिए साई इंडिया से एसएबी कुवैत में दो आईटी लेखापरीक्षण विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई थी।



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रशिक्षण 16 अप्रैल 2018 से 3 मई 2018 और 23 सितम्बर 2018 से 4 अक्टूबर 2018 तक कुवैत में आयोजित किया गया।

- 1 नवम्बर, 2018 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के बजटीय मामलों के आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 6 सदस्यीय चीनी प्रतिनिधिमंडल का दौरा : पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के बजटीय मामलों के आयोग के उपाध्यक्ष श्री झू मिंगचुन (मंत्री स्तर) के नेतृत्व में 6 सदस्यीय चीनी प्रतिनिधिमंडल ने 1-2 नवम्बर 2018 को भारत का दौरा किया।

चीनी प्रतिनिधिमंडल ने सीएजी कार्यालय का दौरा किया और साई इंडिया की लेखापरीक्षा प्रथाओं और नीतियों के बारे में चर्चा करने के लिए 1 नवम्बर 2018 को वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक की।

- महालेखापरीक्षक का कार्यालय (ओएजी), केन्या, से एक तकनीकी टीम का दौरा, 26-30 नवम्बर 2018 : सरकारी जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक जवाबदेही फ्रेमवर्क/सिटीजन गेज फ्रेमवर्क के बारे में साई इंडिया से जानकारी लेने के लिए केन्या के महालेखापरीक्षक कार्यालय से उप महालेखापरीक्षक श्री डेविड ओबवाया गिचना के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 26-30 नवम्बर 2018 तक भारत का दौरा

किया। उन्होंने साई इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन से भेंट की और हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्रों जैसे नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा) और जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र (आईसीईडी) और प्रधान महालेखाकार (सामान्य और सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) जयपुर के कार्यालय का भी दौरा किया।

बहुपक्षीय

- अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएस) की 15वीं बैठक 9-10 अक्टूबर 2018 को लक्जमबर्ग में आयोजित की गई : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएस) के अध्यक्ष हैं। केस के 20 सदस्य हैं: भारत (अध्यक्ष), अज़रबैजान, ब्राजील, चीन, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, फ्रांस, जॉर्जिया, हंगरी, लिथुआनिया, मैक्सिको, नामीबिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनीशिया। इंटोसाई की व्यावसायिक मानक समिति के अंतर्गत अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति की 15वीं बैठक 9-10 अक्टूबर 2018 को लक्जमबर्ग में आयोजित की गई थी। बैठक में आईडीआई और एफ्रोसाई (ई) जो पर्यवेक्षक हैं, के अतिरिक्त केस के 20 सदस्य साई में से 17 साई ने भाग लिया। श्री वी कुरियन,

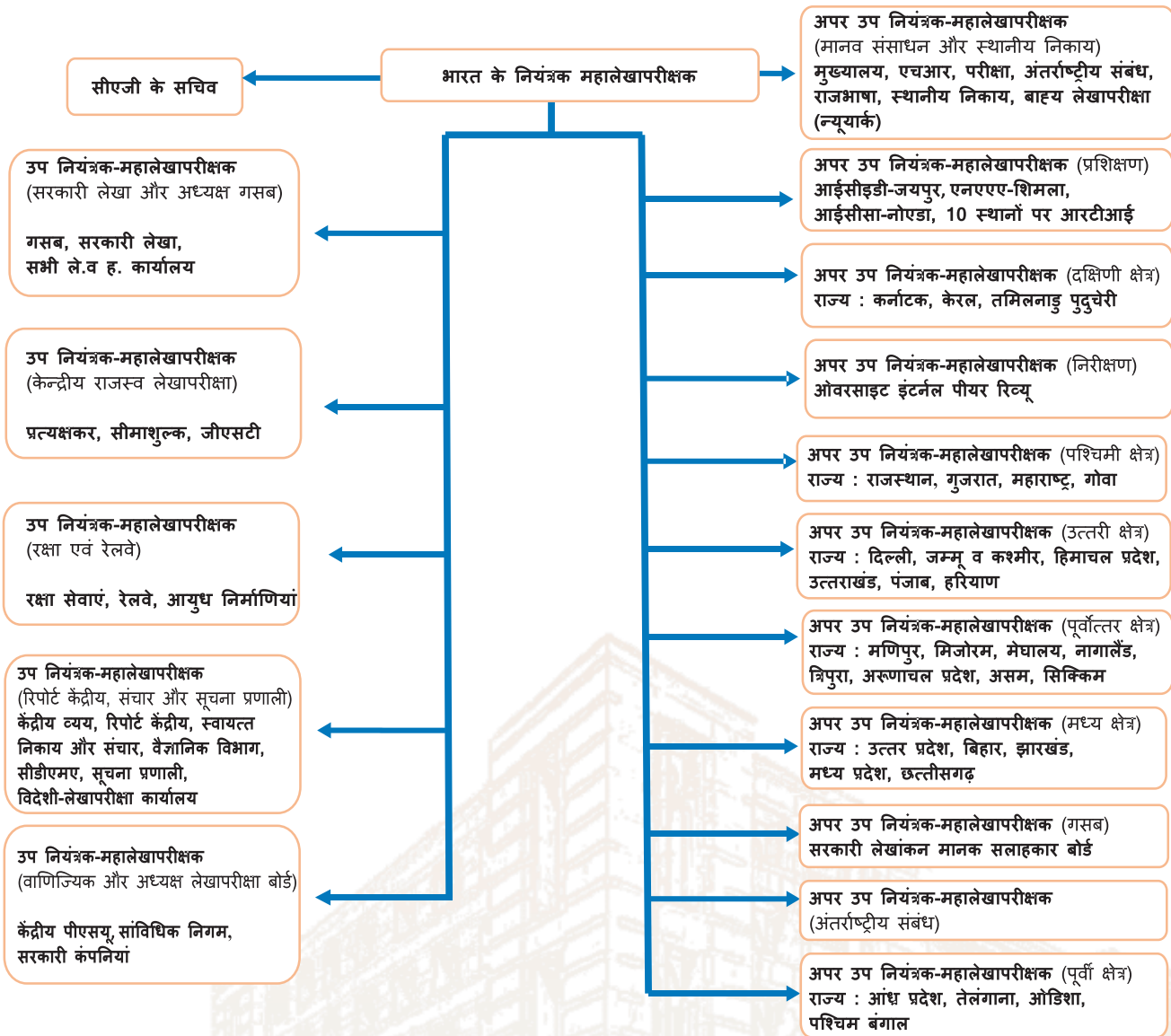


एडीआई ने सीएजी की ओर से बैठक की अध्यक्षता की।

सदस्यों ने इंटोसाई फ्रेमवर्क फॉर प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट (आईएफपीपी) की नीतिगत योजना के अंतर्गत चल रही दो परियोजनाओं की स्थिति और कैस के विचारार्थ विषय में संशोधन पर विचार-विमर्श किया। सार्वजनिक खरीद की अनुपालन लेखापरीक्षा पर साई इंडिया में अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए जोखिम विश्लेषण

ढांचे के विकास में अपनाए गए सिद्धांत, 2017 के लिए यूरोपीय संघ बजट की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था करार की लेखापरीक्षा अनुपालन लेखापरीक्षा और क्षेत्राधिकारिक साई के मंच के कार्यों की प्रगति और अनुपालन लेखापरीक्षा के संबंध में आईडीआई की गतिविधियों पर सदस्य साई द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई थीं।

संलग्नक - I 31 मार्च 2019 को संगठनात्मक चार्ट





भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124
www.cag.gov.in